तृतीय माला, खण्ड १६—अंक ३२

बुधवार, ३ अप्रैल, १९६३
१३ चैत्र, १८८५ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(चौथा सत्र)

(खण्ड १६ में अंक ३१ से अंक ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या ६८२ से ६८६ और ६६१ से ६६७ . . ३२५१—७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६६०, ६६८, ६६६ और ७०० . . . ३२७६—७८

अतारांकित प्रश्न संख्या १३६४ से १३६३, १३६६ से १४०६, १४११ से १४१५ और १४१७ से १४२० . . . . ३२७८—३३०१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना . ३३०१—०४

(१) चीनियों के अधिकार में भारतीय युद्धबन्दियों की रिहाई . .

(२) पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों का तंग किया जाना .

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

अठ्ठराहवां प्रतिवेदन . . . . ३३०४—०५

सदस्य और मंत्री द्वारा वक्तव्य . . . . २३०५—२८

अनुदानों की मांगें — ३३०५—५७

निर्माण आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय . . . ३३०५—२८

श्री मोहन स्वरूप . . . . . ३३०५—०६

श्री नवल प्रभाकर . . . . ३३०६—११

श्री बागड़ी . . . . . ३३११—१३

श्री मेहर चन्द खन्ना . . . . . ३३१३—२८

विधि मंत्रालय . . . . . ३३२६—४८

श्री उ० मू० त्रिवेदी . . . . . ३३२६—३०

श्री दाजी . . . . . ३३३०—३१

श्री कृ० चं० शर्मा . . . ३३३१—३२

श्री नि० रं० घोष ३३३२

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

[शेषमुख पृष्ठ तीन पर देखिये

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

बुधवार, ३ अप्रैल, १९६३

१३ चैत्र, १८८५ (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

भारत-विरोधी चीनी साहित्य

+

†*६८२. { **श्री यशपाल सिंह :**
श्री बी० चं० शर्मा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हेडा :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री कजरोलकर :
श्री यु० सिं० चौधरी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री बड़े :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री हेम बरुआ :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री किशन पटनायक :
श्री बागड़ी :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-विरोधी तथा प्रतिबन्धित चीनी साहित्य विदेशी डाक द्वारा देश में आ रहा है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार का कितना साहित्य आ रहा है; और

(ग) इसे रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरतवीस)**: (क) और (ख). ऐसा कुछ साहित्य ध्यान में आया है। तथापि यह सच नहीं है कि इस प्रकार का साहित्य भारत में आ रहा है।

(ग) सीमा शुल्क प्राधिकारियों को, जिन का ऐसे आयात की रोकथाम करने से सम्बन्ध है, सतर्क रहने के लिए और जहां आवश्यक हो ऐसे साहित्य को पकड़ने और नष्ट करने देने की अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कहा गया है।

श्री यशपाल सिंह: क्या यह सच है कि **चाइना टुडे** हिन्दुस्तान में खुले आम आ रहा है ?

श्री हजरतवीस : जी नहीं, खुले आम नहीं आ रहा है।

श्री यशपाल सिंह : क्या यह भी सच है कि न्यु चाइना न्यूज़ एजेन्सी हमारे यहां डाक से अपना लिट्रेचर भेज रही है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : कौन भेज रहा है, यह कहना तो मुश्किल है, लेकिन कुछ चीजें भेजने की कोशिश की गई और कुछ चीजें यहां पहुंची भी हैं, लेकिन उन को रोक लिया गया है और ज़ब्त कर लिया गया है।

†**श्री बी० चं० शर्मा**: क्या मैं जान सकता हूं कि सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने अभी तक किस किस किस्म के साहित्य पर कब्जा किया है ? श्रीमान्, यदि ब्योरा दे दिया जाये तो सुविधा होगी।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : उन्हों ने मुख्यत: सीमा की हलचल और विवादास्पद सीमा क्षेत्रों सम्बन्धी मामलों से ही निपटा है। उदाहरणत: उन्होंने एक लेख लिखा। यह भारत-चीन सीमा विवाद के प्रकाश में अधिकतर नेहरू की विचारधारा पर एक चीनी समाचारपत्र में प्रकाशित लेख था।

†**श्री हेम बरुआ**: वह तो अपने आप में एक पुस्तिका थी।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री**: नहीं, तब यह लेख ही था। बाद में किसी लेख को पुस्तिका का रूप अवश्य दिया जा सकता है परन्तु शुरू में यह लेख ही था। इसी प्रकार भारत-चीन सीमा विवाद पर और भी पुस्तकें हैं। **चीन-भारत सीमासवाल पर नेहरू के दर्शन का पुनर्विश्लेषण** नामक एक और पुस्तका थी। इसी प्रकार की पुस्तिकायें हैं।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि पश्चिमी बंगाल के एक मंत्री ने कहा है कि भारत-विरोधी पर्चे बांटने के पीछे एक राजनैतिक दल के कुछ सदस्यों का हाथ था, यदि हां, तो क्या सरकार ने मामले की जांच की है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : यदि कोई ऐसी पुस्तिकायें बांटता हुआ मिलेगा तो स्वाभाविक है कि सरकार उस के या उन के विरुद्ध कार्यवाही करेगी। कुछ पर्चे प्रचारित किये गये थे। वास्तव में किस ने ऐसा किया, इस का अभी पता नहीं लगाया जा सका है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जसवन्त मेहता**: क्या मैं जान सकता हूं कि **क्या** सरकार उस एजेंसी का पता लगा पाई है जो इस भारत-विरोधी चीनी साहित्य का आयात कर रही है और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या उपाय किए हैं? क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में कोई गिरफ्तार किया गया है?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : जहां तक मैं जानता हूं कोई भी गिरफ्तार नहीं किया गया है; सिवाय इस के कि हमारा प्रयत्न यह है कि ऐसा साहित्य भारत में न आने दिया जाये और जहां कहीं वह मिलेगा या मिला है उसे नष्ट करदिया गया है।

†**श्री जसवन्त मेहता** : क्या सरकार उस एजेंसी का पता लगा पाई है जो इस साहित्य का आयात कर रही है?

†**श्रीलाल बहादुर शास्त्री** : ऐसी कोई एजेंसी नहीं हैजो कि इस साहित्य का आयात कर रहीहो। यह अलग अलग पतों पर अलग अलग स्थानों पर भेजा जा सकता है।

श्री कछवाय : श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि ऐसे साहित्य का देश में कम्यूनिस्ट कार्यकर्ताओं द्वारातेजी से प्रचार और प्रसार हो रहा है। यदि हां, तो इस बारे में सरकार क्या कर रही है?

श्री लाल बहादुर शास्त्री :कम्यूनिस्ट कार्यकर्ता उस में कितनी दिलचस्पी लेते हैं या ले रहे हैं, इस के बारे में मैं इसलिए कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि यह सवाल तो इस बारे में है कि बाहर से इस देश में क्या आ रहा है। बाहर से जो लिट्रेचर आता है, उस को हम कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं के हाथों में नहीं पहुंचने देना चाहते और न किसी और केहाथों में पहुंचने देना चाहते हैं। यह सही है कि दिल्ली में भीइस तरह के पैम्फलेट या साहित्य आने की बात कही गई है।

श्री विभूति मिश्र: क्या यह सही है कि हिन्दुस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं, जो वायरलेस से चीन को ख़बरें भेजते हैं और वे सारी चीजें चीन से छप कर हिन्दुस्तान में आती हैं।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : हमारी जानकारी में तो ऐसा नहीं है।

श्री तुलशीदास जाधव : मैं यह जानना चाहता हूं कि चाइना से जो लिट्रेचर यहां आता है, वह किस के नाम पर आता है।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : अलग अलग नामों पर आता है, लेकिन कुछ एक जगह ज्यादा आता है। मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य अभी नाम न पूछें, तो अच्छा हो।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार जानती है कि चीन की ओर झुकाव रखने वाले कुछ व्यक्ति साहित्य द्वारा चीन के पक्ष में झूठी झूठी बातें फैलाने में खुल्लम खुल्ला लगे हुए हैं, उन्हों ने कलकत्ता में भी ऐसा किया है जहां उन्हों ने एक पुस्तिका बांटी जिस का नाम. . .

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति। उन्हें प्रश्न करना चाहिये। इस का सम्बन्ध बाहर से आने वाले साहित्य से है।

†**श्री हेम बरुआ**: इस मामले को सीमा शुल्क प्राधिकारियोंपर छोड़ देने के अतिरिक्त सरकार ने सतर्कता और जासूसी को सक्रिय बनाने केलिए क्या उपाय किये हैं?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए हम अन्य उपाय कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री यु० सिं० चौधरी। क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया है कि पैम्फलेट्स और बड़ी बड़ी चीज भेजने के बजाय रेडियो से या और किसी जरिये से कुछ हिंट्स हमारे देश में भेजे जाते है और कुछ एजेंसीज उनको डेवेलप करके चीन के पक्ष में प्रचार कर रही है, जिसका परिणाम वही है जो कि उस लिट्रेचर को यहां एलाऊ करने से होगा, जिसको सरकार रोक रही है?

अध्यक्ष महोदय: यह दूसरा सवाल है।

श्री यु० सिं० चौधरी: लेकिन इसका आबजेक्ट तो वही है।

†**श्री न० रं० घोष:** माननीय मन्त्री ने अभी अभी कहा है कि ये पर्चे कुछ भारतीय व्यक्तियों को भेजे जाते है जो कि वास्तव में इस साहित्य को बांटते हैं यदि वे इस प्रकार विधि का उल्लंघन करते हैं तो क्या ऐसे किन्हीं व्यक्तियों को कभी पकड़ा गया है या पूछताछ तक भी की गई है?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री:** कोई ऐसी पूछताछ नहीं की गई है, कोई भी पुस्तिका या पर्चा किसी व्यक्ति को भी भेजा जा सकता है। उदाहरणतः, यदि कोई पत्र मुझे भेजा जाता है तो मैं समझता हूं कि गृह-कार्य मन्त्रालय मुझे जेल में नहीं डाल देगा या नजरबन्द नहीं करेगा।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त:** क्या मैं गृह-कार्य मन्त्री से जान सकता हूं कि क्या सरकार उस चीनी साहित्य में जो बाहर से आ रहा है और जिस पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार है ऐसे किसी साहित्य को भी सम्मिलित करती है जो भारत के साम्यवादी दल की आलोचना करता है?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री:** प्रश्न बाहर से साहित्य के आयात के बारे में है।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त:** क्या उसे प्रतिबन्धित किया जाएगा या आने दिया जाएगा?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री:** यदि प्रश्न यह है कि क्या यह साम्यवादी दल का विरोध करता है और आलोचना करता है कि उस पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाये, तो यह आवश्यक नहीं है।

†**श्री दाजी:** सीमा के विषय पर।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री:** हां, सीमा के विषय पर। परन्तु यदि देश की सुरक्षा पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो अवश्य ही उसे जब्त कर लिया जायेगा चाहे वह अमरीका, रूस, चीन, पूर्व योरोपीय देशों अथवा किसी और देश से आये।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास

+

†*६८३. श्री रामेश्वर टांटिया:
श्री विभूति मिश्र:
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद:
श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह:

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने भारत सम्बन्धी सस्ती पुस्तक प्रकाशित करने के लिये किसी योजना को अन्तिम रूप दिया है;

(ख) ये पुस्तकें किन किन विषयों पर प्रकाशित की जायेंगी; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या योजना ताराचन्द समिति की सिफारिशों के अनुसार बनाई जा गी ?

†शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन) : (क) जी हां ।

(ख) प्रस्तावित पुस्तकमाला में अन्त में भारत के सभी पहलू, देश और देशवासी आ जायेंगे ।

(ग) ताराचन्द समिति की सिफारिशें सामान्य रूप की थीं । न्यासने अपना कार्यक्रम बनाते समय उनको ध्यान में रखा है ।

†श्री रामेश्वर टांटिया : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या पुस्तक न्यास अन्य भाषाओं से हिन्दी में अनुदित पुस्तकें प्रकाशित करेगा ? क्या पहले ही वह ऐसी पुस्तकें प्रकाशित कर चुका है और यदि हां, तो क्या मैं उनकी संख्या जान सकता हूं ? यदि नहीं, तो क्या अन्य भाषाओं से भी पुस्तकें प्रकाशित करने का उनका विचार है ?

† श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन् : मोटी-मोटी चीजें निर्धारित कर ली गई हैं । पहली यह कि ऐसे विषयों पर पुस्तकें जो "विज्ञान और मानवशास्त्र" की श्रेणियों के अन्तर्गत आते हों, चाहे वे मौलिक पुस्तक हों अथवा अच्छे स्तर की विदेशी या भारतीय पुस्तकें हों; उनका अनुवाद केवल हिन्दी में ही न किया जाये अपितु अन्य भाषाओं में भी किया जाये । दूसरी यह कि संसार की सभी भाषाओं में से सर्वोत्तम किस्म की पुस्तकों का अनुवाद किया जाएगा । जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, नये न्यास के बन जाने और डा० केसकर द्वारा उसका काम सम्भाल लिये जाने के बाद कुछ पुस्तकों को छोड़ दिया गया है, कुछ गैर-सरकारी प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित करवाये जाने के लिये रख दी गई हैं और अन्य को कुछ विशेष भाषाओं में ही प्रकाशित किये जाने की स्वीकृति दी गई है । अब देश के सभी पहलुओं भौगोलिक, भूतत्वीय, वनस्पतिक, प्राणकीय तथा कृषि सम्बन्धी इत्यादि—के बारे में जानकारी देने के लिये "भारत देश और देशवासी" नामक पुस्तकों की एक नई माला प्रकाशित करने का विचार है । ४६ खण्डों की स्वीकृति दी जा चुकी है । पहले कुछ खण्ड जून या जुलाई १६६३ में प्रकाशित होंगे ।

†अध्यक्ष महोदय : अब उन्हें इन ब्यौरों में जाने की आवश्यकता नहीं है ।

†श्री रामेश्वर टांटिया : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ऐसी कोई पत्रिका निकालेगी जिसमें देश के नये प्रकाशनों की समालोचना होगी ?

†श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन : इस पर सोचा जाएगा ।

श्री विभूति मिश्र : बाहर से किताबें आयें या हिन्दुस्तान में छापी जायें मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे इतनी सस्ती होती हैं कि गरीब उनको पढ़ सकें ?

†श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन : इस तरह का तो कोई आवंटन नहीं है कि इतना बाहर की पुस्तकों के लिये और इतना अपने ही देश की पुस्तकों के लिये । समिति बना कर हमारे अपने ही लोग इन मालाओं की योजना बनाते हैं और वे विविध स्रोतों से सामग्री लेंगे ।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : नेशनल बुक ट्रस्ट के प्रकाशनों के लिए जो किताबें चुनी जाती हैं वे किस तरीके से और किस आधार पर चुनी जाती हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): नेशनल बुक ट्रस्ट एक स्वतन्त्र बोर्ड है । उनकी एक छोटी कमेटी है जो चुनती है इन किताबों को और प्रसिद्ध लेखकों को । खास करके जिन सीरीज का

---

†मूल अंग्रेजी में

हमारी डिप्टी मिनिस्टर साहिबा ने जिक्र किया है उनके बारे में देश में अपने-अपने क्षेत्र में जो प्रतिष्ठित लोग हैं, उनसे दरख्वास्त की गई है कि वे इस सीरीज में उनको लिखें ।

श्री यशपाल सिंह : ये सस्ती किताबें जिनका आयोजन सरकार कर रही है वे प्राइमरी क्लास से लेकर डिग्री क्लास तक सस्ते में बच्चों को क्या मिल सकेंगी ?

डा० का० ला० श्रीमाली : उस लेवेल पर तो अभी ....

†**श्री रंगा :** कृपया कुछ ऊंचा बोलिये ।

डा० का० ला० श्रीमाली: उस लेवेल पर तो अभी तैयार नहीं की गई हैं। साधारण लोगों के पास पहुंच सकें इस दृष्टि से इसको किया गया है। छोटे बच्चों के लिए यह योजना नहीं है। लेकिन हाई स्कूल्ज और कालेजिज में ये पुस्तकें जायेंगी तो उनसे ये लड़के भी लाभ उठा सकते हैं।

†**श्रीमती सावित्री निगम:** एक खण्ड की कीमत क्या होगी तथा क्या हिन्दी में भी कोई पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** कीमत सोची जा रही है ।

श्री काशी राम गुप्त : नेशनल बुक ट्रस्ट के जो चेयरमैन हैं, वे अवैतनिक हैं या उनको कुछ वेतन मिलता है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : चेयरमैन अवैतनिक हैं। उनको कोई तनख्वाह नहीं मिलती है ।

अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड

+

†*६८४. { **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री किशनचन्द्र सेठ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :
श्री भक्त दर्शन :
श्री भागवत झा आजाद :
श्रीमती जमुना देवी :
श्री राम हरख यादव
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री मुहम्मद इलियास:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कालेजों में शिक्षा के माध्यम के प्रश्न पर अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड के, जिसकी बैठक फरवरी, १९६३ में बम्बई में हुई थी, क्या निर्णय है;

(ख) क्या बोर्ड ने शिक्षा को राज्य सूची से निकाल कर समवर्ती सूची में सम्मिलित करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की थी, और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या दूसरे विश्वविद्यालयों से आने वाले छात्रों के लिये स्थान रक्षित रखने और डिग्री परीक्षाओं के लिये श्रेणीकरण की एकरूप प्रणाली के सम्बन्ध में कोई बोर्ड की सिफारिशों पर सरकार ने विचार कर लिया है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड ने शिक्षा और परीक्षा के माध्यम के प्रश्न पर विचार किया था और यह निश्चय किया कि अक्तूबर, १९६२ में देहली में हुये उपकुलपतियों के सम्मेलन में किये गये निर्णय का समर्थन किया जाए।

(ख) विश्वविद्यालय शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित कर देने का प्रस्ताव बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था। बोर्ड ने इसे अग्रेतर विचार के लिये अपनी स्थायी समिति के पास भेज देने का निर्णय किया।

(ग) अन्य विश्वविद्यालयों से आने वाले विद्यार्थियों के लिए स्थान रक्षित करने और डिग्री परीक्षाओं के लिये श्रेणीकरण की एकरूप प्रणाली के बारे में बोर्ड की सिफारिशों पर सरकार तब विचार करेगी जब बोर्ड से औपचारिक निर्देश प्राप्त होगा। यहां यह जोड़ दिया जाये कि फरवरी १९६३ में बम्बई में हुई बैठक की पूरी कार्यवाही का विवरण बोर्ड ने अभी भेजना है।

†श्री प्र० रं० चक्रवर्ती: क्या सरकार अपने लम्बे अनुभव के आधार पर बनाई गई राय हमें बतायेगी कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का मत उसे कहां तक स्वीकार्य हुआ है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली :बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के उपकुलपति अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड के सदस्यों में से एक हैं। उन्होंने कुछ सुझाव दिये थे कि शिक्षा समवर्ती विषय हो या यह केन्द्रीय सूची में होना चाहिये। अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड ने अब एक समिति नियुक्त की है और इस मामले को स्थायी समिति के सामने रखेगी। जहां तक सरकार के दृष्टिकोण का सम्बन्ध है, समय-समय पर यह प्रश्न सरकार के सामने आता रहा है और सदा उसका परीक्षण हुआ है। हमने मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में भी इस बात पर चर्चा की थी और सामान्य मत यह था कि जहां तक विश्वविद्यालयों का सम्बन्ध है, सरकार को प्रभावपूर्ण स्थान देने के लिये संविधान के वर्तमान उपबन्ध काफी सन्तोषजनक हैं।

†श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :इस बात का ध्यान रखते हुए कि अन्त में शिक्षा का माध्यम एक प्रादेशिक भाषा ही होगी सरकार ने इसके लिये क्या उपाय किये हैं कि मध्यवर्ती काल को कम से कम बनाया जाए ?

†डा० का० ला० श्रीमाली :मेरे मन्त्रालय की मांगों पर चर्चा के दौरान मैंने बताया.....

†श्री रंगा : श्रीमान्, क्या आप मन्त्री महोदय को कुछ ऊंचा बोलने के लिये कहेंगे वह जो कहते हैं हम समझ नहीं पाते।

†सभाध्यक्ष महोदय: शिकायत यह है कि उनकी बात सुनाई नहीं देती।

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० का० ला० श्रीमाली : मुझे खेद है, श्रीमन्। मैं जरा जोर से बोलूंगा। शिक्षा मंत्रालय की मांगों पर चर्चा के दौरान में ने कुछ उपायों के बारे में बताया था जो कि सरकार ने आवश्यक पाठय-पुस्पकों के प्रकाशन के लिये किये हैं। हम ने शिक्षा मंत्रालय में एक पाठय-पुस्तक विभाग नियुक्त किया है जो स्वयं एक पुस्तक तैयार कर रहा है। विश्वविद्यालयों में भी कुछ उपभाग बनाये गये हैं—बनारस विश्वविद्यालय में, देहली विश्व-विद्यालय में—जिन्होंने एक प्रकाशन कार्यक्रम हाथमें लिया है। हम ने कुछ अन्य विश्वविद्यालयों से भी इसे आरम्भ करने के लिए कहा है। मुझे आशा है कि इस वर्ष में हमारे पास विभिन्न विश्वविद्यालयों और विभिन्न निकायों द्वारा प्रकाशित की गई लगभग १०० से १५० मानक पुस्तकें होंगी। गुजरात और कलकत्ता जैसे अन्य विश्वविद्यालयों ने भी कार्यक्रम चालू किया है और मंत्रालय से सहायता के लिये निवेदन किया है। हम ने सहायता देना स्वीकार कर लिया है। अतः कार्यक्रम को आरम्भ किया जा रहा है और इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये आवश्यक उपाय किये जा रहे हैं।

श्री भगवत झा आजाद : ऐसी राज्य सरकारें जो मुस्तैदी के साथ क्षेत्रीय भाषाओं को अपने विश्वविद्यालयों में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के रूप में चलाना चाह रही हैं, क्या केन्द्रीय सरकार उनको किसी प्रकार की विशेष सहायता देने का विचार कर रही है?

डा० का० ला० श्रीमाली : सभी को लिखा गया है और जो भी इस में काम करेंगी, यूनिवर्सीज या राज्य सरकारें उनको भारत सरकार की तरफ से शत-प्रति-शत सहायता मिलेगी।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, इस अन्तः विश्वविद्यालय बोर्ड ने जो प्रस्ताव पास किया है, उसकी भाषा इस प्रकार है

> 'कि भारत के कालेजों में शिक्षा का माध्यम अभी अंग्रेजी ही रहेगा और उसके स्थान पर हिन्दी या प्रादेशिक भाषा को माध्यम तभी बनाया जा सकेगा जबकि उस पर पहले खूब सावधानी से विचार कर लिया जाएगा।

अतः मैं जानना चाहता हूं कि खूब सावधानी से विचार करने की क्या कोई अवधि निर्धारित की गई है और उस पर कब तक विचार होता रहेगा?

†डा० का० ला० श्रीमाली : अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड ने उस संकल्प का समर्थन किया है जो देहली में उपकुलपतियों के सम्मेलन ने पारित किया था। उपकुलपतियों के सम्मेलन ने राष्ट्रीय समन्वय परिषद् के संकल्प का सामान्यतः समर्थन किया है। प्रादेशिक भाषाओं और हिन्दी को अपना लेने का सिद्धान्त राष्ट्रीय समन्वय परिषद्, उपकुलपतियों के सम्मेलन तथा अन्तर्विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। प्रश्न आवश्यक और उपयुक्त तैयारी करने का है। माननीय सदस्य मानेंगे कि इस प्रकार के मामले में हम जल्दबाजी नहीं कर सकते। हमें आवश्यक उपाय करने होते हैं और पुस्तकों के प्रकाशन में उपयुक्त तैयारी करनी होती है तथा मंत्रालय ने विशेषतः विज्ञान और प्रविधि की पाठय-पुस्तकों के प्रकाशन के लिए एक बहुत व्यापक कार्यक्रम बनाया है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : जो विश्वविद्यालय राज्य सरकारों द्वारा चलाये जा रहे हैं उनको दूसरे विश्वविद्यालयों के समकक्ष लाने के लिए, उनकी पाठ्यावधि शिक्षा का माध्यम आदि

---

†मूल अंग्रेजी में

सब में एकीकरण करने के लिए, क्या इस प्रकार की कोई चर्चायें भी इस बोर्ड में हुई थीं कि इन सब को केन्द्रीय सरकार अपने संरक्षण में ले ले, यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

डा० का० ला० श्रीमाली: कुछ इस तरह का प्रश्न भी उठा था। जहां तक इंटर-यूनिवर्स्टी बोर्ड का ताल्लुक है, यह एक स्वतंत्र बोर्ड है और उन्हीं की एक कमेटी है। लेकिन जो यूनिवर्स्टी ग्रांट्स कमिशन है और जो वाइस चांसलर्ज हैं वे वक्त: वक्त पर तरह-तरह के कदम उठाते हैं यूनिवर्स्टीज में यूनिफार्मिटी लाने के लिए।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री: जब प्रश्न उठा था तो उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

डा० का० ला० श्रीमाली: जहां तक स्टैंडर्ड का ताल्लुक है, हम चाहते हैं कि सभी यूनिवर्स्टीज ऊंचे स्टैंडार्ड को अपनायें और ऊंचे स्टैंडर्ड तक आ सकें। जो नई यूनिवर्सिटीज हैं और खास करके जिन के स्टैंडर्डज में यूनिफार्मिटी नहीं है यूनिफार्म सिलेबस नहीं हैं, यूनिफार्म क्राइटारिया नहीं हैं, अगर उन से आपका मतलब है तो इसके सम्बन्ध में दो एजेंसीज काम करती हैं। एक तो इनफार्मल इंटर यूनिवर्स्टी बोर्ड है जोकि वक्त-वक्त पर देखता है कि सब यूनिवर्स्टीज के स्टैंडर्ड बराबर हैं या नहीं। दूसरे यूनिवर्स्टी ग्रांट्स कमिशन यूनिवर्स्टीज को इस दृष्टि से सहायता देता है कि उन सब का स्तर ऊंचा हो सके और सारे भारतवर्ष की यूनिवर्स्टीज एक ही स्तर की हो सकें। इसका मतलब यह नहीं है कि सभी यूनिवर्स्टीज यकसां हो जाय क्योंकि फैकल्टीज तरह-तरह की होता हैं यूनिवर्स्टीज में और हर एक यूनिवर्स्टी दूसरी यूनिवर्स्टी के एक से पैमाने पर नहीं आ सकती हैं। लेकिन कोशिश की जा रही है कि सब के स्टैंडर्ड ऊंचे हों।

†**श्रीहरिश्चन्द्र माथुर:** शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तान्तरित करने के बारे में प्रश्न के भाग (ख) का उल्लेख करते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि क्या राज्य सरकारों ने अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड में इस पर विचार करने की सहमति दे दी थी जिसकी अन्यथा कोई अधिकारिता नहीं है?

†**डा० का० ला० श्रीलाली:** जैसा कि मैं ने कहा इस मामले पर मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में विचार किया गया था और इसे स्थगित कर दिया गया था। उस समय इस पर को निर्णय नहीं लिया गया था। परन्तु अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड कोई भी सिफारिश करने के लिये स्वतन्त्र है।

श्री यशपाल सिंह: सारे भारत में एजुकेशन एक ही मीडियम से दी जाय इस के बारे में सरकार कब तक निर्णय कर के किस आधार पर पहुंच रही है?

डा० का० ला० श्रीमाली: यह सम्भव नहीं है।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद: क्या बोर्ड की इस बैठक में त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्य-क्रम के सम्बन्ध में भी विचार किया गया था? यदि विचार किया गया था तो क्या इस तरफ भी ध्यान दिया गया था कि बहुत से विश्वविद्यालयों ने लागू करना तो दूर इस पर विचार भी नहीं किया है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है?

---

†अन्न अंग्रेजी में

डा० का० ला० श्रीमाली: यह विस्तृत प्रश्न इस में से नहीं उठता है। अभी जो इंटर यूनिवर्स्टी बोर्ड की रिपोर्ट है वह मेरे पास आने वाली है। मैं उसे सदन की टेबल पर रख दूंगा और जो निर्णय इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ने लिया है, उस के बारे में माननीय सदस्य देख सकते हैं।

संघ राज्य क्षेत्रों में सेवा पदाली' का निर्माण

†*६८५. **श्री रिशांग किशिंग**: क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे संघ राज्य-क्षेत्र कौन से हैं जिन्होंने अपनी सेवा पदाली बना ली है; और

(ख) सरकार का अन्य संघ राज्य-क्षेत्रों में भी इसी प्रकार की पदाली कब बनाने का विचार है?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस)**: (क) देहली और हिमाचल प्रदेश के लिये निम्नलिखित संयुक्त सेवा पदालियां बनाई गई हैं:

१. सुयुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा पदालियां।

२. संयुक्त देहली-हिमाचल प्रदेश असैनिक/पुलिस सेवा पदालियां।

(ख) अन्य संघ राज्य-क्षेत्रों के उचित पद देहली-हिमचल प्रदेश की संयुक्त पदालियां में से किसी न किसी में सम्मिलित की जायें या न, यह प्रश्न विचाराधीन है।

†**श्री रिशांग किशिंग**: क्या मैं पूछ सकता हूं कि देहली और हिमाचल प्रदेश के लिये इन सेवा पदालियों का बनाया जाना क्यों आवश्यक समझा गया है तथा मनीपुर, त्रिपुरा और अन्य संघ राज्य-क्षेत्रों के लिये ऐसा करना क्यों आवश्यक नहीं समझा गया है?

†**श्री हजरनवीस**: ऐसा करने का विचार है।

†**अध्यक्ष महोदय**: वह जानना चाहते हैं कि मनीपुर- त्रिपुरा तथा अन्य संघ राज्य-क्षेत्रों के लिये ऐसा ही किया जाना क्यों संभव नहीं समझा गया है।

†**श्री हजरनवीस**: ये पदालियां देहली और हिमाचल प्रदेश के लिए बनाई गई हैं परन्तु अन्य संघ राज्य क्षेत्रों को भी सम्मिलित करने के प्रस्ताव पर सक्रिय विचार हो रहा है और हम शीघ्र ही निर्णय कर सकेंगे।

श्री भक्त दर्शन: इस तरह का जो संयुक्त काडर बनाया जा रहा है उस में क्या संघीय क्षेत्रों के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दी जायेगी?

श्री हजरनवीस: इस के लिये आल इंडिया बोर्ड है, उसी के मुताबिक होगा।

अध्यक्ष महोदय: इस में जो स्थानीय आदमी हैं क्या उन को प्राथमिकता दी जायेगी?

†**श्री हजरनवीस**: अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती के बारे में नियम हैं जो लागू होंगे और जहां तक स्थानीय सेवा से अधिकारियों की पदोन्नति का सम्बन्ध है, उनके लिये निर्धारित कोटा होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

‡Service Cadre

†**श्री रिशांग किशिंग** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या राज्य सरकार की एक मांग है कि इस संघ राज्य क्षेत्रों के लिये सेवा पदालियों को देहली और हिमाचल प्रदेश के लिये इन पदालियों में से किसी एक में सम्मिलित कर दिया जाये और यदि ऐसा नहीं है तो क्या मैं जान सकता हूं कि इन क्षेत्रों के लिये एक पृथक पदाली क्यों नहीं बनाई जा सकी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अब तर्क कर रहे हैं।

†**श्री हजरनवीस** : या तो एक ही पदाली होगी या त्रिपुरा और मनीपुर के लिये एक अलग पदाली होगी परन्तु जैसा हमें अब परामर्श दिया गया है हम इस प्रश्न की जांच कर रहे हैं कि क्या एक सामान्य पदाली नहीं हो सकती।

"विलायक निस्सारण" संयंत्र[1]

†*६८६. **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह** : क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकारी क्षेत्र में "विलायक निस्सारण" संयंत्र स्थापित करने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो यह संयंत्र कब और कहां पर स्थापित होगा ?

†**खान और इंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री तिम्मय्या)** : (क) जी नहीं.

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

†**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के प्रयत्न किये हैं कि क्या तेल निस्सारण की यह विशेष प्रक्रिया मशीन से पेरने की वर्तमान प्रक्रियाओं से अधिक अच्छी और सुचारू है तथा यदि हां, तो उस जांच के परिणाम क्या हैं ?

†**श्री तिम्मय्या** : ये विलायक सामान्यतः वनस्पति तेल निकालने के लिये प्रयुक्त किये जाते हैं और वे सामान्यतः रबड़ उद्योग तथा रोगन उद्योग में भी प्रयुक्त किये जाते हैं।

†**श्री सुरेन्द्र पाल सिंह** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस प्रक्रिया से निकाला गया वनस्पति तेल मानव उपभोग के लिये उपयुक्त है या कि यह सर्वथा औद्योगिक प्रयोग के लिये ही है ?

†**श्री भागवत झा आजाद** : हमें पहले प्रश्न का उत्तर चाहिये। उस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल ही नहीं दिया गया है। हम जानना चाहते हैं कि क्या सरकार ने देखा है कि यह प्रक्रिया मितव्ययी है कि नहीं ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री के० डे० मालवीय)** : नहीं। मुख्य प्रश्न के भाग (क) का उत्तर 'नहीं' है। मंत्रालय ने इस पर विचार नहीं किया है। इसका उत्तर देना वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का काम है जिसने कि इसके सभी पहलुओं पर विचार करना है।

परन्तु मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि कोयाली में स्थापित किये जा रहे गुजरात तेलशोधक कारखाने में विलायक बनाने वाला एक यूनिट हमारे तेलशोधक कारखाने के अशोधित आसवन यूनिट के साथ सम्बद्ध होगा तथा वह विभिन्न श्रेणियों के ५,०००, १०,००० या १५,००० टन तक की विलायकों की कुछ मात्रायें तैयार करेगा। जहां तक प्रयोग का सम्बन्ध है इसके बारे में परामर्श देना वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का काम है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] "Solvent Ex-traction" Plantx

कालेज आफ़ सर्वे (सर्वेक्षण महाविद्यालय)

*६८७. **श्री भक्त दर्शन :** क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'सर्वे आफ इंडिया' (भारत सर्वेक्षण विभाग) के अधीन एक 'कालेज आफ सर्वे' (सर्वेक्षण महाविद्यालय) स्थापित करने का निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसके उद्देश्य, कार्य-प्रणाली और वित्तीय पहलुओं को दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ;

(ग) उक्त कालेज की स्थापना में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(घ) कालेज को हैदराबाद के स्थान पर देहरादून में स्थापित करने के क्या विशेष कारण हैं ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ), सवाल पैदा नहीं होते ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस विद्यालय की स्थापना के बारे में कोई विचार किया जा रहा है या नहीं? यदि स्थापित नहीं किया गया तो क्या इस पर विचार तो किया जा रहा है ?

†**डा० म० मो० दास :** इस प्रकार की एक संस्था स्थापित करने का प्रस्ताव भारत सरकार के सामने है परन्तु वर्तमान स्थिति और सरकार की वित्तीय कठिनाइयों को देखते हुए हम ने अभी इस पर कोई अधिक विचार नहीं किया है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, जब कभी यह विद्यालय स्थापित किया जायेगा क्या उस समय इस बात का ध्यान रक्खा जायेगा कि चूंकि देहरादून में पहले से सर्वे का हेडक्वार्टर है, वहां इस के लिये भूमि भी उपलब्ध है और वहां ट्रेनिंग की भी सुविधायें हैं, इस लिये यह विद्यालय देहरादून में ही स्थापित किया जाये ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह केवल एक सुझाव है ।

नहरकटिया–बरौनी तेल पाइपलाइन

+

†*६८८. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री महेश्वर नायक :
श्री राम सहाय पाण्डेय : }

क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नहरकटिया–बरौनी तेल पाइपलाइन डालने का काम पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) बरौनी तेल शोधक कारखाने के कब तक पूरा हो जाने की आशा है जिससे नूनमाटी-बरौनी पाइपलाइन चालू हो जाये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†खान और इंधन मंत्री के संसदीय सचिव (श्री तिम्मय्या) : (क) और (ख). नहरकटिया से बरौनी तक अशोधित तेल की पाइपलइन फरवरी १९६३ में पूरी हो गई थी।

(ग) बरौनी तेलशोधक कारखाने की पहली अवस्था के अक्तूबर–दिसम्बर, १९६३ के दौरान चालू हो जाने का कार्यक्रम है।

†श्री प्र० चं० बरुआ: क्या यह सच है कि पाइपलाइन का निर्माण इंग्लैंड और पश्चिम जर्मनी के इंजीनियरों द्वारा किया गया था जब कि बरौनी तेलशोधक कारखाना रूसी सहकारिता से बनाया गया था? यदि हां, तो क्या दोनों अभिकरणों के बीच योजना और समन्वय की कमी है जिसके कारण विलम्ब हुआ है? यदि नहीं, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं?

†खान और इंधन मंत्री (श्री के० डे० मालवीय): जहां तक मैं जानता हूं सारी पाइपलाइन को तेलक्षेत्र से लेकर बरौनी तक एक ही दल अर्थात् ठेकेदारों ने बनाया था। हो सकता है कि कहीं कहीं रूसियों ने परामर्श दिया हो क्योंकि बरौनी तेलशोधक कारखाना उन्हीं के द्वारा बनाया गया था। संभव है कि कुछ परामर्श माना गया हो कुछ न माना गया हो। यदि माननीय सदस्य विशेष रूप से जानना चाहते हैं तो वह एक अलग प्रश्न की सूचना दें और तब मैं उत्तर दूंगा।

†श्री प्र० चं० बरुआ : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या बरौनी तेलशोधक कारखाने का कोई शोधन यूनिट पूरा कर लिया गया है? यदि हां, तो क्या इस पाइपलाइन का कम से कम आंशिक उपयोग करने के लिये उसे चालू किया जा सकता है?

†श्री के० डे० मालवीय: नहीं। यदि ऐसा होता तो पाइपलाइन का उपयोग कर लिया गया होता। हमारा पहला शोधन यूनिट अक्तूबर–नवम्बर में तैयार होगा। हमें दो तीन महीने की देर हो गई है जिसको कि रोका नहीं जा सकता। और १५–३० दिन का विलम्ब हो सकता है। हम इसे यथाशीघ्र करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

†श्री महेश्वर नायक : तेलशोधक कारखाने को अशोधित तेल की कितनी मात्रा के भेजे जाने की संभावना है तथा शोधित उत्पादों की मात्रा क्या होगी?

†श्री के० डे० मालवीय: इस समय बरौनी तेलशोधक कारखाने को २० लाख टन प्रति वर्ष की मात्रा लेने के लिये तैयार किया गया है। पहली अवस्था में यह १० लाख टन आसवन से आरम्भ करेगा और कुछ महीनों के बाद यह अगले १० लाख भी ले लेगा। १९६५–६६ तक इस तेलशोधक कारखाने का विस्तार ३० लाख टन तक कर देने का प्रस्ताव है। उस समय अधिक अशोधित तेल पैदा किया जायेगा।

†श्री विश्राम प्रसाद : युद्ध के समय तेलशोधक कारखाने और पाइपलाइन को बचाने के लिये सरकार क्या सावधानी बरत रही है या बरतने का विचार रखती है?

†श्री के० डे० मालवीय: इस प्रश्न का उत्तर प्रतिरक्षा मंत्रालय को देना चाहिये।

†श्री प्र० प्र० जैन : उन सावधानियों को प्रकट भी नहीं किया जाना चाहिये।

श्री कछवाय: मैं जानना चाहता हूं कि इस पाइपलाइन को दिल्ली तक लाने का काम कब तक पूरा हो जायेगा?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री के० दे० मालवीय: यह पाइपलाइन दिल्ली तक नहीं आयेगी। यह बरौनी से दूसरी पाइपलाइन चलेगी जिस में से जो प्रोडक्ट्स वहां पर रिफाइन होंगे, जैसे मिट्टी के तेल वगैरह, या दूसरी चीजें उन को लाने का इरादा है। अभी इस के बारे में प्लैनिंग हो रही है, प्रोजेक्ट बनने की तैयारी हो रही है।

श्री हेम बरुआ : एक पिछले अवसर पर माननीय मंत्री ने कहा था कि बरौनी तथा कलकत्ता के बीच तेल उत्पादों की पाइपलाइन में थोड़ा सा रूपभेद किया जा सकता है। क्या मैं इस रूपभेद का स्वरूप जान सकता हूं ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जी, हां, मैं ने इस प्रकार की कोई बात कही थी। तेल उत्पादों के बरौनी से कलकत्ता लाने की हमारी योजनाओं में कुछ रूपभेद किया जा सकता है क्योंकि उस अवस्था में जब कि हमें किन्हीं परिस्थितियों के अधीन सम्भरण न मिल सके हम कलकत्ता से बरौनी तक कुछ अशोधित तेल ले जाने की सम्भावनाओं पर अब विचार कर रहे हैं। उस दृष्टिकोण से हम अब दो पाइपलाइनें बनाने का अथवा एक ऐसे ढंग में व्यवस्था करने का विचार कर रहें हैं जिससे कि दोनों ही प्रयोजनसिद्ध हो सकें, अर्थात् तेल उत्पाद बरौनी से कलकत्ता वितरण के लिये ले जाये जा सकें और अशोधित तेल कलकत्ता से बरौनी लाया जा सके।

†**श्री कृ० चं० पन्त**: क्या पाइपलाइनों के पूरा हो जाने के पश्चात् जांच के लिये कुछ परीक्षण किये गये हैं, और यदि हां, तो क्या परिणाम पूर्णतः संतोषजनक हैं ?

†**श्री के० दे० मालवीय**: मुझे ज्ञात नहीं है क्योंकि अभी अशोधित तेल का इस ओर कोई उपयोग नहीं है, परन्तु उन्होंने उसके दबाव, चू जाने और ऐसी सब बातों के सम्बन्ध में उसकी जांच की होगी। उन्होंने यह किया होगा परन्तु मैं इससे अवगत नहीं हूं।

†**श्री भागवत झा आजाद**: अब तक जो पाइपलाइन बनाई गई है क्या वह इस स्थिति में है कि जब इस शोधशाला की क्षमता ३० लाख टन तक बढ़ा दी जायेगी तो इसके लिये जितनी मात्रा में तेल की आवश्यकता होगी उसे वह ले जा सकेगी ?

†**श्री के० दे० मालवीय**: जी, हां। यह प्रश्नविचाराधीन है। योजना यह है कि रूपभेद किया जाय, कुछ और पम्प लगाये जायें और ऐसे सब कार्य किये जायं और मुझे आशा है कि हमारे विशेषज्ञ व्यय में अधिक वृद्धि किये बिना ही इतनी मात्रा में तेल भेजने का प्रयत्न करेंगे।

श्री विभूति मिश्र : इस पाइपलाइन से जो रिफाइंड तेल जाएगा, क्या उसके बारे में सरकार ने कोई टारजेट बनाया है कि उत्तर बिहार में कितना खर्च किया जाएगा और दूसरी जगहों को कितना भेजेंगे ?

श्री के० दे० मालवीय: शोधित किए हुए तेल का खर्चा बिहार में कितना होगा और दूसरी जगहों पर कितना होगा, इसका तखमीना लगाया जाएगा।

श्री त्यागी: तरकारी छोंकने के काम तो नहीं आएगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों की अदला-बदली

†*६८९. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों की अदला-बदली की योजना को अन्तिम रूप दिया जा चुका है तथा लागू कर दिया गया है; और

(ख) इस अदला-बदली की शर्तें क्या हैं तथा कितने अधिकारियों की अदला-बदली हो चुकी है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस)**: (क) भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों की अदला-बदली की एक योजना को प्रयोगात्मक आधार पर अपनाये जाने के लिये अनुमोदित कर दिया गया है ।

(ख) इस योजना के अधीन अभी तक अधिकारियों को कोई अदला-बदली नहीं हुई है । योजना की मुख्य मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:—

(१) भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों का बराबर संख्या में विनिमय किया जायेगा, और पहले पहले प्रत्येक सेवा से लगभग १२ अधिकारियों का विनिमय किया जायगा ।

(२) साधारणतया, इस योजना के अधीन केवल उन्हीं अधिकारियों के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा जो ८ से लेकर १५ वर्ष तक सेवा कर चुके हैं । इस योजना के अन्तर्गत चुने गये भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को पहले विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में प्रथम सचिवों के रूप में नियुक्त किया जायेगा और राजनीतिक कार्य की अपेक्षा साधारणतया उन्हें वाणिज्यिक तथा आर्थिक और सम्भवतया वाणिज्य दूतिक कार्यों पर लगाया जायगा, अथवा चांसरी में नियुक्त किया जायेगा । भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को केन्द्रीय मंत्रालयों में उप-सचिवों अथवा अवर-सचिवोंके रूप में नियुक्त किया जायेगा ।

(३) प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्ष होगी जिसे कि अपवादस्वरूप मामलों में चार वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है ।

(४) चुने हुए अधिकारी सभी मामलों में अपने प्रतिनियुक्ति काल में अपने पुराने वेतन-क्रम पर ही वेतन लेते रहेंगे और सामान्य विदेश भत्ता पाने के अधिकारी होंगे ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर**: एक सेवा से दूसरी में प्रतिनियुक्ति करने के लिये इन अधिकारियों को चुनने की क्या प्रक्रिया होगी और क्या सभी अधिकारियों की इच्छाओं तथा अभिरुचियों पर विचार किया जायेगा ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: स्वाभाविक ही, इसे, सम्बन्धित विभाग पर छोड़ना होगा। वैदेशिक-कार्य मंत्रालय तथागृह-कार्य मंत्रालय नामोंकी एक सूची तैयार करेंगे । राज्य सरकारों से भी परामर्श लिया जायगा । वास्तव में, हमने राज्य सरकारों को उनकी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के नाम भेजने के लिये लिख दिया है । सामान्यतया, यह

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रक्रिया होगी । क्योंकि संख्या बहुत थोड़ी है, अर्थात् १२, अतः हम एक बहुत लम्बी प्रक्रिया नहीं बना सकते ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर**: क्या योजना को अन्तिम रूप देने से पहले, वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी विदेश सेवा के लिये काफी उपयुक्त है और यह कि विदेश सेवा का कोई अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिय काफी उपयुक्त है, अथवा उनके स्थानान्तरित किये जाने से पहले उन्हें कोई तैयारी कराई जाती है या प्रशिक्षण दिया जाता है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री**: जैसा कि मेरे सहयोगी ने बताया है, यह केवल एक प्रयोगात्मक उपाय है । यह कहना पूर्णतः ठीक नहीं होगा कि प्रत्येक अधिकारी दूसरे कार्य को कर सकता है, परन्तु जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी विदेशों में अथवा दूतावासों में भेजे जाते हैं वे स्वाभाविक रूप से ही राजनीतिक कार्य की अपेक्षा आर्थिक तथा वाणिज्क कार्य पर अधिक ध्यान देंगे ।

†**श्री सिंहासन सिंह**: यह योजना कैसे प्रारम्भ हुई ? क्या इसका सूत्रपात स्वयं भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों द्वारा ही किया गया था अथवा यह सरकार का विचार हुआ था ? क्या किसी विदेशी से सरकार में ऐसी प्रथा चल रही है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री**: अन्य देशों के सम्बन्ध में मैं विशिष्ट रूप से कोई बात नहीं बता सकता । परन्तु इस पर वैदेशिक कार्य मंत्रालय द्वारा विचार किया था जिसने कि गृह-मंत्रालय को सुझाव दिया । मेरा विचार है कि यह एक अच्छी योजना है और हमें इसकी परीक्षा करनी चाहिये तथा देखना चाहिये कि यह किस प्रकार कार्य करती है ।

†**श्री त्यागी**: मैं यह जानना चाहता हूं कि इस मामले में वैदेशिक कार्य मंत्रालय की प्रार्थना के सम्मुख गृह-मंत्रालय क्यों झुक गया ? यदि उनकी उपलब्धियों तथा शिक्षा सम्बन्धी अर्हताओं का एक ही स्तर है तो दोनों कोटियों[2] को मिला क्यों नहीं दिया जाता जिससे कि वे अपने अनुभवों की अदला-बदली कर सकें ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री**: मुझे खेद है । यह तो मैं ने अभी अभी बताया था । मैंने बताया था कि उन अधिकारियों को, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को, जिन्हें कि वैदेशिक कार्य मंत्रालय में भेजा जाना है अर्थशास्त्र जैसे विषयों में विशेष अनुभव होगा और वे मुख्य रूप से आर्थिक तथा वाणिज्यिक मामलों में कार्य करेंगे । भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को राजनीति सम्बन्धी कार्य तथा अन्य कार्य भी करने होंगे ।

†**श्री अ० प्र० जैन**: माननीय गृह मंत्री को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को विदेश सेवाओं में प्रतिनियुक्त करने के कुछ कारण बताये हैं । परन्तु किन कारणों से उन्होंने भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के रूप में कार्य करने के लिये स्थानान्तरित किया ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री**: उनकी व्यवस्था, खपाने आदि के कारण जो समस्यायें वास्तव में उत्पन्न हुई हैं मैं उन पर उसी ढंग से विचार करता हूं । उदाहरणार्थ, ऐसा भी हुआ कि एक

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Emoluments

[2]Caders.

ही समय पर उनकी नियुक्ति करने, उनका स्थानान्तरण करने और विभिन्न स्थानों में उनकी पदस्थापना करने में उन्हें कठिनाई हुई । कभी कभी कुछ फालतू संख्या बच जाती है । और भी दूसरी कठिनाइयाँ हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने गृह-कार्य मंत्रालय को लिखा था। इसके अतिरिक्त, मेरा विचार है कि माननीय सदस्यों को इस कारण से ही कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये कि भारतीय प्रशासनकि सेवाओं तथा भारतीय विदेश सेवाओं के लिये एक ही प्रतियोगात्मक परीक्षायें होती हैं । यदि उनमें से कुछ को स्थानीय समस्याओं पर कुछ अनुभव है तो यह और अच्छा ही होगा ।

राजस्थान में अर्द्ध-संवाही चट्टान[1]

+

†*६९१. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री राम हरख यादव :
श्री महेश्वर नायक :
श्री जं० ब० सिंह बिष्ट :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में भीलवाड़ा के निकट अर्द्ध-संवाही चट्टान का पता लगा है जिसका ट्रांजिस्टर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) और (ख). राजस्थान की एक प्राकृतिक चट्टान की पतली पतली परतों को काट कर तैयार किये गये ट्रांजिस्टरों का प्रयोग करने वाले रेडियो प्रापक (रिसीवरस) एक वैज्ञानिक द्वारा राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली में प्रदर्शित किये गये थे । तदापि, राजस्थान में चट्टान के स्थल अथवा सैटों को तैयार करने के ब्यौरों के सम्बन्ध में जानकारी प्रकट नहीं की गई थी ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या किसी बाहर देश ने मंत्रालय को एक नोट भेजा है कि ट्रांजिस्टर बनाने के लिये वे इस चट्टान का उपयोग करने को तैयार हैं ?

†**श्री हुमायून कबिर :** इस संबंध में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या यह कार्य केवल राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला को ही सौंप दिया जायेगा अथवा अनुसंधान करने के लिये अन्य प्रयोगशालाओं का भी उपयोग किया जायेगा ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** संबंधित वैज्ञानिक को कहा गया था कि वह इन सैटों को छोड़ जाय जिससे कि वह पिलानी भेजे जा सकें जहां कि केन्द्रीय इलैक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग गवेषणा संस्था है जो कि भली-भांति साज सज्जित है और जिसका उपयोग किया जा सकता है। हम उसके उत्तर पर विचार कर रहे हैं ।

†**श्री महेश्वर नायक :** क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के एक विभाग के भूतपूर्व अध्यक्ष ने सरकार से उनके अधीन अनुसंधान संस्थाओं में और आगे अनुसंधान कराने की प्रार्थना की है और यदि हां, तो उस दिशा में क्या प्रगति की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Semi-conducting rocks.

†**श्री हुमायून कबिर:** जैसाकि मैंने अभी कहा था, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में कुछ र्शन किये गये थे और इस वैज्ञानिक से प्रार्थना की गई थी कि वह उन वस्तुओं को हमारे पास ओड़ दे। हम अवश्य ही इसका अनसरण करेंगे।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** क्या चट्टान उस वैज्ञानिक ने प्राप्त की थी जिसने कि यह प्रयोग किया था, अथवा यह चट्टान उसे प्रयोगशाला द्वारा दी गई थी ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** जैसाकि मैंने बताया है, हमें चट्टान के स्थल के संबंध में ज्ञान नहीं है। उसने स्वयं ही इसका पता लगाया था। मैं यह कह कर इसकी व्याख्या कर सकता हूं कि यह एक विशेष प्रकार की बनी हुई चट्टान है जो कि कभी कभी थोड़ी थोड़ी मात्राओं में मिलती है, और अगर यह अधिक मात्रा में मिल जाये तो निश्चय ही वाणिज्यिक रूप से यह एक बहुत ही आकर्षक वस्तु होगी। परन्तु हम तब तक अधिक नहीं जानते जब तक कि उचित सर्वेक्षण न हो जाय। भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था सामान्य रूप से राजस्थान के खनिज संसाधनों का सर्वेक्षण कर रही है परन्तु अभी तक उन्होंने भी यह सूचना नहीं दी है कि इस विशेष प्रकार की चट्टानें किसी बड़ी मात्रा में मिली हैं।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या यह सच है कि इस चट्टान के आविष्कारकने इसके एकस्व अधिकारों को स्वयं अपने पास रखने की बजाय सरकार से यह प्रार्थना की है कि वे इन एकस्व अधिकारों को ले लें।

†**श्री हुमायून् कबिर:** वास्तव में हमने उसे यह आश्वासन दिया है कि यदि वह राजस्व अधिकारों को स्वयं अपने ही पास रखना चाहता है तो वह उन्हें रख सकता है। यदि वह इन्हें हमको देता है तो निश्चय ही हम इस पर विचार करेंगे।

श्री विश्राम प्रसाद : क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जैसा कि हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा था कि इस तरह के सस्ते ५० रुपये में ट्रनसिस्टर्स बनाये जायेंगे, तो क्या इस तरह की कोई फैक्टरी खोलने का विचार है जिसमें कि इस तरह के सस्ते ट्रैनसिस्टर्स पबलिक को मिल सकें ?

अध्यक्ष महोदय: यह तो दूसरा सवाल है।

†**श्री काशी राम गुप्त :** क्या भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था से राजस्थान के इस स्थल को खोजने के लिये कहा गया है ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** वह सामान्य रूप से सर्वेक्षण कर रहे हैं। जैसाकि मैंने अभी बताया था यह विशेष प्रकार की चट्टान थोड़ी थोड़ी मात्रा में कहीं कहीं मिलती है। यह तब तक आर्थिक रूप से लाभदायक नहीं है जब तक कि भारी मात्रा में न मिले, जिस स्थिति में कि यह आर्थिक रूप से लाभदायक होगी तथा हम भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था से इसका पता लगाने के लिये कहेंगे।

उड़ीसा में खनन पट्टे

†*६९२. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी:** क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा उड़ीसा में किसी खनन पट्टे का पुनरीक्षण किया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो गत सात वर्ष में ऐसे कितने मामले हुए तथा क्या उड़ीसा सरकार ने भी पहले दिये गये कुछ पट्टों के पुनरीक्षण के लिये कहा था; और

(ग) भारत सरकार ने कितने मामलों में पुनरीक्षण करने की अनुमति दी है?

†**खान और इंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री तिम्मय्या)**: (क) जी, हां। संस्थाओं से पुनरीक्षण के लिये प्रार्थनापत्रों के प्राप्त होने पर अथवा जैसा कि नियमों में उपबन्धित है राज्य सरकारों से निर्देशों के प्राप्त होने पर पुनरीक्षण किया गया था।

(ख) और (ग). गत सात वर्षों में, पुनरीक्षण के लिये आये कुल ३६१ प्रार्थनापत्रों में से ६ प्रार्थनापत्रों पर अनुमति दे दी गई थी। स्वयं राज्य सरकारों द्वारा किये गये चार निर्देशों में से तीन को केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमति दे दी गई थी।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : जो पुनरीक्षण किये गये थे उनकी संस्थाओं में से एक क्या सिराजुद्दीन एंड कम्पनी भी थी?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : मैं इस से अवगत नहीं हूं। जो कागजात मेरे सामने हैं जहां तक उनका संबंध है, उनमें सिराजुद्दीन एंड कम्पनी जैसी कोई संस्था नहीं दी हुई है परन्तु मैं और जांच पड़ताल करूंगा और इसके संबंध में माननीय सदस्य को बताऊंगा।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी**: वह कौन कौन से खनन पट्टे हैं जिनका केन्द्रीय सरकार ने, उड़ीसा सरकार का विरोध होते हुये भी, पुनरीक्षण किया है?

†**श्री के० दे० मालवीय**: मेरे सामने जो जानकारी रखी हुई है, वह सामान्य है अर्थात् जैसा कि मैंने बताया है ३६१ में से राज्य सरकारों के ६ आदेश पुनरीक्षित किये गये थे। मैं यह नहीं जानता कि क्यों और किन परिस्थितियों के अधीन यह कार्य किया गया था।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी**: संस्था का नाम मंत्री महोदय के पास नहीं है?

†**श्री के० दे० मालवीय**: वह मेरे पास नहीं है। एक १६५८ में पुनरीक्षित किया गया था, दूसरा १६५६ में तथा तीसरा १६६१ में। १६६२ में छः पुनरीक्षित किये गये थे।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच नहीं है कि १६५६ के पुनरीक्षित औद्योगिक नीति संबंधी संकल्प में यह विशेष रूप से निर्धारित किया गया था कि मैंगनीज अयस्क के लिये खनन पट्टे किसी भी गैर-सरकारी संस्था को नहीं दिये जायेंगे और यदि हां, तो क्या यह सच है कि सरकार ने गैर-सरकारी संस्थाओं को खनन पट्टे दिये हैं, विशेषरूप से उड़ीसा की सिराजुद्दीन एंड कम्पनी को, और यदि माननीय मंत्री के पास यह जानकारी नहीं है तो क्या यह इसकी जांच करेंगे?

†**श्री के० दे० मालवीय**: यह सच है कि औद्योगिक नीति संबंधी संकल्प की अनुसूची क के अधीन खनिज पदार्थ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिये सुरक्षित किये गये हैं। परन्तु औद्योगिक नीति संबंधी संकल्प में यह भी निर्धारित है कि जहां कि क्षेत्र बहुत छोटे अथवा अकेले कटे हुये हैं, जहां कि सरकारी क्षेत्र की परियोजनायें इसे लेने की स्थिति में नहीं है, और फिर भी उन खानों को चलाना उद्योग के लिये लाभदायक है। तो फिर राज्य सरकारों की सिफारिशों का विरोध नहीं किया जायेगा और हम कोई आपत्ति नहीं उठायेंगे। मैं यह नहीं जानता कि १६५६ के पश्चात सिराजुद्दीन एंड कम्पनी को कोई लाइसेंस या पट्टा दिया गया था अथवा नहीं। मैं इसकी जांच पड़ताल करूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री द्वा० ना० तिवारी:** क्या यह सच है कि सिराजुद्दीन एंड कम्पनी की पुनरीक्षण याचिका को उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार को भेजा था और वह रद्द कर दी गई थी?

†**श्री के० दे० मालवीय :** वास्तव में, मेरे पास पट्टे संबंधी प्रार्थनापत्रों की ऐसी कोई सूचनायें नहीं हैं जो विशेषरूप से सिराजुद्दीन एंड. कम्पनी से संबंधित हों परन्तु साधारणतया यह कहा जा सकता है कि राज्य सरकारों की सिफारिशें यहां पुनरीक्षित नहीं की जातीं, यहां रद्द नहीं की जातीं, तब तक कि संबंधित संस्थाओं द्वारा किसी भी रूप में नियमों अथवा विधियों का उल्लंघन न किया गया हो । अपील किये जाने पर ही भारत सरकार इसमें भाग लेती है । अन्यथा, सामान्य रूप से सरकार राज्य सरकारों की सिफारिशों को स्वीकार कर लेती है। यदि किसी विशेष कारण से सिराजुद्दीन एंड कम्पनी के संबंध में कोई सिफारिश भारत सरकार के पास आई होगी तो सामान्य ढंग से ही उस पर विचार किया गया होगा ।

कोयला श्रेणीकरण सम्बन्धी प्रतिवेदन

†**६९३. श्री कछवाय:** क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला श्रेणीकरण संबंधी विशेषज्ञ समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या सिफारिश की गई है ;

(ग) क्या सरकार का विचार उन सिफारिशों को क्रियान्वित करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

खान और इंधन मंत्री के सभा सचिव (श्री तिम्मय्या): (क) जी हां ।

(ख) से (घ). समिति की मुख्य सिफारिश यह है कि सारे कोयलों का, चाहे वह कोककर या अकोककर[1] हों, उष्मीय मूल्य के आधार पर वर्गीकरण होना चाहिये । प्रस्तावित पद्धति के अन्तर्गत कोयले के उष्मीय मूल्य[2] को ५५०० ब्रिटिश थरमल यूनिट्स प्रति पाऊण्ड से लेकर १२९५० ब्रिटिश थरमल यूनिटस प्रति पाऊंड तक की १५ श्रेणियोंमें वर्गीकरण किया गया है । अन्य सिफारिशें इन ग्रेडों के निर्णय करने की पद्धति से संबंधित है, जसे कि आई० एस० आई० स्टैण्डर्डस के अनुसार न्यादर्शन और विश्लेषण[3] के तरीके, विशिष्ट आकारों के कीचड़ पट्टियों का निकालन, लिये जाने वाले नमूनों की आवृत्ति और संख्या तथा एक अनन्तिम ग्रेड एवं उत्तरोत्तर एक अन्तिम ग्रेड देने की पद्धति । फिलहाल ये सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं ।

श्री कछवाय: श्रीमान्, इस समय अच्छे किस्म का कोयला तैयार करने के लिये कोयले को धुलाई के कारखाने देश में कितने हैं ?

श्री के० दे० मालवीय: उनकी ठीक संख्या तो मुझे ज्ञात नहीं है लेकिन तीन, चार इस वक्त बन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं और ५ या ६ बन कर तैयार भी होचुके हैं जहां कोयलाधोया जा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Coking or non cocking.

[2]Colorific Value.

[3]Sample and analysis.

श्री कछवाय: तीसरी योजना में कोयले की धुलाई के कारखाने किन किन राज्यों में खुलने जा रहे हैं सरक ार के पास क्या ऐसी कोई योजना है ?

श्री के० दे० मालवीय: इस बारे में मेरे पास इस समय कोई सूचना नहीं है।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त:** कोयले के इसउष्मीय श्रेणीकरण से कोयले के मूल्यों के ढांचे पर कहां तक प्रभाव पड़ेगा और क्या मूल्यों के ढांचे को पुनरीक्षित करना होगा?

†**श्री के० दे० मालवीय** : सरकार कीमत को कोयले के उष्मीय मूल्य से परस्पर संबंधित करने के सम्पूर्ण प्रश्न पर विचार कर रही है। जैसाकि मैंने मुख्य उत्तर में बताया है कोयले की लगभग १५ श्रेणियों का वर्गीकरण करने का विचार है। स्वभावत: ही हम कीमतों के प्रतिरूप की संख्या को इतना कम करना पसंद करेंगे जितना कि सम्भव हो सकता है, परन्तु फिर भी उष्मीय मूल्य के अनुसार कीमत में कुछ अन्तर होगा ही ।

†**श्री हेम बरुआ:** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ ही अधिक प्रतिशत मात्रा में राख का अंश होने के कारण कोयले की किस्म में सहगामी गिरावट आ रही है, क्या मैं जान सकता हूं सरकार इस बात को रोकने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : निम्न श्रेणी के कोयले को उपयोग में लाने का हल केवल यही है उसे धोया जाय तथा उसका सम्मिश्रण किया जाय जिससे कि उसे औद्योगिक प्रयोजनों के लिये प्रयोग किया जा सके। सरकार प्रत्येक कोयले की खान को अथवा छोटी छोटी खानों के एक समूह को एक एक वाशरी से मिलाने का विचार कर रही है जिससे कि कोयले की किस्म में सुधार हो सके। इसी समय मध्यम श्रेणी के कोयलों[1] का प्रश्न भी उठता है क्योंकि मध्यम श्रेणी के कोयले धुले हुए कोयलों के उपोत्पाद होंगे और वह विद्युत् वाले कारखानों में उपयोग किये जायेंगे ।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ़:** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बहुमुखी औद्योगिक विकास हो रहा है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उद्योगों के लिये धुला धुलाया कोयला प्राप्त करने की पद्धति से उद्योगों की आवश्यकताओं की गति के अनुसार ही कोयला उपलब्ध हो रहा है और यदि हां तो किस सीमा तक ?

†**श्री के० दे० मालवीय:** जी, हां; कोककर तथा अकोककर कोयलों के सम्बन्ध में हम औद्योगिक आवश्यकताओं की गति के साथ साथ ही चलने का प्रयत्न कर रहे हैं। जहां कहीं भी हम कोककर कोयले को उपयोग में नहीं ला सकते वहां हम धोकर तथा सम्मिश्रण करके अधिक अच्छी किस्म का कोयला लाने का प्रयत्न करते हैं परन्तु हमारे नवीन तम कार्यक्रम के अनुसार हमें आशा है कि तृतीय योजना काल के अन्त तक हमारे पास कोयले का उत्पादन कम नहीं होगा। वास्तव में हम अपनी आवश्यकता से कुछ अधिक उत्पादन कर रहे होंगे ।

†**श्री कृ० चं० पंत:** देश में कोककर कोयले की कमी को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार कोयले के भंडार सुरक्षित रखने के लिये कोई कदम उठा रही है और क्या कोककर कोयले के उपयोग के सम्बन्ध में कुछ पूर्ववर्तितायें निर्धारित की जा रही हैं ।

†**श्री के० दे० मालवीय :** जी हां, बहुत कुछ ऐसा ही रहै। हम कोयले का संरक्षण करने के लिये भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। परन्तु गत कुछ दशाब्दियों में उत्तम प्रकार के कोयले का कुछ दुरुपयोग हुआ है परन्तु इसकी मात्रा बहुत अधिक नहीं है। इस प्रकार कोयला धोने का कार्यक्रम उन उपायों में से

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Middlings.

एक है जिनसे हम कोयले का संरक्षण करना चाहेंगे और रेलवे को भी बुलाहुआ अकोकर कोयला संभरित करने का विचार है ।

†**श्री स० चं० सामन्त:** यह विशेषज्ञ समिति कब स्थापित की गई थी और उनके द्वारा कितनी खानों का दौरा किया गया था ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** श्रीमन्, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये मुझे सूचना दिये जाने की आवश्यकता है ।

†**श्री भागवत झा आजाद :** यह सिफारिशें उस उपाय का कहां तक उल्लेख करती हैं जिससे कि हम जहां अच्छी श्रेणी का कोयला संभरित किया जाना है वहां पर निम्न श्रेणी के कोयले को चोरी छिपे मिलाने के मार्गों को बन्द कर सकें ?

†**श्री क० दे० मालवीय :** कोयले के उत्पादन का प्रश्न, इसके परिष्करण का प्रश्न और इसे उचित उपयोग के लिये भेजने का प्रश्न — यह सब प्रश्न एक दूसरे से सम्बन्धित हैं क्योंकि कोयले की खानें बहुत सी हैं, कभी कभी किस्म की दृष्टि से कोयले के उपयोग को नियंत्रित करना कठिन हो जाता है। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि नियमों तथा विनियमों का प्रभाव हो रहा है और शनैः शनैः हम कोयले के उचित उपयोग का नियंत्रण कर रहे हैं ।

कोठागुडियम में निम्न तापमान कार्बनीकरण संयंत्र

†*६९४. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोठागुडियम, आंध्र प्रदेश, में निम्न तापमान कार्बनीकरण संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव इस समय किस स्थिति में है ;

(ख) प्रस्तावित संयंत्र की क्षमता क्या होगी ; और

(ग) उसके लिये कितने धन की आवश्यकता है?

†**खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री तिम्मय्या)** : (क) से (ग). सरकारी क्षेत्र में तीन निम्न तापमान कार्बनीकरण संयंत्रों को स्थापित करने के प्रस्ताव में, जिनमें से एक कोठागुडियम (सिंगरेनी) में स्थापित किया जाना था, आंतरिक तथा विदेशी दोनों ही प्रकार के पर्याप्त संसाधनों की कमी के कारण कोई प्रगति नहीं हुई है । तदापि, हाल ही में गैर-सरकारी क्षेत्र में कोठागुडियम में एक निम्न तापमान कार्बनीकरण संयंत्र स्थापित करने के लिये श्री हाशिम मेहदी द्वारा दिये गये एक प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया है और औद्योगिक लाइसेंस जारी किये जाने के समय तक के लिये इस आशय का एक पत्र भेज दिया गया है । परियोजना की ३ करोड़ ५० लाख रुपये की लागत पर प्रति वर्ष ३६ लाख टन कोक का उत्पादन करने की क्षमता होगी ।

†**श्री ईश्वर रेड्डी** : इस अनुमानित धन राशि में कितने विदेशी मुद्रा का व्यय अन्तर्निहित है ?

†**श्री तिम्मय्या** : लगभग १२५ लाख ।

†**श्री ईश्वर रेड्डी:** क्या इस परियोजना को प्रारम्भ करने के लिये कोई समय निर्धारित है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री तिम्मय्या: यह लगभग १९६४ में प्रारम्भ की जायेगी।

†श्री श्यामलाल सर्राफ़ : किस समय तक इस संयंत्र के चालू हो जाने की आशा है? दूसरे, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस संयंत्र से किये गये उत्पादन को देश के केवल उसी भाग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये उपयोग किया जायेगा अथवा यह और कहीं भी भेजा जायेगा?

†खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : हमारी उपभोग की योजनाओं के सम्बन्ध में अभी से हमारा कुछ स्वीकार कर लेना एक बहुत अपरिपक्व समय पर कुछ कहना होगा।

सुडामडीह में गहरे कूप वाली कोयला खान

+

†*६९५. श्री रा० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या खान और इंधन मंत्री १ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ३२० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुडामडीह, धनबाद, में गहरे कूप वाली (डीप शैफ्ट) कोयला खान की स्थापना में पोलेंड के सहयोग से कितनी सहायता मिली है ;

(ख) क्या पोलेंड का सहयोग कोयला तैयार करने की प्रक्रिया, जैसे कोयला धोने के कारखानों का निर्माण तथा खनन मशीनों का उत्पादन, के लिये भी किया जायेगा ; और

(ग) क्या गहरे कूप वाली दूसरी खान खोलने के लिये कोई करार हुआ है?

†खान और इंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री तिम्मय्या) : (क) पोलेंड के तकनीकी सहयोग से सुडामडीह में दो कूप खोदने का काम अनुसूची के अनुसार हो रहा है। १९६४ के अन्त तक ये कूप पूरे हो जायेंगे।

(ख) कोयला धोने के कारखाने के पुर्जों तथा खनन मशीन के देश में निर्माण के लिये पोलेंड का सहयोग लिया गया है। वह कोयला धोने का कारखाना भी बना रहे हैं।

(ग) केन्द्रीय झरिया क्षेत्र में स्थित दूसरे गहरे कूप को खोदने के उपकरण का संभरण करने के लिये दिसम्बर, १९६२ में एक करार किया गया है।

†श्री रा० बरुआ : क्या पोलेंड के सहायता करने वाले भारत से वस्तुओं खरीदेंगे अथवा उनको विदेशी मुद्रा दी जायेगी ?

†खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : उनको भारतीय वस्तुयें खरीदने का अधिकार होगा। उसके सम्बन्ध में भारत सरकार तथा पोलेंड सरकार के बीच एक विस्तृत करार हुआ है।

†श्री रा० बरुआ : क्या हमको वस्तुओं की सूची बताई जा सकती है?

†श्री के० दे० मालवीय : इस समय मेरे पास सूची नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या यह सच है कि पोलैंड के साथ इस सहयोग में दस कोयला धोने के कारखाने तथा नौ गहरे कूप वाली खानों की १९७० तक स्थापना की व्यवस्था है ?

†**श्री के० दे० मालवीय**: जी हां, कल ही पोलैंड की सरकार तथा हमारे बीच एक करार हुआ है कि कोयले के उद्योग के विकास के लिये सहयोग की योजना बनायें। क्योंकि गहरा खनन उनका विशेष कार्य है इसलिये उन्होंने १९७०-७१ तक ऐसे दस कोयला खानें बनाना स्वीकार कर लिया है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : दूसरी गहरे कूप वाली खान कब तथा कितनी लागत से स्थापित की जा रही है। और पोलैंड की सरकार से हमें क्या सहायता मिलने जा रही है'?

†**श्री के० दे० मालवीय**: झरिया में दूसरे गहरे कूप वाली खान की मुझे पूरी जानकारी नहीं है। यदि वह ब्योरे जानना चाहते हैं तो पूर्व सूचना दें ।

पेट्रोलियम संस्था, देहरादून

*६९६. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पहले देहरादून में एक पेट्रोलियम संस्था स्थापित करने का निर्णय किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उसके उद्देश्य, कार्य-प्रणाली और वित्तीय पहलुओं को दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा; और

(ग) संस्था की स्थापना में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी हां ।

(ख) इंस्टीट्यूट का उद्देश्य निम्नलिखित विषयों में रिसर्च करके पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उद्योगों के विकास में मदद करना है। (१) परिष्करण और पेट्रोकेमिस्ट्री (२) पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एप्लिकेशन और जानकारी तथा प्रशिक्षार्थियों को इकट्ठा करना । अनुमानित खर्चे १८३.३० लाख रुपये अनवर्ती और इंस्टीट्यूट में पूरा स्टाफ नियुक्त हो जाने पर २४ लाख रुपये आवर्ती है ।

(ग) यह इंस्टीट्यूट केन्द्रीय सड़क अनुसंधान इंस्टीट्यूट में स्थित अस्थाई प्रयोगशालाओं में चल रहा है, लेकिन देहरादून में इंस्टीट्यूट का टेक्नोलाजिकल ब्लाक करीब-करीब पूरा हो गया है और मुख्य भवन पर काम शुरू हो चुका है। एक कार्यभारी उपनिदेशक नियुक्त किया जा चुका है और आशा की जाती है कि जुलाई, १९६५ तक इंस्टीट्यूट पूरी तरह काम करने की हालत में आ जायेगा ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस इंस्टीट्यूट की स्थापना में और इसका कार्य प्रारम्भ करने में इतनी देरी क्यों हुई है ?

श्री हुमायून् कबिर: देरी का कोई सवाल नहीं है । १९५९ में यह डिसिज़न हुआ था कि यह इंस्टीट्यूट मुकर्रर किया जाये । १९६०-६१ में काम शुरू हुआ और १९६१ से सैंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट में लैबारेटरी में थोड़ा-थोड़ा काम शुरू हो गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : क्या यह सत्य है कि इस इंस्टिट्यूट को स्थापित करने के लिए १,३० लाख रुपये की योजना तैयार की गई थी, लेकिन प्लानिंग कमीशन ने उस को काट कर करीब १ करोड़ रुपया कर दिया? मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कमी क्यों की गई और क्या इस वजह से इस काम को आघात नहीं पहुंचेगा?

श्री हुमायून कबिर: मैं ने पहले भी इस हाउस में बताया है कि रिसर्च के लिए जो रुपया दरकार होगा, उसका इन्तज़ाम किया जायगा।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या भारत के विश्वविद्यालयों में इस विषय को लागू करने का यत्न किया जा रहा है?

†**श्री हुमायून कबिर**: विभिन्न टैक्नालाजिकल संस्थाओं में रासायनिक इंजीनियरिंग तथा विभिन्न प्रकार के संबद्ध विषय पढ़ाये जा रहे हैं। यह विश्वविद्यालय निश्चित करेंगे कि वह पैट्रोलियम टैक्नालाजी का विशेष पाठ्यक्रम रखेंगे अथवा नहीं।

ग़ैर-सरकारी क्षेत्र के कोयला उद्योग के लिए ऋण

†*६६७. { +**श्री प्र० चं० बरुआ** :
श्री रामेश्वर टांटिया:
श्री ओंकार लाल बेरवा:
श्री सरजू पाण्डय: }

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल में ही गैर-सरकारी क्षेत्र के कोयला उद्योग को ऋण संस्थाओं द्वारा दिये जाने वाले ऋणों पर आंशिक प्रत्याभूति (गारण्टी) की योजना की स्वीकृति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

†**खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री तिम्मया)**: (क) जी हां

(क) योजदा की मुख्य बातें नीचे दी जाती हैं: —

(१) भारत सरकार के अभिकर्ता के रूप में इस योजना के भार रिफाइनैंस कारपोरेशद फार इंडस्ट्री, लिमिटेड को सौंप दिया गया है।

(२) योजना उन पेशगी धन पर लागू है जो बैंक कोयला खान उपक्रमों को विश्व बैंक द्वारा दिये गये ऋण की विदेशी मुद्रा पर मशीनों का आयात करने के लिए देता है।

(३) ऋण का पुनः भुगतान न करने पर गारंटी संगठन अर्थात रिफाइनैंस निगम का संबंधित बैंक में ६५ : ३५ अनुपात में नुकसान बट जायेगा।

†**श्री प्र० चं० बरुआ**: किन परिस्थितियों के कारण यह सहायता अथवा ऋण की गारंटी गैर-सरकारी क्षेत्र को पेश की गई?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : समस्त प्रश्न पर खुलासा तौर पर विचार किया गया था। और यह ठीक समझा गया था कि कोयला उद्योग से उतना लाभ नहीं हुआ

†मूल अंग्रेजी में

जितना सामान्य साधन से ऋण मिलने के लिए ठीक होगा । इस बीच विदेशी मद्रा उपलब्ध की गई है जिस से कोयला उत्पादन का कार्यक्रम बढ़ाया जा सके । कोयला उद्योग ने योजना के लिए रुपया उपलब्ध करने में अयोग्यता बताई है । इसलिए बहुत विचार करने के बाद भारत सरकार अर्थात् वित्त मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों ने यह निर्णय किया है कि प्रश्न के उत्तर में बताये गये तरीके के अनुसार ऋण की गारंटी हमें उन्हें देनी चाहिए । मैं समझता हूं कि उन कोयला खान मालिकों जिन्होंने विदेशी साधनों से ऋण का लाभ उठाया है वह भारत सरकार की इस सहायता का लाभ उठायेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

प्रश्न संख्या ६९८ के बारे में

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मेरा अनुरोध है कि प्रश्न संख्या ६९८ को लिया जाये ।

†**श्री म० ला० द्विवेदी**: यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है । यह नई दिल्ली के एक पत्रकार की मृत्य के बारे में है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि माननीय मंत्री उस का उत्तर देना चाहें तो वह उसका उत्तर दे सकते हैं ।

†**गृह-कार्य मत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस)**: मैं उत्तर पढ़ दूंगा परन्तु अनुपूरक न पूछे जायें क्योंकि जांच हो रही है ।

†**अध्यक्ष महोदय**: माननीय मंत्री का कहना है कि वह उत्तर पढ़ देंगे परन्तु अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे । परन्तु यदि अनुपूरक प्रश्न ठीक हुए तो मैं उनको अस्वीकार किस प्रकार कर सकता हूं । प्रश्नकाल समाप्त होने पर माननीय मंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह चाहें तो उत्तर दें ।

†**श्री हेम बरुआ** : हमने सोचा कि हम इसे पूर्व दृष्टान्त बना लेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय**: मेरी यही कठिनाई है । माननीय मंत्री ने मना कर दिया है । मुझे खेद है ।

प्रश्नों के लिखत उत्तर

'कोकिंग' कोयला

†*६९०. **श्री गु० बसु** : क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय 'कोकिंग' कोयले का अनुमानित रक्षित भंडार कितना है; और

(ख) क्या 'कोकिंग' कोयले का अनुमानित रक्षित भंडार वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये तथा उस समय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये जब सरकारी क्षेत्र के तीन तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के दो इस्पात कारखाने पूरी लक्ष्य-क्षमता प्राप्त कर लेंगे, पर्याप्त समझा गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) १९५० में किये गये निर्धारण के आधार पर २५,००० लाख टन के कोकिंगकोयले के अनुमानित रिज़र्व हैं। नया अनुमान बनाया जा रहा है।

(ख) जी हां।

नई दिल्ली में पत्रकार की मृत्यू

†*६९८. **श्री दी० चं० शर्मा:**
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्रीमती सवित्री निगम :
श्री महेश्वर नायक :
श्री कछवाय :
श्री ओंकारलाल बरवा :
श्री बड़े :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंडारा रोड पर रहने वाले नई दिल्ली के एक पत्रकार १८ मार्च, १९६३ को अपने बिस्तर पर मरे पाये गये ;

(ख) क्या उनकी मृत्यु के कारणों की जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). तीन व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। मृत व्यक्ति की कुछ सम्पत्ति उनसे तथा उनके सम्बन्धियों से मिली बताई जाती है। मामले की जांच हो रही है।

शारीरिक शिक्षा, मनोरंजन और युवक कल्याण संबंधी समिति

*६९९. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **शिक्षा** मंत्री २१ नवम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या २९४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शारीरिक शिक्षा, मनोरंजन और युवक कल्याण की विभिन्न योजनाओं में सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से डा० हृदय नाथ कुंजरू की अध्यक्षता में नियुक्त की गई समिति मे अपने कार्य में अब तक क्या प्रगति की है; और

(ख) उक्त समिति देर से देर कब तक अपना प्रतिवेदन दे देगी ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) समिति की १३ बैठकें हुईं और इसने बहुत से व्यक्तियों से भेंट की। ३० मार्च, १९६३ को हुई अपनी बैठक में समिति ने रिपोर्ट के मसौदे पर विचार किया और यह निश्चय किया कि मसौदे पर आगे विचार करने के लिए समिति की बैठक फिर से जल्दी ही बुलाई जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अध्यक्ष से अनुरोध किया गया है कि वे समिति की रिपोर्ट यथाशीघ्र प्रस्तुत कर दें। आशा है समिति लगभग दो महीने में अपनी रिपोर्ट को पूरा कर देगी।

सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास

†*७००. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने केन्द्रीय नागरिक परिषद् के सहयोग से नेफा समेत सभी सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों के सामाजिकआर्थिक विकास की योजना लागू की है;

(ख) यदि हां, तो योजना की रूपरेखा क्या है; और

(ग) इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) जी हां।

(ख) और (ग). सामाजिकआर्थिक कार्यक्रम के अधीन केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड जरूरतमंद औरतों तथा अपंग व्यक्तियों को प्रशिक्षण तथा रोज़गार के अवसर देने के विचार से छोटे पैमाने के उद्योगों में उत्पादन एकक स्थापित करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता देता है। अनुदान तथा ऋण के रूप में सहायता दी गई है।

आरम्भ में बोर्ड का विचार सीमा क्षेत्रों की आवश्यकताओं का अध्ययन करने का है। उस के बाद उत्पादन एककों की स्थापना के लिए उचित स्थान चुना जायेगा और इसका निर्णय किया जायेगा कि इन एककों में किन वस्तुओं का उत्पादन हो।

कलकत्ता का आनुवंशिकी तथा जीवाकिकी अनुसंधान एकक

१३६४. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद**: क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि प्रो० हाल्डेन ने कलकत्ता की आनुवंशिकी (जैनेटिक्स) तथा जीवाकिकी (बायोमैट्री) अनुसंधान यूनिट से त्यागपत्र दे दिया ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

वैज्ञानिक अनुसंधन और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबीर): (क) और (ख), जी हां। ३१ जुलाई, १९६२ से। आदरणीय सदस्य का ध्यान उस विवरण की ओर दिलाया जाता है जो मैंने १८ जून, १९६२ को सदन में दिया था।

बहुउद्देश्यीय विद्यालय

१३६५. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या शिक्षा मंत्री २७ फरवरी, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या १४९ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चुने हुए २२ बहुउद्देश्यीय विद्यालयों की राज्यवार संख्या क्या है ;

(ख) क्या इन विद्यालयों की प्रगति का अध्ययन किया गया है ; और

(ग) यदि ये विद्यालय सफल रहे हैं, तो क्या इनकी संख्या बढ़ाने का विचार है?

---

†मूल अंग्रेजी में

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (ग). विवरण संलग्न है।

विवरण

प्रत्येक राज्य को एक एक और उत्तर प्रदेश को दो के हिसाब से २२ स्कूलों में से १६ स्कूलों का नियतन कर दिया गया है। संघीय क्षेत्रों में चुने जाने वाले स्कूलों की संख्या निम्नांकित है :—

दिल्ली	२
हिमाचल प्रदेश	१
मणिपुर	१
त्रिपुरा	१
पाण्डिचेरी	१
जोड़	६

स्कूलों को चुनने का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। यह योजना १९६३–६४ से प्रारम्भ होगी। इसलिए इसकी प्रगति और योजना की सफलता अथवा असफलता के बारे में अभी कुछ कहना संभव नहीं है।

उपयुक्त तथ्यों को देखते हुए भाग (ग) के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में प्रचीन अवशेष

†१३६६. **श्री रामचन्द्र मल्लिक**: क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में जिन स्मारकों और प्राचीन अवशेषों को केन्द्रीय सरकार के पुरातत्व विभाग ने १९६२–६३ में अपने हाथ में ले लिया है, उनके विकास और मरम्मत के लिए कितनी रकम मंजूर की गयी ; और

(ख) १९६३–६४ में कितनी रकम खर्च की जाने वाली है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) ७४,१३६ रुपया।

(ख) ७९,६२६ रुपया।

कटक जिले में ललितगिरी

†१३६७. **श्री रामचन्द्र मल्लिक**: क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कटक जिले (उड़ीसा) में ललितगिरी पर जिसे केन्द्रीय सरकार के पुरातत्व विभाग ने अपने हाथ में ले लिया है, अब तक कितनी रकम खर्च की गयी है ; और

(ख) १९६३–६४ में ललितगिरी के विकास पर कुल कितना रकम खर्च की जाने वाली है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य-मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) १९६२–६३ में १,१५१ रुपया।

(ख) १,११० रुपया।

काशी नागरी प्रचारिणी सभा

†**१३६८. श्री रणन्जय सिंह :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काशी नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी को आकर ग्रन्थमाला के अन्तर्गत हस्तलिखित पुस्तकों के प्रकाशन के लिए कितनी राशि का अनुदान (कब-कब) दिया गया है ;

(ख) क्या १९६२–६३ के वित्तीय वर्ष में काशी नागरी प्रचारिणी सभा को हस्तलिखित पुस्तकों के प्रकाशनार्थ कोई अनुदान दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो कितना ; और

(घ) क्या १९६३–६४ के वित्तीय वर्ष में काशी नागरी प्रचारिणी सभा को हस्तलिखित पुस्तकों के प्रकाशनार्थ कोई अनुदान दिया जाना है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :

(क)	रु० ५,०००	दि० ११–५–१९५४
	" ५,०००	दि० ३०–९–१९५५
	" ५,०००	दि० २७–१२–१९५६
	५,०००	दि० २२–१–१९५८
	" ५,०००	दि० १२–५–१९५९

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) विषय विचाराधीन है।

दिल्ली में नया विश्वविद्यालय

†**१३६९. श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या शिक्षा मंत्री १४ नवम्बर, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३७९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में एक नया विश्वविद्यालय स्थापित करने की दिशा में और आगे क्या प्रगति हुई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह सुझाया है कि इस संबंध में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त समिति को अपना काम काज जारी रख कर किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिये ताकि दिल्ली में एक दूसरा विश्वविद्यालय खोलने का निश्चय करने से पहले सभी प्रारंभिक छानबीन पूरी हो जाये।

†मूल अंग्रेजी में

अन्ध्र प्रदेश म सोने की खानें

†१३७०. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **खान और इंधन** मंत्री १० नवम्बर, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामगिरी सोना क्षेत्रों में खोज कार्य के बारे में भारतीय खान कार्यालय ने अपनी राय जाहिरकी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) भारतीय खान कार्यालय सोने के लिए विस्तृत खोज अभी करा रहा है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

आई सी० एस० अफसरों का वेतन निश्चित करना

†१३७१. **श्री ई० मधुसूदन राव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री १० नवम्बर, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८० के उत्तर के संबंध में बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १४ अगस्त, १९४७ के बाद बनाये गये पदोंपर नियुक्त आई० सी० एस० अफसरों का वेतन निर्धारित करने के बारे में कोई निर्णय इस बीच किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). अभी इस विषय पर विचार किया जा रहा है ।

उड़ीसा में प्रकाशकों को सहायता

†१३७२. **श्री उलाका** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने १९६१–६२ और १९६२–६३ में नवसाक्षरों के लिए साहित्य और स्कूलशिक्षासंबंधी साहित्यकेक्षेत्र में उड़ीसा के प्रकाशकों, मुद्रकों और पुस्तक विक्रेताओं को कोई वित्तीय सहायता दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) जी हां, १९६२–६३ में।

(ख) नवसाक्षरों के लिए पुस्तकों/पांडलिपियों की पुरस्कार प्रतियोगिता योजना के अधीन, उड़िया में पुरस्कार विजेता 'प्रगति पथे भारत' की १५०० प्रतियां खरीदी गयीं और लेखक-प्रकाशक को १२०० रुपया दिया गया।

उड़ीसा में हार्ड और साफ्ट कोक

†१३७३. **श्री उलाका** : क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२–६३ में उड़ीसा में हार्ड और साफ्ट कोक की कुल कितनी आवश्यकता थी ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) १९६२–६३ में उड़ीसा को वास्तव में कितना कितना हार्ड और साफ्ट कोक दिया गया ;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने अपनी आवश्यकता का पूरा कोयला सप्लाई करने के लिए कोई अभ्यावेदन किया था; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्रवाई की गयी ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख), उड़ीसा के लिए १९६२–६३ में निर्धारित हार्ड कोक और साफ्ट कोक का कोटा और वास्तव में भेजी गयी मात्रा इस प्रकार रही :—

(मालडिब्बों में आंकड़े)

	नियमित कोटा	तदर्थ नियतन	कुल	भेजा गया
साँफ्ट कोक	८४०	८९	९२९	८२१
हार्ड कोक . . .	१६८	१८१	३४९	३११

(ग) और (घ), हार्ड कोक की आवश्यकता के बारे में उड़ीसा सरकार का अपना निजी अनुमान १०० मालडिब्बे प्रतिमास था और साँफ्ट कोक के बारे में भी उतना ही था। लेकिन जैसा कि दूसरे राज्यों के मामले में हुआ है, राज्य सरकारों द्वारा रखी गयी मांगों के मुकाबले में कोटा, परिवहन क्षमता और हार्ड कोक और साफ्ट कोक की उपलब्धि के अनुसार निर्धारित किया गया था। फिर भी उड़ीसा के मामले में, हार्ड कोक और साफ्ट कोक के तदर्थ नियतन किये गये थे और हार्ड कोक की वास्तविक ढुलाई नियमित कोटे से कहीं अधिक थी ।

उड़ीसा में पोलिटेकनिक

†१३७४. **श्री उलाका** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में उड़ीसा में कितने पोलिटेक्निक खोलने का विचार है; और

(ख) तीसरी योजना की अवधि में उपर्युक्त प्रयोजन के लिए कितनी रकम निर्धारित की गयी है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) राज्य की योजना में दो पोलिटेक्निक पहले ही शामिल किये जा चुके हैं और एक अतिरिक्त पोलिटेक्निक का प्रस्ताव राज्य सरकार ने अभी हाल ही में रखा है।

(ख) ५० लाख रुपये ।

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में सम्बद्ध कालेजों के अध्यापक

†१३७५ श्री उलाका : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने १९६२-६३ में अध्यापकों के वेतनक्रम बढ़ाने के लिए उत्कल विश्वविद्यालय (उड़ीसा) के सम्बद्ध कालेजों और हाई स्कूलों को कोई वित्तीय सहायता दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) (क) १९६२–६३ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उत्कल विश्वविद्यालय से सम्बद्ध दो गैर-सरकारी कालेजों के अध्यापकों के वेतनक्रम बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता दी है। आयोग हाई स्कूल अध्यापकों से संबंधित नहीं है।

(ख) ब्यौरा इस प्रकार है :

कालेज का नाम	दी गयी रकम
	रुपये
१. भद्रक कालेज, भद्रक (१९५७–६२ तक के वर्षों के लिए बकाया)	१३,६९९·६५
२. खलिकोट कालेज, बहरामपुर (१९६१–६२ वर्ष के लिए बकाया)	१६,९००.००

उड़िया नाटक के लिए अनुदान

†श्री १३७६. श्री उलाका : क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगीत नाटक अकादमी ने १९६२–६३ में उड़िया नाटकों के विकास के लिए उड़ीसा को कोई वित्तीय सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबीर) : (क) और (ख). १९६२–६३ में संगीत नाटक अकादमी ने निम्नलिखित अनुदान मंजूर किये :

संस्था का नाम	रकम	अनुदान का प्रयोजन
	रुपये	
१. उत्कल संगीत समाज, कटक	४,४००	ओडीसी शैली में "श्री कृष्ण बाल्य-लीला" नामक नृत्य नाटक तैयार करने के लिए
२. उड़ीसा संगीत परिषद्, पुरी	१,०००	बच्चों के नाटक उत्सव के लिए

†मूल अंग्रेजी में

इसके अलावा मंत्रालय ने 'नये नाटक तैयार करने के लिए थियेटरों को सहायता' योजना के अधीन १९६२-६३ में निम्नलिखित अनुदान मंजूर किये हैं:—

संस्था का नाम	रकम	अनुदान का प्रयोजन
	रुपया	
१. जनता रंगमंच, कटक	७,५००	उड़िया में 'आदिवासी' नामक नया नाटक तैयार किया
२. अन्नपूर्णा थियेटर ग्रुप 'ए' पुरी	७,५००	उड़िया में 'सिंहद्वार' नामक एक नया नाटक तैयार करने के लिए

पश्चिम बंगाल में पाकिस्तानियों की तथाकथित गिरफ्तारी

†१३७७. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, १९६२ से नादिया और मुर्शिदाबाद के जिलों में पश्चिम बंगाल में कई पाकिस्तानी गिरफ्तार किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे लोगों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या यह सच है कि उनमें से कई के पास कोई पाकिस्तानी वीसा या पारपत्र नहीं थे; और

(घ) क्या सरकार ने इस बात का कोई कारण मालूम किया है कि वे सीमा पार करके इन जिलों में क्यों आये थे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरतवीस)**: (क) से (घ). दिसम्बर, १९६२ से फरवरी १९६३ तक की अवधि में ७६४ पाकिस्तानी नागरिकों को अवध रूप से नदिया और मुर्शिदाबाद जिलों में प्रवेश करते हुए पकड़ा गया था। वे अपने रिश्तेदारों से मिलने या अपनी रोजी कमाने के लिए आये थे ?

जनगणना

१३७८. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या १९६१ की जनगणना के कुछ और आंकड़े प्राप्त हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो भारत में धर्म-वार जनसंख्या कितना कितना है ;

(ग) क्या भाषा सम्बन्धी आंकड़े भी प्राप्त हो गये हैं, यदि हां, तो विभिन्न भाषाओं को जानने वालों की जनसंख्या अलग-अलग कितना कितना है ; और

(घ) पंजाब में हिन्दी और पंजाबी भाषा भाषियों की पृथक्-पृथक् संख्या कितनी-कितनी है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) जी हां।

(ख) सन् १९६१ की जनगणना के अनुसार मुख्य धर्मों की जनसंख्या के आंकड़ों का विवरण पत्र संलग्न है पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० १०५४।६३) यह आंकड़े अस्थायी हैं

†मूल अंग्रेजी में,

(ग) तथा (घ) जहां तक भाषाओं का सम्बन्ध है, सारणियों का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, और इसलिये फिलहाल आंकड़े देना सम्भव नहीं है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १०५४/६३]

बिहार में फास्फेट की चट्टानें

†१३७९. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार सरकार ने बिहार राज्य में चट्टानों से फास्फेट पदार्थ निकालने का काम आरम्भ करने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुमति मांगी है, ताकि खोज की वस्तुओं को सुपर फास्फेट कारखानों के काम में लाया जा सके ; और

(ख) क्या सिन्दरी में राज्य सरकार के सुपर फास्फेट कारखाने को राज्य सरकार द्वारा आरम्भ की जाने वाली फास्फेट परियोजना से सप्लाई प्राप्त होगी ?

† **खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी नहीं। ज्ञात हुआ है कि विशिष्ट खनन परियोजनाएं तैयार करने से पहले राज्य सरकार खनिजों सम्बन्धी वर्तमान खोजबीन के परिणामों की प्रतीक्षा कर रही है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पथरौटू तापीय संयंत्र (बिहार) के लिए कोयला

†१३८०. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती**: क्या खान और ईंधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पथरौटू (हजारीबाग) में तापीय सन्यन्त्र की आवश्यकता राज्यीय प्रबन्ध के अधीन खानों से निकाले गये कोयले से पूरी करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) हां

(ख) आरम्भ में, इस तापीय सन्यन्त्र के लिए कोयला राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की मुरकुण्डा कोयला खान से सप्लाई किया जायगा। बाद में गिरिडीह, कथारा और रायगढ़ में कोयला धुलाई कारखानों की स्थापना के बाद तापीय सन्यन्त्र को राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के इन धुलाई कारखानों से कोयला प्राप्त होगा। तदनुसार तापीय सन्यन्त्र के बायलर तैयार किये जा रहे हैं।

बांदा जिले में शीशे की रेत के निक्षेप

†१३८१ **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या खान और ईंधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी हाल में बांदा जिले में शीशे की रेत के बड़े निक्षेप पाये गये हैं; और

(ख) यदि हां तो क्या इस इलाके में सरकारी क्षेत्र में कोई शीशा उद्योग चालू करने का सरकार का विचार है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) यह मान लिया जाता है कि माननीय सदस्य का आशय शीशे की रेत के निक्षेप से है। यदि ऐसा हो तो उत्तर हां है।

(ख) सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है।

†मूल अंग्रेजी में

गरीबों के लिए आये सामान की दिल्ली में बरामदगी

१३८२. { श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री मरडी :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या विदेशों से दिल्ली में गरीबों को मुफ्त बांटने के लिये गत दो वर्षों में आया कुछ सामान पुलिस ने बरामद किया है ;

(ख) यदि हां, तो यह सामान किस तरह का था और कितनी मात्रा में पकड़ा गया ; और

(ग) क्या व्यक्तियों के अतिरिक्त कुछ संगठन भी ऐसा सामान रखने के दोषी पाये गये हैं और यदि हां, तो उन्हें क्या दण्ड दिया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस) (क) जी हां

(ख) १-३-६१ से २८-२-६३ तक के दौरान में गरीब और स्कूल के बच्चों में मुफ्त बांटने के लिये विदेशों से प्राप्त ४०४८ पौंड दूध का पाउडर पुलिस ने बरामद किया।

(ग) जी हां ऐसी रिपोर्ट मिली है कि एक बनावटी संस्था इससे सम्बन्धित है। मामले की जांच की जा रही है।

गणतंत्रदिवस समारोह

१३८३. { श्री भक्त दर्शन :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गणतन्त्रदिवस समारोह के सिलसिले में २७ जनवरी, १९६३ को नयी दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में फिल्मी संगीत का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था उसमें किन-किन कलाकारों ने भाग लिया;

(ख) उसका कार्यक्रम से राष्ट्रीय रक्षा कोष के लिए कितने धन की प्राप्ति हुई ; और

(ग) उस कार्यक्रम को आयोजित करने पर कितना धन व्यय हुआ ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर): (क) एक सूची संलग्न है [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १०५५/६३]

(ख) २,२०,००० रुपयों से ज्यादा

(ग) करीब ५४,००० रुपए

अपाहिजों की शिक्षा

१३८४. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या शिक्षा मन्त्री २१ नवम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ३०४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार की योजना के अन्तर्गत अपाहिजों में शिक्षा प्रसार की कितनी योजनायें अभी तक प्रारम्भ की जा चुकी हैं; और

(ख) अपाहिजों के लिए काम कर रहे स्वयंसेवी संस्थाओं को सन् १९६०–६१ और १९६२-६३ में कितना-कितना आर्थिक सहायता दी गयी ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) ८।

(ख) १९६०–६१, ७,७५,९५०.०० रुपये
१९६२–६३ ७,३१,७११.०० रुपये

दिल्ली में सिनेमा टिकटों की चोर बाजारी

†१३८५. **श्रीमती सावित्री निगम :** क्या गृह-कार्य मन्त्री ५ जून, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २६१० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन महीनों में सिनेमा टिकटों की चोरबाजारी के कोई मामले हुए थे; और

(ख) क्या इस बुरी प्रथा को रोकने के लिए कोई विशेष उपाय किये गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरतवीस) :** (क) १ दिसम्बर, १९६२ से २८ फरवरी, १९६३ के बीच दिल्ली पुलिस ने सिनेमा टिकटों की चोरबाजारी के २९ मामले पकड़े थे।

(ख) सादे कपड़े पहने पुलिस का एक दल इस समस्या को सुलझाने के लिए कायम किया गया है। सिनेमा टिकटों की चोरबाजारी करने वालों के हिस्ट्रीशीट निगरानी रखने के लिए तैयार की गयी हैं। इस बुराई को रोकने के लिए सिनेमा प्रबन्धकों का सहयोग प्राप्त किया जा रहा है।

सरकारी क्षेत्र के तेल शोधक कारखाने

†१३८६. **श्री सुबोध हंसदा :** क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) सरकारी तेल शोधक कारखानों में फिलहाल कितने विदेशी तेल तकनीकी काम कर रहे हैं ;

(ख) कितने विदेशी तकनीकी प्रारम्भिक दशा में आये ;

(ग) सभी विदेशी तकनीकियों की जगह पर भारतीय तकनीकी सम्भवतः कब से काम करने लगेंगे ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय):** (क) गौहाटी शोधनशाला में ६ और बरौनी में ८७ विदेशी तकनीकी व्यक्ति हैं।

(ख) गौहाटी में निर्माण कार्य के लिए आरम्भ में ४८ तकनीकी लोग रखे गये थे और संचालन तथा रखरखाव सम्बन्धी कार्य के लिए और ४८ लोगों को नियुक्त किया गया। बरौनी में अभी तक ८७ व्यक्तियों को रखा गया है और ज्यों ज्यों निर्माण कार्य की प्रगति होगी, और अधिक लोग आते जायेंगे।

(ग) गौहाटी शोधक कारखाने के लिए ५३ भारतीयों को रुमानिया में और बरौनी शोधक कारखाने के लिए ८८ व्यक्तियों को रूस में प्रशिक्षण दिया गया था।

गौहाटी में अभी जो छः तकनीकी व्यक्ति काम कर रहे हैं उनमें से तीन की जगह भारतीय तकनीकी १९६३ में मध्य तक काम करने लगेंगे और बाकी लोग अभी कुछ समय तक काम करते रहेंगे। बरौनी में विदेशी तकनीकियों की जगह पर भारतीयों को रखने का कार्यक्रम अभी तक अन्तिम रूप से निश्चित नहीं किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

जनगणना कार्यालयों में छंटनी

१३८७. { श्री ओंकारलाल बेरवा : श्री कछवाय : श्री बड़े :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रदेशों में कार्य करने वले विभिन्न जनगणना कार्यालयों को इस आशय का कोई आदेश भेजा गया था कि छटनी करते समय कर्मचारियों की वरिष्ठता का ध्यान रखा जाय ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित कार्यालय में छंटनी के लिये किसी परीक्षा का आयोजन किया गया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) जनगणना के सारे अधीक्षकों को आवश्यक आदेश भेजे जा रहे हैं।

(ख) तथा (ग). उस अस्थायी स्टाफ में से, जिसकी सेवा-अवधि २८-२-१९६३ को समाप्त हो रही थी, १-३-१९६३ से शुरू होने वाले वर्ष के लिये सर्वोत्तम तत्वों का व्यक्ति चुनने के हेतु फरवरी के अन्तिम सप्ताह में एक प्रतियोगी परीक्षा ली गई थी ।

केन्द्रीय मद्यनिषेध समिति

१३८८. **श्री भक्त दर्शन :** क्या गृह-कार्य मंत्री २१ नवम्बर, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय मद्यनिषेध समिति ने जो सिफारिशें की थीं उनमें से प्रत्येक को क्रियान्वित करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) उस समिति की ४ व ५ सितम्बर, १९६१ को जो बैठक हुई थी, उसके बाद कब-कब बैठकें की गईं और उनमें क्या क्या निश्चय किये गये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री हजरनवीस): (क) जैसा कि अतारांकित प्रश्न संख्या ६६६ के उत्तर में कहा गया था, ४, ६, ७, ९, १० तथा ११ नम्बर की सिफारिशों को लागू कर दिया गया है। १, २, ३, तथा ८ नम्बर की सिफारिशों में से सिफारिश नं० ८ को केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों तथा अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों पर भी लागू कर दिया गया है। इनके अनुसार कुछ अवस्थाओं में मद्यपान करना दुराचरण समझा जाता है सिफारिश नं० १, २, ३ के अनुसार क्रमबद्ध कार्यक्रम तथा निषिद्ध क्षेत्र की सीमा के साथ-साथ ऐसी राज्यों के कुछ इलाकों में निषेध लागू कराने के बारे में इस वर्ष जनवरी में राज्यों के मुख्य मन्त्रियों की अनौपचारिक बैठक में (निषेध नीति पर) चर्चा हुई थी। सर्वसम्मति से यह निर्णय हुआ कि मौजूदा मद्यनिषेध नीति में न कोई परिवर्तन किया जाय, और न कोई ढिलाई आने देनी चाहिये। केन्द्रीय निषेध समिति अपनी आगामी बैठक में स्थिति की फिर से जांच करेगी, और तब सिफारिश नं० ५ पर भी विचार किया जाएगा ।

(ख) ४ और ५ सितम्बर, १९६१ की बैठक के पश्चात् केन्द्रीय निषेध समिति की और कोई बैठक नहीं हुई।

कोयला नियंत्रक

†१३८९. श्री गु० बसु: क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९५६ से कोयला नियंत्रक के पद पर कितने व्यक्तियों की तबदीली की गयी; और

(ख) क्या इस पद पर बार बार तबदीली से काम पर बुरा असर पड़ा है?

†खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय): (क) चार।

(ख) जी नहीं।

शैक्षणिक पुरस्कार प्राप्त पुस्तकें

†१३९०. श्री रिशांग किशिंग: क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) साहित्य अकादमी की स्थापना से लेकर अब तक कितनी पुस्तकों के लिये साहित्य अकादमी पुरस्कार दिये गये;

(ख) क्या उन पुस्तकों को भारतीय भाषाओं से अतिरिक्त भाषाओं में अनुदित और प्रकाशित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो वे कौन कौन सी विदेशी भाषायें हैं?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर): (क) ७६।

(ख) और (ग). अकादमी के अनुवाद कार्यक्रम में भारतीय भाषाओं की पुस्तकों का विदेशी भाषाओं में अनुवाद करना शामिल नहीं है। फिर भी अकादमी की सिफारिश पर, श्री ताकाझी शिवशंकर पिवकई द्वारा मलयालम् में लिखित 'छेम्मीन' नामक उपन्यास का जिस पर १९५७ में अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ था, अंग्रेजी, चेक और रूसी भाषा में यूनेस्को की ओर से अनुवाद कराया गया है और प्रकाशित किया गया है। अनुमान है कि जर्मन, फ्रेंच, स्पैनिश और डैनिश भाषाओं में भी शीघ्र ही उसका अनुवाद प्रकाशित किया जायगा।

ज्ञात हुआ है कि श्री आर० के० नारायण का अंग्रेजी उपन्यास 'दी गाइड' अनेक विदेशी भाषाओं में अनुदित और प्रकाशित किया गया है। इस उपन्यास के लिये १९६० में अकादमी का पुरस्कार दिया गया था।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की प्रशिक्षण संस्था

†१३९१. श्री इलायापेरूमाल: क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९६०-६१ और १९६२-६३ में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की प्रशिक्षण संस्था में अनुसूचित जाति के कितने छात्रों को भरती किया गया; और

(ख) यदि कोई नहीं लिया गया तो उसके कारण क्या हैं?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय): (क) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड की किरीबुरू लौह अयस्क परियोजना में उस की प्रशिक्षण संस्था १९६१–६२से शुरू हुई थी। उस वर्ष २०प्रशिक्षार्थियों में से एक अनुसूचित जाति का और तीन अनुसूचित आदिम जातियों के थे।

१९६२–६३ में, ५९ प्रशिक्षार्थियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिये लिया गया जिन में से दो अनुसूचित जातियों के थे।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

उत्तर प्रदेश में तेल के लिये छिद्रण

१३९२. श्री सरजू पाण्डेय: क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में चन्दौसी और तिलहर में तेल निकालने की संभावना है;

(ख) क्या खुदाई का काम शुरू हो गया है; और

(ग) उत्तर प्रदेश के अन्य भागों में कहां-कहां इस सम्बन्ध में और खोज की गई है?

†खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) (क) इस स्थिति में इतना पहले बताना कठिन है कि तेल प्राप्त होगा या नहीं।

(ख) अभी नहीं।

(ग) गिरि-पाद क्षेत्र में भूगर्भीय मानचित्रण किया गया है। सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के मैदानों में विमान-चुम्बकीय सर्वेक्षण किया गया है। उन्नाव, आज़मगढ़, मेरठ, फतेगढ़, और कानपुर जिलों में भू-आकर्षक और चुम्बकीय सर्वेक्षण किया गया है। मुरादाबाद, बिजनौर, बरेली, रामपुर, शाहजहांपुर, नैनीताल, सहारनपुर, बदाऊं, मथुरा, हाथरस, पिलीभीत, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, मऊ, लखनऊ, फैजाबाद, बाराबांकी, मुजफ्फर नगर, सीतापुर, इटावा और अलीगढ़ जिलों में दोनों भू-आकर्षक एवं चुम्बकीय सर्वेक्षणों और भूकम्पीय सर्वेक्षणों के कार्यों को किया गया है।

उझानी और कासगंज क्षेत्रों में संरचनात्मक व्यधन कार्य को हाथ में लिया गया है और उझानी क्षेत्र में गहरे व्यधन कार्य को हाथ में लिया गया है।

दिल्ली में अवैध शराब की बिक्री

१३९३. श्री ओंकारलाल बेरवा:

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में अवैध शराब की बिक्री बढ़ गई है;

(ख) यदि हां, तो १९६१, १९६२ और १९६३ में अब तक कितने स्थानों पर छापा मारा गया;

(ग) उसमें कितनी शराब पकड़ी गई; और

(घ) कितने व्यक्तियों को सजायें व जुर्माना हुये?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्यमंत्रालय में मंत्री (श्री हजरतवीस) : (क) जीहां, जांच तथा खोज के अधिक उत्तम तरीकों के कारण सन् १९६१ की अपेक्षा सन् १९६२ में अवैध शराब की बिक्री के अधिक मामले ध्यान में आये हैं, परन्तु इस का अर्थ यह नहीं है कि दिल्ली में अवैध शराब की बिक्री में अवश्य ही बढ़ोतरी हुई है।

(ख) आबकारी अधिनियम (केवल अवैध शराब तथा लाहन) की धारा ६१ के अधीन दर्ज किये गये मामलों की संख्या निम्न प्रकार है :—

१९६१	१३०८
१९६२	१४५२
१-१-६३ से २१-३-६३ तक	४३७

(ग) १६८२३½ बोतल अवैध शराब तथा ४६७०५.३४४ किलोग्राम लाहन पकड़ा गया।

(घ) १३१०.

मध्य प्रदेश में विज्ञान मंदिर

†१३९६. श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह :

क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में अब तक कितने विज्ञान मन्दिर खोले गये हैं ; और

(ख) तीसरी योजना की शेष अवधि में राज्य में कितने और विज्ञान मन्दिर खोले जाने का विचार है ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) दो।

(ख) राज्य सरकार की स्वयं स्फूर्ति पर, धन के उपलब्ध होने पर और राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित सुविधाओं सहित समुपयुक्त इमारतों की व्यवस्था के साथ विज्ञान मन्दिरों की अधिक स्थापना की जायगी।

फालतू कर्मचारी

†१३९७. श्री महेश्वर नायक :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री राम हरख यादव :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में अपने फालतू कर्मचारी अन्य मंत्रालयों और विभागों को देने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो कितने; और

(ग) उस में कितनी बचत होगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) १९६२–६३ में मंत्रालय की मंजूर संख्या तथा वास्तविक संख्या और परिणामस्वरूप प्रत्याशित बचत को दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १९५६/६३]

दिल्ली में सरकारी और पब्लिक स्कूल

†१३९८. **श्री विश्राम प्रसाद** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में (१) गवर्नमेंट हायर सैकंडरी स्कूलों और (२) सरकार द्वारा सहायता प्राप्त पब्लिक स्कूलों की कुल संख्या कितनी है; और

(ख) क्या यह सच है कि उपरोक्त दोनों श्रेणियों के स्कूलों में शिक्षा पद्धति तथा पाठ्यक्रम में अन्तर है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) (१) सरकारी स्कूल—१९७ (२) पब्लिक स्कूल (इण्डियन पब्लिक स्कूल कांफ्रेंस के सदस्य) सरकार द्वारा सहायता प्राप्त—कोई नहीं।

(ख) दोनों श्रेणियों के स्कूल में पाठ्य क्रम एक ही हैं किन्तु शिक्षा का माध्यम भिन्न है।

अनुसूचित जातियों एवं आदिमजातियों के लिए पदोन्नतियों में आरक्षण

†१३९९. **श्री विश्राम प्रसाद** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपाकरेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अनुसूचित जातियों के तीसरी और चौथी श्रेणियों के कर्मचारियों की पदोन्नति के लिये कुछ अभ्यंश आरक्षित करने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार पहली और दूसरी श्रेणियों की सेवाओं में ऐसा ही उपबन्ध करने का विचार करती है;

(ग) यदि हां, कब; और

(घ) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) से (घ) मामला विचाराधीन है।

असाम में गारो पहाड़ियों का कोयला वाला क्षेत्र

†१४००. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या खान और इंधन मंत्री यह बतानेकी कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम में गारो पहाड़ियोंके कोयले वाले क्षेत्र की उचित ढंग से खोज नहीं की जा रही, क्योंकि इस क्षेत्र तथा दक्षिण ट्रंक रोड के बीच कोई मिलाने वाली सड़क नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इस सड़क को बनाने के लिये क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) उक्त क्षेत्र में कोयले की खोज के लिये कितनी प्रगति की गई है ?

† खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय): (क) और (ख). यह सच है कि समुपयुक्त सड़क की कमी गारो पहाड़ियोंके कोयले वाले क्षेत्रों का विकास करने में बाधक है। राज्य सरकार उक्त सड़क के निर्माण में कुछ धन की व्यवस्था करने का विचार कर रही है, यद्यपि

†मूल अंग्रेजी में

हाल में, वनमें व्यय स्यादिखाई नहीं देती। तथापि, खानों का विकास इस क्षेत्र में कोयला निकालने और कठिन पठार से ले जाने के समूचे लाभ-हानि पर निर्भर होगा।

(ग) आसाम सरकार ने अभी हाल में ही गारो पहाड़ियों का कोयला खोदने और खनन करने का काम आरम्भ करने के लिये राष्ट्रीय कोयला विभाग विकास को कहा है।

भारत में भूटान के विद्यार्थी

†१४०१. **श्री नि० रं० लासक** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय भारत सरकार की छात्रवृत्तियों के साथ कितने भूटानी विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं; और

(ख) १९६२ में इस पर कितनी राशि खर्च की गई है ?

† **शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) ७९।

(ख) १.९० लाख रुपये।

दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों के लिए मकान

१४०२. **श्री कछवाय** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन के ऐसे कितने कर्मचारी हैं, जिनको रिहायशी मकान नहीं मिले हैं ;

(ख) क्या प्रशासन का उनके लिये मकान बनवाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इस ओर क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस)**: (क) सूचना एकत्रित की जा रही है, और प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रखदी जायगी।

(ख) जी हां।

(ग) निम्नलिखित रिहायशी मकानों के निर्माण के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना में एक करोड़ रुपये का प्रबन्ध किया गया है।

(१) जनरलपूल—डी २ फ्लैट	(वेतनक्रम	५००—७५०)	५०
श्रेणी ई० के क्वार्टर	„	२५०—४९९)	१००
श्रेणी एफ० के क्वार्टर	„	१५०—२४९)	२००
श्रेणी जी० के क्वार्टर	„	११०—१४९)	४००
श्रेणी एच० के क्वार्टर	चपरासी		२००

(२) पुलिसपूल—इन स्थानों में पुलिस लाइन्स:— (रिहायशी यूनिटें एच० तथा जी० श्रेणी के)
(१) वजीराबाद
(२) एंड्रयूजगंज
(३) शकूर बस्ती

†मूल अंग्रेजी में।

(३) नियोजन, प्रशिक्षण तथा तकनीकी शिक्षा निदेशालय—

श्रेणी	पूसा	अरब की सराय	ओखला व शाहदरा में से प्रत्येक में	लाजपत नगर तथा सिविल लाइन्स वीमेन्स पोलीटैक्नीक	
डी० २	४	२	४	-	प्रत्येक शिक्षण संस्था
ई०	२४	१२	६	४	में विस्तृत योज-
एफ	२४	१२	६	-	नायें तैयार होने पर
जी	२४	१२	६	-	समायोजन करके
एच०	—	१२	६	६	क्वार्टरों का निर्माण होना है ।

पश्चिम बंगाल और बिहार के कोयले का विकास

१४०३. { श्री मुहम्मद इलियास :
श्री प्रभात कार :
श्री दाजी :

क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६३–६४ में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा बिहार और पश्चिम बंगाल में कितनी योजनायें आरम्भ की गई हैं या आरम्भ करने का विचार है; और

(ख) क्या निगम का पश्चिम बंगाल के सालनपुर कोयला क्षेत्र में कोयला धुलाई कारखाने स्थापित करने तथा खनन कार्य करने का कोई कार्यक्रम है ताकि उस क्षेत्र में बड़े थर्मल बिजली घर स्थापित किये जायें ?

खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय): (क) दो परियोजनाएं, एक रायगढ़ में और दूसरी बिहार में परिचम बोकारो में और एक परियोजना पश्चिम बंगाल में उखरा में १९६३–६४ में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा आरम्भ किये जाने की आशा की जाती है। ये योजनाएं बिहार में अभी हाल में ही आरम्भ की गई हैं और ये हैं—चलकारी—५ लाख टन उत्पादन लक्ष्य वाली, ३ लाख टन के लक्ष्य उत्पादन वाली करगली भूमिगत (पुनर्रचना) और ७½ लाख टन लक्षित उत्पादन वाली सावांग। इन के अतिरिक्त, दो परियोजनाएं सुदमदिह में तथा केन्द्रीय झरिया में भी आरम्भ की गई हैं किन्तु ये चौथी और पांचवीं योजनाओं के लिये अग्रिम कार्य के रूप में हैं।

(ख) निगम को इस समय परिचम बंगाल में सालनपुर कोयला क्षेत्र का खनन करने या वहां कोयला धुलाई संयंत्र स्थापित करने का कोई कार्यक्रम नहीं है।

†मूल अंग्रेजी में

रूस के प्रकाशक

†१४०४. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस के प्राच्य साहित्य प्रकाशन गृह के निदेशक इस समय भारतीय प्रकाशन-गृहों के कार्य का अध्ययन करने के लिये भारत आये हुए हैं; और

(ख) क्या साहित्य प्रकाशन के क्षेत्र में कोई संयुक्त भारत-सोवियट परियोजना है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) जी हां । वह भारतीय सांख्यकीय संस्था, कलकत्ता के निमन्त्रण पर यहां आये हैं। वह इस सम्बन्ध में बातचीत करेंगे कि प्रकाशनों की अदला बदली और सोवियत रूस की विज्ञान अकादमी द्वारा प्रकाशित लेख और पुस्तकों का भारत में अनुवाद कहां तक सम्भव है ।

(ख) जी हां । रूस के साथ १९५८ में किये गये करार में भारत में रूसी पाठ्य पुस्तकों के अंग्रेजी अनुवादों का प्रौद्योगिकीय संस्थाओं में उपयोग करने के लिये प्रकाशन करने का उपबंध है।

अन्दमान श्रम बल[1]

†१४०५. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान श्रम बल में कितने कार्यकर्ता हैं;

(ख) १९६१-६२ में इस पर कितना व्यय किया गया था;

(ग) एम० वी० अन्दमान और एम० ए० निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में ठहरने पर इनके लौभरण के लिये दिन भर में कितने श्रमिकों की आवश्यकता होती है ; और

(घ) १९६१-६२ मेंपोर्ट ब्लेयर में इन जहाजों के लौभरणकार्य का कितना बिल आया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरतवीस) :** (क) १९६२-६३ में ३७५ ।

(ख) ६,१४,००१ रुपये ।

(ग) २७० से ३४० मजदूर ।

(घ) २३४४०१ रुपये ।

अन्दमानमें मिट्टी के तेल का वितरण

†१४०६. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान द्वीपों में मिट्टी का तेल वितरण करना 'आकूजी व्यापार वर्ग' का एकाधिकार व्यापार बन गया है ।

(ख) क्या मिट्टी के तेल के दाम वहां बढ़ गये हैं और क्या वहां हाल ही में मिट्टी के तेल की अत्यधिक कमी हो गई है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्रवाई करने का विचार करती है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरतवीस):** (क) इन द्वीपों में मिट्टी के तेल के दो प्राधिकृत एजेंट हैं;

(१) मसर्स जादवजी ट्रेडिंग कम्पनी ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Andman Labour Force.

(२) मेसर्स सुख राम एण्ड सन्स ।

(ख) और (ग): मिट्टी के तेल के दाम वहां पर पिछले दो सप्ताहों से मिट्टी के तेल पर उत्पादन शुल्क बढ़ जाने के कारण बढ़ गये हैं । इन द्वीपों में मिट्टी के तेल की संभरण स्थिति संतोषजनक रही है, केवल सितम्बर-अक्तूबर १९६२ में अस्थायी रूप से कमी हुई थी ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए मकान बनाने के लिये आर्थिक सहायता

१४०७. **श्री कछवाय** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्यों को ग्रामीण क्षेत्रों में मकान बनाने के लिये कुछ आर्थिक सहायता देने की स्वीकृति दी है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक व्यक्ति को कितनी सहायता दी जायेगी ;

(ग) क्या ऐसे सहायता प्राप्त मकान बनाने के लिये कोई नक्शा भी बनाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो वह कब बनाया गया और कब स्वीकृति मिली ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी हां ।

(ख) आमतौर पर प्रत्येक मकान के लिये ७५० रुपये तक की आर्थिक सहायता देने का प्रबन्ध है, किन्तु अलग अलग क्षेत्रों में स्थानीय रूप से उपलब्ध सामान की कीमत और निर्माण की लागत के आधार पर ३०० रुपये से ७५० रुपये तक के बीच सहायता दी जाती है ।

(ग) और (घ). इन मकानों का नक्शा स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर राज्य सरकारों और संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा बनाया जाता है । उनके मार्ग दर्शन के लिये निर्माण, आवास तथा संभरण मन्त्रालय द्वारा मंजूर किये गये नक्शे की एक नकलभी सन् १९५८ में उन्हें भेज दी गई थी ।

आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में चूने के पत्थर का निक्षेप

†१४०८. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में आन्ध्र प्रदेश खनन निगम को खम्मम जिले में चूने के पत्थर के निक्षेपों को खोदने के लिये एक खनन पट्टा दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो पट्टा कहां होगा और कितना क्षेत्र है ; और

(ग) उस का अनुमानित उत्पादन क्या होगा ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

जम्मू और काश्मीर में तांबे और बौक्साइट के निक्षेप

१४०९. **श्री गोकर्ण प्रसाद :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू और काश्मीर के सीमावर्ती युद्धिराम रेखा के साथ

†मूल अंग्रेजी में

वाले क्षेत्र में लोलाव घाटी में तांबे व बौक्साइट के निक्षेपों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस क्षेत्र का सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि नहीं, तो सर्वेक्षण कराने में देर लगाने का क्या कारण है; और

(घ) इस सर्वेक्षण पर कितना व्यय होने का अनुमान है?

खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

विश्वविद्यालय अनुदान से आयोग से अनुदान

†१४१. **श्री वे० वेंकटासुब्बया :**
श्री दलजीत सिंह :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि १९६२-६३ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिये गये अनुदानों में से बहुत सी राशि विश्वविद्यालयों द्वारा खर्च नहीं की गई;

(ख) यदि हां, तो उन विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं तथा कितनी राशियां बकाया बची हैं;

(ग) किन २ विश्वविद्यालयों ने इस वर्ष के अन्दर अनुदानों का पूर्व उपयोग किया; और

(घ) इस वर्ष के अन्दर अनुदानों के पूर्णतः खर्च किये जाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला श्रीमाली)** : (क) से (ख). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) से (घ). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निम्न श्रेणियों के अधीन विश्वविद्यालयों को अनुदान देता है:—

(१) पहले मंजूर की गई योजनाओं के अन्तिम और पूर्ण शोधन में दिये गये अनुदान।

(२) जिन योजनाओं की पूर्णता में एक वर्ष से अधिक समय लगे उन को जारी रखने के लिये दी गई अनुदानें;

(३) उन योजनाओं के लिये दी गई अनुदानें, जो वर्ष में पूरी हो सकें।

उपरोक्त (१) और (३) में उल्लिखित अनुदानों के उपयोग किये जाने के बारे में, अनुदान मंजूर प्राक्कलनों के आधार पर दिये जाते हैं और कुछ मामलों में किये गये वास्तविक खर्च के आधार पर। आयोग को लेखापरीक्षित लेखाओं के लिये तथा पूर्णता प्रमाणपत्रों की प्रतीक्षा करनी पड़ती है उपयोग करने के प्रमाणपत्र देने से पहले। लेखापरीक्षित लेखे वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् दो वर्षों में साधारणतया प्राप्त होते हैं। १९६२-६३ वर्ष के लेखापरीक्षित लेखे १९६४-६५ में प्राप्त हो सकते हैं। प्रदत्त अनुदानों की उपयोगिता के प्रश्न का परीक्षण लेखापरीक्षित लेखों के आने के पश्चात् ही किया जाता है। उपरोक्त (२) में दी गई अनुदानों के उपयोग के बारे में उपयोगिता के प्रश्न की परीक्षा की जाती है। और जब योजनाएं पूरी हो जाती हैं तब अन्तिम फैसला किया जाता है।

उपरोक्त उल्लिखित स्थिति की दृष्टि से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस समय यह

†मूल अंग्रेजी में

बताने के में असमर्थ है कि १९६२-६३ में दी गई अनुदानों में से विश्वविद्यालयों के पास कितनी राशि शेष है। तब भी आयोग प्रयत्न करता है कि दिये गये अनुदानों का शीघ्रता से उपयोग विश्वविद्यालयों द्वारा किया जाता रहे और बड़ी राशि खर्च होने से बचे।

केन्द्रीय सचिवालय सेवायें

†१४१२. **श्री वें० वेंकटासुब्बया** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी १९६३ को केन्द्रीय सचिवालय सेवा कीग्रेड १ और सैक्शन अफसर ग्रेड की प्राधिकृत संख्या कितनी थी तथा कितने अफसर स्थायी और कितने अस्थायी थे ;

(ख) ग्रेड १ में कितने अफसर १ जनवरी १९६३ को पिछले तीन वर्षों से अवर सचिव के नाते अधिकतम वेतन पा रहे थे; और

(ग) १ जनवरी १९६३ को प्रवर ग्रेड अफसरों की प्राधिकृत संख्या कितनी थी तथा अस्थायी एवं स्थायी कितने थे?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस) (क) और (ग). सूचना इस प्रकार है :

ग्रेड	प्राधिकृत स्थायी संख्या	अफसरों की संख्या	
		स्थायी	अस्थायी
प्रवर ग्रेड	४६ (एक सुपरन्यूमरी पद समेत)	४४	१०९
ग्रेड १	३७५	३७१	१७६
*सैक्शन अफसर ग्रेड	१४००	१३९५	५८१

*आंकड़े इस ग्रेड के विकेन्द्रीकरण की तिथि अर्थात् १ अक्तूबर, १९६२ के हैं।

(ख) २४।

दिल्ली में हायर सेकेण्डरी स्कूल

†१४१३. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूलों को दिल्ली नगर निगम को देने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसा किन परिस्थितियों में किया जा रहा है ; और

(ग) इस का संबद्ध कर्मचारियों की सेवा की शर्तों पर यदि कोई प्रभाव पड़ेगा तो क्या ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता।

मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में चोरियां

१४१४. श्री कछवाय : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१ से मार्च, १९६३ तक दिल्ली में कितनी चोरियां हुईं, और उन चोरियों से सम्बन्धित कितने व्यक्ति पकड़े गये तथा उनसे कितना माल वापिस मिला ; और

(ख) क्या इन चोरियों के करवाने में किसी विशेष गिरोह का हाथ है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरतवीस) : (क) १-१-१९६१ से २०-३-६३ तक की अवधि में दिल्ली पुलिस को चोरी के १६०३५ मामलों की रिपोर्ट मिली । २८२१ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थ । २२,६६,०८८ रुपये ५० नए पैसे के मूल्य का चुराया हुआ सामान बरामद हुआ जिसमें जेवर, कपड़े, साइकिलें/साइकिलों के पुर्जे, मोटर कारें, मोटरों के पुर्जे, तांबे का तार आदि जैसी वस्तुएं शामिल हैं ।

(ख) जी नहीं ।

दिल्ली के स्कूलों में क्लर्क

†१४१५. **श्री बड़े :**
श्री कछवाय :
श्री युद्धवीर सिंह :
श्री हजराज सिंह :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन के शिक्षा निदेशालय के अधीन सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कितने स्कूलों में ८०० से अधिक विद्यार्थी हैं ;

(ख) उन में से कितने स्कूलों में आदेशों के अनुसार अपेक्षित एक यू० डी० सी० और एक एल० डी० सी० है ; और

(ग) जिन स्कूलों में यू० डी० सी० के अतिरिक्त एक और एल० डी० सी० नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क)

(क)	सरकारी स्कूल	४४
	सहायता प्राप्त स्कूल	५६
(ख)	सरकारी स्कूल	२१
	सहायता प्राप्त स्कूल	५०

(ग) एल० डी० सी० का पद उन स्कूलों में ८०० से अधिक विद्यार्थी होने पर अपने आप नहीं दिया जाता । ऐसे प्रत्येक स्कूल में भरती तथा अध्यापकों की संख्या का वर्ष में एक बार पता करके गुणदोष के आधार पर विचार किया जाता है । जब एक यू० डी० सी० काम को नहीं चला सकता, तब एल० डी० सी० का अतिरिक्त पद मंजूर किया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विदेशों में पढ़ रहे भारतीय विद्यार्थी

†१४१७. **श्री याज्ञिक :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्तियों पर कितने भारतीय विद्यार्थी विदेशों में पढ़ रहे थे, और प्रत्येक देश में कितने थे ; और

(ख) उन पर देशवार पिछले तीन वर्षों में कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) (क) और (ख). अपेक्षित सूचना देने वाले दो विवरण संलग्न हैं। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-१०५७/६३ ।]।

हिन्दी टाइपराइटिंग और शार्टहैंड योजना

१४१८. **श्री राम सेवक यादव :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा संचालित हिन्दी टाइपराइटिंग और शार्टहैंड योजना के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों में कितने केन्द्र खोले गये हैं ;

(ख) प्रत्येक केन्द्र में कितने प्रशिक्षणार्थी हैं और कितने प्रशिक्षणार्थियों पर एक प्रशिक्षक नियुक्त किया जाता है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ क्षेत्रों में एक से अधिक अध्यापक नियुक्त किये गये हैं, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) ६ ।

(ख) एक विवरण संलग्न है । साधारणतः १२५ से १६० प्रशिक्षणार्थियोंके लिये एक प्रशिक्षक नियुक्त किया जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० १०५८/६३]

(ग) विभिन्न केन्द्रों में इस समय प्रशिक्षकों की संख्या १ से ४ तक है। यह संख्या प्रशिक्षणार्थियों की गिनती, छुट्टी पर जाने वालों की जगह काम करने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता तथा कार्यक्रम आदि पर निर्भर होती है ।

दिल्ली के कालेजों में प्रेप्रेटरी श्रेणियां

†१४१९. **श्री श्याम लाल सर्राफ़ :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के सब कालेजों में मे ट्रिक पास लोगों के लिये प्रेप्रेटरी श्रेणियां इस वर्ष बन्द कर दी गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो प्राधिकारियों द्वारा क्या वैकल्पिक प्रबन्ध किया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) दिल्ली के कालेजों में गतवर्ष दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रेप्रेटरी श्रेणियां बन्द कर दी गई थीं।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने उन लोगों के लिये जिन्होंने हाई स्कूल या तत्समान परीक्षा पास की थी, कुछ सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में विशेष श्रेणियां आरम्भ की थीं। अगले शिक्षा वर्ष में इन श्रेणियों का जारी रहना इस बात पर निर्भर रहेगा कि कितने विद्यार्थियों को उस सुविधा की आवश्यकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इंडियन आयल कम्पनी के लिय उपकरण

†१४२०. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या खान और इंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इटली में इंडियन आयल कम्पनी के लिये वितरण उपकरण का आयात करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) आधुनिकतम संकेतों के अनुसार इटली से तेल वितरण उपकरण मंगवाने का काम लाभदायक नहीं होगा, अतः इस प्रस्ताव के समाप्त किये जाने की संभावना है ।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना

चीनियों के अधिकार में भारतीय युद्धबन्दियों की रिहाई

†**श्री रघुनाथ सिंह** (वाराणसी) : श्रीमान्, मैं प्रधान मंत्री जी का ध्यान निम्न अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करता हूं और निवेदन करता हूं कि वह उसके बारे में वक्तव्य दें :—

भारतीय युद्धबन्दियों की रिहाई के बारे में चीन की घोषणा

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : हमें पीकिंग में अपने कार्य भारी दूत से चीनी सरकार से यह सूचना मिली है कि उनका विचार ३,२१३ भारतीय सैनिकों को रिहा करने का है। उनका विचार इस कार्य को १० अप्रैल से चीनी रेडक्रास सोसाइटी के द्वारा आरम्भ करने का है। इनके अतिरिक्त, पकड़े गये ११ व्यक्तियों के शव अथवा अवशेष भी दिये जायेंगे। चीनी रेडक्रास सोसाइटी १० अप्रैल को पीकिंग समयानुसार १०.०० बजे सवेरे भारतीय रेडक्रास सोसाइटी के प्रतिनिधियों को सीमा के दक्षिणमें पुच नदीकेदक्षिणी किनारे पर बाटीतुंग में १४४ व्यक्ति देगी। अधिकतर बन्दी बमासके उत्तर में मुक्त किये जायेंगे और २७ घायल तथा रोगी व्यक्तियों सहित ४६९ व्यक्तियों का पहिला दल १० तारीख को मुक्त किया जायेगा परन्तु चीनी की ओर पास जाने वाली सड़क पर एक मीटर मोटा बर्फ जमा है और शायद तवांग आने वाली सड़क भी बर्फ से रुकी हुई है अतः संभव है कि सड़क साफ होने तक मुक्ति १०, ५ दिन तक यदि और बर्फ न गिरे रोक दी जाये। हमें यही सूचना मिली है।

रघुनाथ सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि इनको एक ही इंस्टालमेंट में छोड़ा जायेगा क्या? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि ये जो लोग वहां से आयेंगे इनको अपनी अपनी यूनिटों में ले जाकर रखा जायेगा या इनके लिये कोई और खास इंतजाम किया जायेगा?

अध्यक्ष महोदय : इनको पहले रिलीज तो हो कर आने दीजिये।

---

†मल अंग्रेजी में

श्री यशपाल सिंह (कराना) : यह जानने के लिये कि इन लोगों को इनडाक्ट्रिनेट तो नहीं किया गया है, इनको किसी खास कैम्प में रख कर इंटरोगेट किया जायेगा या ऐसे ही रख लेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : यह बात इस वक्त नहीं उठती है ।

श्री यशपाल सिंह : ये जो प्रिजनर्स आफ वार छोड़े जायेंगे, इनको चाइनीज गवर्नमेंट ने इनडाक्ट्रिनेट तो नहीं किया है, यह जानने के लिये सरकार उन्हें किसी खास कैम्प में इंटेरोगट करने के लिये रखेगी या ऐसे ही रख लेगी ?

श्री हेम बरुआ (गोहार्टी): क्या हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि चीन युद्धबन्दियों की मुक्ति करके हमारे मुकाबले राजनीतिक लाभ प्राप्त न करे ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : प्रत्यक देश अपने प्रोपगण्डाकारियों की स्थिति उत्तम बनाने का प्रयास करता है और निस्सन्देह चीन भी ऐसा करने का प्रयास करेगा और हमारा कर्त्तव्य है कि हम भी ऐसा ही करें ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : जिन भारतीय युद्धबन्दियों को चीन की ओर से छोड़ने की बात हुई है, इनके संबंध में भारत सरकार ने चीन सरकार को क्या कुछ लिखा था, यदि हां, तो क्या चीन भारत पर भारत में नजरबन्द चीनियों को जहां तक छोड़ने का ताल्लुक है, प्रभाव तो नहीं डालेगा या उन पर किसी प्रकार का प्रभाव तो नहीं पड़ेगा ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी नहीं, हमने चीन सरकार को इस बारे में कुछ नहीं लिखा था। जो चीनी यहां नजरबन्द हैं, वे तो गालिबन चीन वापिस जायेंगे और हमने पहले से ही उनकी इस बारे में रज़ामन्दी लेली है । उनके लिये कुछ चीनी जहाज़ आ भी रहे हैं और वे उनको ले जायेंगे । हमने उनको कहा था कि वे चाह तो जा सकते हैं । कोई अगर जाने से इन्कार करे तो हम उसको जबर्दस्ती चीन नहीं भेजेंगे ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (जालौर) : क्या मैं यह समझूं कि युद्ध विराम की भांति यह कार्यवाही भी एकतरफा है और इसका कोई विशेष महत्व नहीं है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्य ऐसा समझ सकते हैं ।

†**श्री कपूर सिंह** (लुधियाना): क्या यह सच है कि चीनी प्रत्येक मुक्त युद्ध बन्दी को भारत की राष्ट्रीय प्रतिरक्षा निधि में देने के लिये थोड़ा धन देते हैं और इस प्रकार हमारे प्रतिरक्षा प्रयासों के प्रति घृणा प्रदर्शित करते हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैंने यह बात नहीं सुनी है ।

†**श्री बूटा सिंह** (मोगा) : चीन के कहने के मुताबिक उसके पास ३,२१३ युद्धबन्दी हैं जिनको वह छोड़ने जा रहा है । मगर हमारे रक्षा मंत्री जी ने जनवरी में बताया था कि उनके विचार के अनुसार ३,३५० प्रिजनर्ज आफ वार चीन के पास हैं। क्या हम यह समझें कि डिफेंस मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट सही है या जो चीन कहता है वह सही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : अब जो उन्होंने रिलीज करने को कहा है वह पढ़ दिया गया कि इतने रिलीज किये जायेंगे ।

श्री द्वारका दास मंत्री (भीर) : यह जो बन्दी आने वाले हैं हमारे यहां, उनके पश्चात् भी क्या चीन सरकार के पास हमारे यहां के युद्ध बन्दी बाकी रहने वाले हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : उनका बयान यह है कि जितने उनके पास हैं, वे भेज रहे हैं । मैं यकायक नहीं कह सकता कि जो फिगर्स उन्होंने दिये हैं, जो गिनती दी है, वह हमारे हिसाब से सही है या नहीं ।

पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों का तंग किया जाना

†**अध्यक्ष महोदय** : अब ध्यान दिलाने की इसकी सूचना ली जाये ।

†**श्री बी० कं० शर्मा** : मैं ने भी इस विषय पर ध्यान दिलाने की सूचना दी है ।

†**श्री हेम बरुआ** (गोहार्टी) : मैं प्रधान मंत्री का ध्यान निम्न अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और निवेदन करता हूं कि वह उस पर वक्तव्य दें :—

"पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की कथित परेशानी और परिणामस्वरूप उनका आसाम आना जैसाकि आसाम के वित्त मंत्री ने बताया है ।"

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : २६ मार्च को राज्य विधान सभा में आसाम के वित्त मंत्री द्वारा दी गई जानकारी का ब्यौरा यह है कि १४ हजोंग परिवार, जिन में पुरुष, स्त्रियां तथा बच्चे कुल ६४ थे, २३ मार्च, १९६३ को शिलांग आये । राज्य सरकार के अधिकारियों ने इन परिवारों में से चार अग्रिम व्यक्तियों से प्रश्न किये और उन्हों ने बताया है कि ये परिवार राधानगर, गोविन्दपुर, सिमकटा और पंचगांव नामक गांवों के, जो पूर्वी पाकिस्तान के जिला माइमेनसिंह के पुलिस थाना कलककाण्ड के क्षेत्र में हैं, निवासी हैं । वे पाकिस्तानी राष्ट्रजन हैं और किसी भी यात्रा पत्र के बिना आसाम में घुसे । उन्होंने बताया कि वे पूर्वी पाकिस्तान में असुरक्षा, व्यक्तिगत दुर्व्यवहार और आर्थिक दबाव के कारण आये हैं । उन्हों ने यह भी बताया कि वे आसाम के कामरूप जिले में तमलपुर थाने के अन्तर्गत कुमारीकट गांव के पास खाली रक्षित भूमि से आकर्षित हुए हैं जहां उन के कुछ सम्बन्धी कुछ समय से रह रहे हैं । उन्हों ने पूर्वी पाकिस्तान में लेंगुरा शिविर हो कर सीमा पार की और फिर लगभग १५ दिन पहिले संयुक्त खासी-जेन्तियां पहाड़ियों में महेशखोला की ओर बढ़े और कुछ व्यक्तियों ने लगभग १ मास पूर्व सीमा पार की थी । वे सब मजदूर हैं और जब वे बलत में थे उन्होंने बन रही सड़क पर दैनिक मजूरी पर काम कर के जीविका जुटाई । यह सड़क लोकनिर्माण विभाग उन के परिवारों को कुमारीकट में बसाने की इच्छा से बना रहा है । यह भी पता लगा कि पूर्वी पाकिस्तान में इन गांवों के भी लगभग २०० व्यक्तियों ने इसी प्रकार बिना किसी यात्रा पत्र के भारत में प्रवेश किया था और कुमारीकट जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं । इन ६४ व्यक्तियों को शिलांग में मारवाड़ी धर्मशाला में अस्थायी रूप में रख दिया गया है ।

राज्य सरकार को यह भी पता लगा है कि ३० व्यक्ति, जिनमें हजोंग और नामशूद्र परिवार है, क्रमानुसार जयद्वार, बलत और राजपुर में आये हैं । फिर, अन्य ३० व्यक्ति जिनमें

[श्री दिनेश सिंह]

६ हजोंग परिवार हैं और जो गिलागोका तथा दुर्गापुर पुलिस थाना क्षेत्र के निवासी हैं, सीमा पार कर आये हैं और अब समद्वार, बेटागं ारा ठहरे हुए हैं। ये स्थान मोला-पेट में रेंगुर छत गोरा और वलत क्षेत्रों के पास है। वे सब दैनिक मजूरी पर काम कर रहे हैं।

राज्य वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि पिछले दो मासों में पूर्वी पाकिस्तान में, विशेषकर मैमनसिंह जिले में अल्पसंख्यकों की परेशानियां बढ़ गई हैं।

आसाम सरकार के मुख्य मंत्री ने डाका के अपने प्रतिस्थानी अधिकारी को कड़ा विरोध पत्र भेजा है जिस में इस बात पर जोर दिया गया है कि परेशानी और स्थानीय पाकिस्तानी प्राधिकारियों द्वारा संरक्षण के अभाव के कारण १६६ व्यक्ति आसाम आ चुके हैं। पूर्वी पाकिस्तान सरकार से इन क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों में शान्ति की स्थितियां तत्काल स्थापित की जायें और इन परिवारों को वापिस लेने का यथाशीघ्र प्रबन्ध किया जाये।

नीति स्वरूप, पूर्वी पाकिस्तान से प्रव्रजन रोकने के लिए, हम अनधिकृत रूप से आने वाले व्यक्तियों को कोई वित्तीय सहायता नहीं देते। मानवता के आधार पर, हम ने प्रधान मंत्री की राष्ट्रीय कल्याण निधि से आसाम के मुख्य मंत्री को १०,००० रुपये भेज दिये हैं ताकि इन शरणार्थियोंमें उन की सहायता की जा सके जो वास्तव में विस्थापित हो गये हैं।

†**श्री हेम बरुआ** : इस बात का ध्यान रख कर कि पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने कहा है कि भारत अपने यहां मुसलमानों का दमन करने के लिए हिटलर जैसे ढंग अपना रहा है, क्या सरकार ने पाकिस्तान को बताया है कि भारत में मुसलमान पूर्णतया सुरक्षित हैंऔर पाकिस्तान अपने यहां अल्पसंख्यकों को तंग कर रहा है जो नेहरू-लियाकत समझौता का खण्डन कर के होने वाले इस प्रव्रजन से सिद्ध होता है।

†**श्री दिनेश सिंह** : हां। मैं ने जो वक्तव्य दिया है, उस से यह भी पता लगता है।

†**अध्यक्ष महोदय**: पहली बात यह है कि यह नेहरू-लियाकत समझौता का खण्डन है और क्या यह बात उन्हें बताई गई है। दूसरी बात यह है कि अल्पसंख्यक भारत में नहीं अपितु पाकिस्तान में परेशानी उठा रहे हैं या उन के विरुद्ध भेदभाव का व्यवहार किया जा रहा है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: मैं नहीं जानता। मुझे सन्देह है कि हमारे उत्तर में नेहरू-लियाकत समझौते का उल्लेख किया गया है। परन्तु तथ्य यह प्रतीत होते हैं कि जब से आसाम में अवैध रूप से पूर्वी पाकिस्तान से आये व्यक्तियों को आसाम सरकार ने लौटाया है, वहां उन क्षेत्रों के लोग, वहां के अधिकारियों ने प्रतिक्रियास्वरूप कुछ हिन्दुओं पर, जो वहां रहते हैं, अधिक दबाव डाला है, जिस से यह प्रव्रजन हुआ है।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

अट्ठारहवां प्रतिवेदन

†**श्री कृष्णमूर्ति राव** (शिमोगा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की अट्ठारहवीं रिपोर्ट पेश करता हूं।

†मूल अंग्रेजी में

सदस्य और मंत्री द्वारा वक्तव्य

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : श्रीमान्, आप को याद होगा कि एक दिन जब गृह-कार्य मंत्री ने हमारी पार्टी पर कुछ निराधार आरोप लगाये, और जब मैं ने उन का विरोध किया तो उन्होंने मुझे ब्यौरा देने का वचन दिया था जो उन के पास था। तब आप ने मत प्रकट किया था कि आप हमारी बात सुनने के बाद निश्चय करेंगे। तत्काल उसी दिन मैंने गृह मंत्री जी को लिखा और पूछा कि क्या मैं उन से उसी दिन या अगले दिन मिल सकता हूं। मुझे उन का पत्र मिला जिस में लिखा था कि कल छट्टी थी, अतः वह आज कागजात देखेंगे और कल मुझे से मिलेंगे।

यह बड़ी ही चिन्ता की बात है। आप जानते हैं कि हम महसूस करते हैं और समझते हैं कि सभा के विशेषाधिकारों के अनुसार या तो आरोप वापस लिये जायें या आरोपों की पुष्टि में उन पास जो कागजात हैं पटल पर रखे जायें। आशा है कि जब हमारी भेंट होगी, हम इस मामले को निपटा लेंगे। तब हम इस मामले में आप की सहायता मांगेंगे। परन्तु बीच में एक छट्टी आने से कुछ विलम्ब हो गया है।

†**अध्यक्ष महोदयः** मैं नहीं जानता कि माननीय गृह-कार्य मंत्री इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे।

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : मुझे और कुछ नहीं कहना है। मुझे उन का पत्र मिला और तत्काल मैं ने श्री द्विवेदी को लिखा कि कार्यालय बन्द था, अतः आज में कागजात देखूंगा और कल उन से मिलूंगा और मेरे पास जो भी तथ्य होंगे उन्हें बताऊंगा।

†**अध्वक्ष महोदय** : इस मामले पर सदस्य बहुत ही चिन्तित हैं। अतः उचित है कि यह काम यथाशीघ्र किया जाये।

अनुदानों की माँगें–जारी

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय —जारी

†**अध्यक्ष महोदय**: अब सभा निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों तथा उन के कटौती प्रस्तावों पर विचार करेगी।

श्री मोहन स्वरूप अपना भाषण जारी रखें।

श्री मोहन स्वरूप (पीलीभीत) : अध्यक्ष महोदय, मैं परसों यह अर्ज कर रहा था कि ठेकेदारी प्रथा को समाप्त होना चाहिये क्योंकि यह भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार है। मैं ने अर्ज किया था कि कांस्ट्रक्शन सोसाइटीज बननी चाहिए और उनके द्वारा काम होना चाहिए। इसी के साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो पी० डब्ल्यू० डी० में आइटम रेट्स और परसेंटेज रेट्स का तरीका है उस को समाप्त किया जाय और लम्प सम काम देने की प्रणाली को अपनाया जाय। मेरे सामने पब्लिक वर्क्स एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट है। उस में भी इस चीज की सिफारिश की गई है कि आइटम रेट्स पर काम न दिया जाये क्योंकि इस से करप्शन घटेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मोहन स्वरूप]

इसी के साथ मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि पी० डब्ल्यू० डी० में इस तरह की संस्था बने जो कि शाडलप्लान्स तैयार करे और उन के एस्टीमेट भी बनाये और उन्हीं आधारों पर छोटी और बड़ी इमारतें बनाई जायें। जैसे जैसे रेट्स घटें या बढ़ें वैसे उन शाडल्स के रेट्स में भी अन्तर कर दिया जाय।

मैं चाहता हूं कि जब तक कि साइट का सिलेक्शन न हो जाये, और डिजाइन्स तैयार न हो जाय और जब तक साइट पर मैटीरियल न पहुंच जाय उस वक्त तक काम शुरू न हो।

मरम्मत के लिए भी पी० डब्ल्यू० डी० में एक अलग से विभाग होना चाहिए क्योंकि यह बहुत बड़ा काम है। इस को निगलेक्ट किया जाता है तो उस पर बल दिया जाये।

इसी के साथ मैं यह चाहता हूं कि स्टैण्डरडाइजेशन आफ टैकनिकल रिक्वायरमेण्ट्स का भी विभागीकरण हो और रेट्स स्ट्रक्चर भी तैयार किया जाये और यह भी देखा जाये कि कितना मारजिन होता है।

इसी के साथ साथ टैकनिकल आडिट की व्यवस्था होनी चाहिए जोकि अभी नहीं है। जिस तरह आडिटर जनरल और कंट्रोलर जनरल हैं, उसी तरह पी० डब्ल्यू० डी० में एक अलग से टकनिकल आडिट की व्यवस्था हो और वह पी० डब्ल्यू० डी० के असर से भी बाहर हो।

इनचीजों के साथ साथ मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि पी० डबल्यू० डी० में जो करप्शन है और काम में खराबियां है और जो कि रोजाना अखबारों में छपती हैं, उनकी तरफ मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिये। अगर इस तरफ ध्यान नहीं दिया जायेगा तो यह करप्शन और बढ़ेगा और इसके लिये न केवल केबिनेट जिम्मेवार होगी बल्कि पार्लियामेंट भी जिम्मेवार होगी कि क्यों इस करप्शन को जारी रखने दिया जाता है। मेरे पास इंजीनियर्स सिम्पोजियम की रिपोर्ट है, जो कि सन् १९६१ में हुआ था। उसमें भी इस पर जोर दिया गया है। उसमें कहा गया है :

"लोक निर्माण विभाग में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है"।

अन्त में मैं इतना कह कर समाप्त करता हूं कि करप्शन को रोकने की तरफ ज्यादा ध्यान दें। इस डिपार्टमेंट का रिआर्गेनाइजेशन होना चाहिये।

अब मैं हाउसिंग की तरफ तवज्जह दिलाना चाहता हूं . . .

अध्यक्ष महोदय : अब समाप्ति के बाद भी आप तवज्जह दिलाना चाहते हैं।

श्री मोहन स्वरूप : अब मैं हाउसिंग के बारे में अर्ज करूंगा। मैंने पब्लिक वर्क्स के बारे में समाप्त किया है।

हाउसिंग के बारे में दिल्ली और दूसरे शहरों के बारे में कहा गया, लेकिन रूरल हाउसिंग के बारे में नहीं कहा गया। यह बहुत बड़ी समस्या है। हमारे देश में ५,५८,१०० गांव हैं और उनमें ५४ मिलियन मकान हैं जिनमें गांवो की जनता रहती है और इन ५४ मिलियन घरों में से ५० मिलियन घर

†मूल अंग्रेजी में

ऐसे हैं जिनकों फिर से बनाया जाये या उनकी मरम्मत की जाए। दुःख कीबात है कि इतनी बड़ी समस्या को हल करने के लिये गवर्नमेंट की ओर से कुछ नहीं किया गया। पहली प्लान में कुछ नहीं किया गया, दूसरी प्लान में इसके लिये १० करोड़ रुपया रखा गया और जब प्लान का रिएप्रेजल हुआ तो पांच करोड़ और बढ़ाया गया। इस तरह १५ करोड़ की व्यवस्था की गयी। जो पांच वीं हाउसिंग मिनिस्टर्स कानफ्रेंस हुई उसमें इस बात पर जोर दिया गया कि ३० करोड़ की व्यवस्था इसके लिए होनी चाहिए जोकि नहीं की जा रही है।

सन् १९५७ में विलेज प्रोजेक्ट हाउसिंग स्कीम बनायी गयी और उसके तहत कहा गया कि ६६$\frac{2}{3}$% की उनको सहायता मिलेगी। या दो हजार रुपया दिया जाएगा जो भी कम हो मेरी समझ में नहीं आता कि दो हजार या १ हजार रुपए से हाउसिंग की समस्या का कैसे समाधान हो सकता है।

यह भी बताया गया कि गांव वाले रुपया नहीं लेना चाहते। मेरे ख्याल में गांव के लोग यह समझते हैं कि दो हजार या ए कहजार रुपये से कुछ होगा नहीं कर्जा और सिर पर जढ़ जाएगा। इसलिए गांव वाले इस रुपये को नहीं लेना चाहते। और गवर्नमेंट इस तरफ तवज्जह नहीं देती। आज स्थिति यह है कि गांव के लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं क्योंकि गांवों की स्थिति खराब होती जा रही है। जब वे शहरों का रहने का स्टेंडर्ड देखते हैं तो उनके मन में भी यह तमन्ना होती है कि वह भी अच्छा जीवन बिताएं, अच्छे घरों में रहें, स्लम्स में और गन्दी गलियों में न रहें। जो लोग गांवों में जरा पढ़ लिख जाते हैं वे शहरों की तरफ भागते हैं। जिसका परिणाम यह हो रहा है कि गांव उजड़ते जा रहे हैं, और इसका खेती पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इसलिए मेरा गवर्नमेंट से विनम्र निवेदन है कि वह गांवों की गिरती हुई हालत की तरफ ध्यान दे।

जो दिल्ली के लिए मास्टर प्लान बना है उसमें गांवों को लिया जा रहा है, और उनको उजाड़ा जा रहा है। और गांव वालों को जो पैसा मिलना चाहिये वह भी नहीं मिल रहा है। इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये।

गांवों में सड़कें भी बनानी चाहियें और इंडस्ट्रीज भी स्थापित करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। अभी जो सन् १९६२ और १९६३ में जो कान्फेरेंसें हुईं दिल्ली और बम्बई में, उनमें शहरों के बारे में बहुत कुछ कहा गया, लेकिन गांवों के बारे में कुछ नहीं कहा गया। मैं चाहता हूं कि जो हाउसिंग फैसिलिटीज शहरों में दी जाती हैं वही गांवों में दी जाए। जो फैसिलिटीज शहरों में लो इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप वालों को दी जाती है वे ही गांवों में भी दी जाएं। उनको आधा कर्ज मिले और आधी सबसिडी दी जाए। तीन हजार की आबादी का एक गांव बनना चाहिये और उनमें सड़कों और दूसरी सुविधाओं की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसा करेंगे तभी गांवों की तरक्की होगी। केवल कहने से गांवों की तरक्की नहीं हो सकती।

अब मैं कुछ स्टेट आफिस की तरफ आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं। एरियर्स बहुत कुछ बाकी हैं। पब्लिक एकाउंटस् कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि ३२८३ हजार रुपये बाकी हैं सन् १९५५८, १९५८-५९ और १९५९-६० के बारे में। और उसमें इजहार अफसोस किया गया है कि उन एरियर को वसूल करने की तरफ कोई तवज्जह नहीं दी जाती। पुराने मिनिस्टर साहिबान अपने बंगलों में रह रहे हैं और उनको हटाने की तरफ कोई तवज्जह नहीं दी जा रही है। लेकिन गरीबों को आप डंडे के जोर से हटा देते हैं। मेरे पास तस्वीरें हैं कि अरजुन नगर और नीमरी के लोगों को किस तरह डंडे के जोर से हटाया गया। एक तरफ यह स्थिति है और दूसरी तरफ मिनिस्टरों को हटाने की तरफ तवज्जह नहीं दी जाती।

एक हाउसिंग कमेटी बनी है.....

अध्यक्ष महोदय : आप का वक्त हो लिया ।

श्री मोहन स्वरूप : मुझे कुछ और बातें कहनी हैं, दो तीन मिनट और लूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : आठ मिनट आप परसों ले चुकें है और आठ मिनट आज भी हो गये ।

श्री मोहन स्वरूप : मेरी प्रार्थना है कि मुझे थोड़ा समय और दिया जाए, दो तीन जरूरी बातें कहनी हैं ।

एक हाउसिंग कमेटी बनी है उस का मुद्दा यह था कि इस समस्या का अच्छी तरह से समाधान हो । लेकिन होता यह है कि उससे अलग एक एकोमोडेशन कमेटी बनी है । वह कमेटी हाउसिंग कमेटी के अन्तर्गत ही है मैं इसके बारे में इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि यह आपके द्वारा गठित की गयी है । जो एकोमोडेशन कमेटी के प्रोसीडिंग होते हैं वे हाउसिंग कमेटी के सामने नहीं आते, और वह जो चाहतीं है करती है । उसके प्रोसीडिंग्स कनफरमेशन के लिए भी हमारे सामने नहीं आते । मैं बहैसियत के मेम्बर के यह चीज आपके सामने रखना चाहता हूं कि इसमें सुधार होना चाहिए अगर हाउसिंग कमेटी को ठीक तरह से चलाना है ।

अध्यक्ष महोदय : इसमें सुधार वह तो नहीं कर सकते और आपको यहां इसका जिक्र भी नहीं करना चाहिये था । यह चीज तो मेरे ताल्लुक है । आप मेरे पास आते । इस काम को मिनिस्टर साहब कैसे करेंगे ।

श्री मोहन स्वरूप : एकोमोडेशन कमेटी के प्रोसीडिंग कम से कम हाउसिंग कमेटी के सामने तो आने चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए आप मेरे पास आएं ।

श्री मोहन स्वरूप : एक चीज मैं अर्ज करना चाहता हूं फरनीचर के सिलसिलेमें । एक स्केल फरनीचर है, एक बिल्ट इन फरनीचर है और एक एडीशनल फरनीचर है । स्केल फरनीचर का किराया २४ रुपया है । लेकिन अगर इसको हटा दिया जाए तो भी एडीशनल फरनीचर का काफी किराया लग जाता है । मैंने अपना स्केल फरनीचर हटा दिया लेकिन फिर भी मुझ को २४ रुपया महीना देना पड़ता है । यह फरनीचर काफी पुराना हो गया है यह भी देखना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : यह बात तो वाकई बहुत जरूरी है ।

श्री मोहन स्वरूप : मैं बहुत संक्षेप में दो, तीन प्वांइट और अर्ज करूंगा ।

सप्लाई आफ वाटर के बारे में मैं कहना चाहता था कि ३०३ ट्यूबवैल्स बने हैं जिनमें से कि २२३ ट्यूबवैल्स चालू हैं और ८० बेकार पड़े हैं । मैं जानना चाहूंगा कि इसकी क्या वजह है ?

होटल जनपथ की तरफ मैं सदन और मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं । अभी तक उसके बारे में यह तय नहीं हो पाया है कि उसका स्टेटस क्या होगा ? कहा यह जा रहा है कि उसको किसी इंडिविजुएल को दिया जाएगा । वैस्टर्न कोर्ट में कोई सज्जन हैं, उन का नाम मैं नहीं लेना चाहता, सुना जा रहा है कि यह उनको दे दिया जायेगा । इस खबर से लोगों में बड़ा असन्तोष फैल रहा है । जब अशोक होटल मुनाफे पर चलाया जा सकता है तो/जनपथ होटल को भी सरकार द्वारा मुनाफे पर क्यों नहीं चलाया जा सकता है ? उसकोभी मुनाफे पर चाया जा सकता है इसलिए उसकी तरफ तवज्जह होनी चाहिए और इन होटलों के बारे में एक वाजै पालिसी होनी चाहिए ।

---

†मल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : अब तो माननीय सदस्य मेरी बात मान लें और अपनी बात खत्म कर दें।

श्री मोहन स्वरूप: बस मैं एक चीज और अर्ज करना चाहता था कि मकानों के ऐलाटमेंट के बारे में जो गड़बड़ चलती है वह बंद होनी चाहिये। अब होता यह है कि कहीं तो मकान बिना ऐप्लीकेशन के ऐलाट हो जाता है तो कहीं अर्जी देने पर भी मकान नहीं मिलता है। मुझे बतलाया गया कि एक पत्र-कार जो कि एक सेक्रेटरी की मिसेज के मकान में रहता था और उसको हटाया जाना था इसलिए उसको दूसरा मकान दिया गया। उसको कम्पैल किया गया कि वह उसको खाली कर दे। मैं चाहता हूं कि इस तरह की गड़बड़ियां न हों

बंगाली कौलिनी के बारे में मैं अर्ज करूंगा . . .

अध्यक्ष महोदय : अब तो बस ही कीजिये। श्री नवल प्रभाकर।

श्री नवल प्रभाकर: (दिल्ली-करौल बाग) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान तिहाड़ गांव की तरफ दिलाना चाहता हूं। जब से इस देश का विभाजन हुआ है और लोग गांव के अन्दर आकर रहे कई बार उनको आश्वासन दिया गया कि इस गांव का रिमौडलिंग होगा। रिमौडलिंग के सिलसिले में कई बार उसका बजट बना और तखमीना लगा और उसे ७ लाख से बढ़ा कर २७ लाख कर दिया गया लेकिन आज तक उन लोगों को बसाया नहीं गया है। मेरा माननीय मंत्री की सेवा में निम्र निवेदन है कि वह इस ओर ध्यान दें और विस्थापित भाइयों को बसाने की कृपा करें।

झील नजफगढ़ की ओर भी मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं। झील नजफगढ़ लगभग दस [illegible] भरी हुई है। कई बार इसका प्रयास किया गया कि इसका पानी किसी तरीके से निकाला जाय। सारी विस्थापित बस्तियां इसके पास बस गयीं हैं और उन के बीच में से नजफगढ़ झील का नाला गुजरता है। अब सेंट्रल पी० डब्लू० डी० की तरफ से इसका काम चल रहा है लेकिन जब भी हम अपने इलाके के लोगों से पूछते हैं और जो काम हो रहा है उसको देखते हैं तो पाते हैं कि उस काम की गति बड़ी मंद है। मेरा विनम्र निवेदन है कि इसमें कुछ गति लायें, तेजी लायें ताकि यह काम शीघ्रता पूरा हो जाय क्योंकि यह शहर और गांव दोनों के लिए ही लाभप्रद है। गांवों के अन्दर बहुत सी जमीन पानी से घोरी हुई है और शहर के अन्दर भी जहां जहां यह नाला गुजरता है एक गंदगी और बदबू फैलाता हुआ जाता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें।

श्रीमन्, दिल्ली में ३६० गांव हैं। अब घटते घटते कोई २५० गांव रह गये हैं। जब गांवों की जमीन ऐक्वायर कर ली जाती है तो कुछ गांव उसके बीच में रह जाते हैं बाहर से जो लोग आते हैं उनके लिए प्लाट्स डेवेलप कर दिये जाते हैं उनको बसाने के लिए योजनाएं बनी हैं लेकिन जो गांव बीच में आ जाता है उसको स्लम डिक्लेयर कर देते हैं और फिर इन गांव वालों का जिनका कि यह पुश्तैनी अधिकार है, उनके बाप दादा के समय से अधिकार चला आता है, सैकड़ों साल से जो यहां बैठे हैं उनको वहां से हटाते हैं और उनको दूर किसी दूसरी जगह भेजते हैं। मेरा माननीय मन्त्री की सेवा में विनम्र निवेदन है कि आप गांवों की जमीनें ऐक्वायर कर लेकिन जिस गांव की जमीन ऐक्वायर करते हैं उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके फैलाव व प्रसार के लिए, तो कुछ जमीन आप छोड़ दे ताकि वे ऐसी जगह पर फिटइन हो सकें वे लोग वहीं पर बस सकें कई जगह देखा गया है कि वहां बहुत बड़े बड़े मकान बना दिये गये हैं और वह जो बेचारे गांव के लोग हैं वे असहाय अवस्था में हो जाते हैं। न उनका कोई नक़शा पास करता है और न ही और कुछ प्रबन्ध होता है और लाचार होकर उनको परेशान होकर वहां से हट जाना पड़ता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्रीमन्, गन्दी बस्तियों की जो योजना है यह काफ़ी दिनों से चल रही है लेकिन इसकी प्रगति भी बहुत ही मन्द है माननीय मन्त्री की सेवा में मेरा विनम्र निवेदन है कि वे इस ओर अवश्य ध्यान दें और इसके काम में तेज़ी लाने की कृपा करें। यह सही बात है कि यह काम म्युनिसिपल कारपोरेशन को सौंप दिया गया है और म्युनिसिपल कारपोरेशन इसको देखती है लेकिन मैंने यह देखा है कि म्युनिसिपल कारपोरेशन में भी एक अलग मुकदमा बना हुआ है। पहले तो यह है म्युनिसिपल कारपोरेशन एक आटोनमस बौडी है और उसने आटोनमस बौडी में एक आटोनमस बौडी और बना दी है जिसका कि अधिकार म्युनिसिपल कारपोरेशन को भी नहीं है इसलिए श्रीमन्, मेरा यह निवेदन है कि आप अपनी लेविल पर अगर सम्भव हो तो कोई कानूनी सुधार कीजिये क्योंकि हम तो आप को ही कह सकते हैं। इसलिए आप कुछ ऐसा इन्तजाम कीजिये ताकि इसमें प्रगति आये और जो गन्दी बस्तियां हैं, कुछ न कुछ वहां से लोग हटें या वहां पर ही कुछ डेवलपमेंट हो, विकास-कार्य हो।

झुग्गी झोंपड़ियों के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि आजकल उसका एलाटमेंट चल रहा है। लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा कि उसमें हरिजनों के साथ में भेदभाव बर्ता जा रहा है। हरिजनों और उनके अन्य साथियों को जोकि झुग्गियों में रहते हैं उनको ऐसी जगह दी जाती है जोकि पीछे की तरफ़ होती है मेन रोड से पीछे की तरफ़ होती है उनको वहां पर बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता है। उनको यह कहा जाता है कि यहां लेना हो तो ले लीजिये वरना यहां से भी ख़ाली करके चले जाइये इसलिए मेरा निवेदन है कि म्युनिसिपल कोरपोरेशन और दिल्ली में जो और दूसरे मुहकमे हैं वह लोगों को एम्प्लाय तो कर लेते हैं, खास तौर से जो फोर्थ क्लास की लेबर है जैसे झाड़ू लगाने वाले मजदूरों को भरती तो कर लिया जाता है लेकिन उनके रहने का कोई भी इन्तजाम उनकी तरफ़ से नहीं होता है। मैं मन्त्री जी से यह निवेदन करूंगा कि स्थानीय निकायों, लोकल बौडीज़ की तरफ से जब उनको नौकर रक्खा जाता है तो नौकरी देने के साथ साथ उनके रहने का इन्तजाम भी कर देना चाहिए। नौकरी पर लगाने से पहले उनको बसाने का इन्तजाम कर चूंकि कोई इन्तजाम नहीं किया जाता है और वे बेचारे झुग्गी, झोंपड़ी डालते हैं और फिर उनको तोड़ने का सिलसिला शुरु होता है अब होता यह है कि अगर यह देखा जाता है कि कारपोरेशन के कमचारियों के साथ उनको झुग्गी से हटाने और उसे तोड़ने के सिलसिले में नर्मी बर्ती जा रही है तो उस हालत में उनके साथ और दस और ग़ैर आदमी आकर झुग्गी, झोंपड़ी डाल कर बैठ जाते हैं और इस तरह से यह सिलसिला बढ़ता जाता है इसलिए मेरा इस सम्बन्ध में विनम्र सुझाव है कि लोकल बौडीज़ नौकरी देने से पहले कम से कम अपने यहां क्वार्टर्स बनाये जहां कि उनके आवास की समुचित व्यवस्था की जा सके।

कम आय वालों के लिये जो आवास योजना है उसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि इस में जितना रुपया रक्खा गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना में, अब उसमें से सुना है कि एक तिहाई काट दिया गया है। यहां दिल्ली में पहले ही मकानों की बहुत क़िल्लत है ऐसी अवस्था में मैं मन्त्री जी से कहूंगा और श्रीमन्, आपके द्वारा, प्लानिंग कमीशन से भी कहना चाहता हूं कि वह इस कटौती को वापिस ले लें और जो एक तिहाई की कटौती की है उसको हटा दें ताकि मकान बनाने में आसानी हो सके।

गांवों के अन्दर जो मकान बनाने की बात है उसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अन्दर जैसा कि मैंने कहा केवल २५० गांव ऐसे रह गये हैं जो कि देहात के अन्दर माने जा रहे हैं। धीरे धीरे गांव समाप्त होते जा रहे हैं मैं माननीय मन्त्री की सेवा में विनम्र निवेदन करूंगा कि वह देश के अन्दर बहुत सारे गांवों को डेवलप करना चाहते हैं किन्तु मैं चाहता हूं कि जिस तरह से उन्होंने शहर के लिए एक मास्टर प्लान तैयार कर लिया है, वैसे ही दिल्ली के देहात के लिए एक ले-आउट

तैयार कर लिया जाये। आज नहीं, तो दस, बास, पच्चीस बरस बाद उन गांवों के डेवेलपमेंट का प्रश्न आयेगा। इसलिएमें चाहता हूं कि अभी से हर एक गांव का लेआउट तैयार करलिया जाये और उस ले आउट के अनुसार ही उन गांवों का विकास आगे चले और उस ले-आउट के अनुसार ही वे गांव बढ़े, ताकि जब शहर बढ़ता हुआ चला जाये, तो वेउसमें फिटइनहोते चले जायें और गांव वालों को दिक्कत न हो

श्री बागड़ी (हिसार): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फ़त यह अर्ज़ करूंगा कि यहां पर झुग्गी-झोंपड़ियों का जो मसला है, वह एक बहुत बड़ा और बहुत ख़तरनाक मसला है। इस से देश की मर्यादा टूटती है और मानवता के चरित्र पर कलंक लगता है। आज हम चीनवालों को बदमाश, दरिन्दे और पापी कहते हैं क्यों? क्योंकि वे हमारे देश में रहने वाले इन्सानों को खानाबदोश बना जाते हैं, उनके घर लूट लेते हैं, आग लगा देते हैं, मकान तोड़ देते हैं। यह बुराई है और चीन की इस बुराई के ख़िलाफ़ हम चीनियों को इन्सान-नुमा दरिन्दे कहते हैं। ऐसे मौके पर देश में कौमियत, वतनियत और देश-भक्ति का जज्बा होना यकीनी है। लेकिन दिल्ली जैसे शहर में, जो कि भारत का दिल और केन्द्र है, सरकारी कर्मचारी, कार्पोरेशन के कर्मचारी और दूसरे कर्मचारी जिस तरह काम करते हैं, विदेशी हमलावर भी उस बेदर्दी से नहीं करते होंगे। उन गरीबों के मकानों और झोंपड़ियों को वे जला देते है, बीमार बच्चे-बच्चियों को घसीट कर बाहर डाल देते है, उनका सामान बाहर फेंक देते है और ले भी जाते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब हिन्दुस्तान की जनता के दिमाग़ में यह ज़हनियत और यह कमज़ोरी आ जायगी, जब उनमें जुल्म को बर्दाश्त करने की आदत पड़ी हो जायगी, तो यह देश कभी भी विदेशी हमले का मुकाबला नहीं कर सकेगा

दूसरी बात यह है कि उन लोगों को देश का आज़ादी से क्या फ़ायदा हुआ। उनको इन बड़े बड़े महलों से क्या फ़ायदा हुआ? क्या हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता के बाद उन ग़रीबों लोगों का इस देश में इतना भी हक नहीं है कि वे कहीं पर झोंपड़ा डाल कर बैठ सकें? आज अगर वे कहीं पर झोंपड़ी डाल कर बैठते हैं, तो उनके साथ दरिन्दों का सा सलूक किया जाता है।

जो झोंपड़ियां अभी तोड़ी गई, उनमें ऐसी बच्चियां भी थीं, जिनको माता निकली हुई थी। अगर वे किसी मिनिस्टर, किसी बड़े आदमी, किसी एम० पी० या राजा-महाराजा, किसी नेता के बच्चे होते और उनकी झोंपड़ियों को तोड़-फोड़ कर उनको निकाला जाता अगर वे साये और दवा के लिए सिसकते, तो पता चलता कि यह कितना अन्याय और जुल्म है। बापू ने कई साल तक इस देश को यह सबक सिखाया था कि जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ो। मैं अदब से अर्ज़ करूंगा कि गोडसे उनकी हत्या करके शायद उनका वह सिद्धान्त ख़त्म नहीं कर सका, लेकिन हमारी लाड़ली सरकार ने इन पन्द्रह सालों में डंडे के ज़ोर से झुग्गी झोंपड़ियों को तोड़ कर गांधी जी द्वारा दिए हुए सबक को ख़त्म कर दिया है, ग़रीबों के दिलों की शक्ति और शान्ति को समाप्त कर दिया है और इस देश के लोगों के मनों को इतना दुर्बल और कमज़ोर बना दिया है कि वे कोई कदम नहीं उठा सकते।

ये बड़े महल बनें या न बनें, इस से कोई मतलब नहीं है। बड़े महल भी बनाये जायें, यह बड़ी अच्छी बात है। लेकिन कब, जब हिन्दुस्तान के रहने वालों को सिर छिपाने के लिये जगह मिल जाये। अगर बड़े बड़े महल बनाये जायें, अगर मिनिस्टर महोदय मीलों लम्बी-चौड़ी कोठियों में रहे और वे बिजली और पानी पर सैकड़ों रुपये खर्च करें, लेकिन गरीबों को उनकी झोंपड़ियों में भी रहने न दिया जाये, इस बात को किसी भी तरह मुनासिब नहीं ठहराया जा सकता है। सुना करते थे कि अगस्त्य मुनि तीन चुल्लू में समुद्र पी गये। लेकिन हमारे मिनिस्टर छः छः सौ रुपये की बिजली पी जाते हैं। लेकिन वह तो एक अलग बात है। जब एक तरफ वे इतना ज्यादा खर्च करते है उन

के लिये इतना ज्यादा खर्च होता है और दूसरी तरफ गरीबों के लिये रहनेकी कोई जगह नहीं है तो फिर यह आजादी अधूरी आजादी है और यह आजादी के माथे पर कलंक का टीका है कि झौंपड़ियों में रहने वालों को उन झौंपड़ियोंसे निकाला जाये । उन लोगों के लिये कालोनीज बनाई जानी चाहिये ।

जोरबाग रोड पर बागड़ से आये हुये कुछ बागड़ी लोग पन्द्रह बीस साल से दुकान किया करते थे । वे आजादी से पहले वहां आबाद थे । उनके पास कोई हिसाब-किताब नहीं था । अब वहां पर चारों तरफ कांटदार तार लगा कर उनको वहां पर बैठने से रोक दिया गया है । वहां पर ऐसा मोर्चा बनाया गया है जैसे चीनियों को रोकने के लिये मैकमोहन लाइन पर मोर्चा बनाया गया हो । वे गरीब लोग वहां पर अपनी रोटी कमाया करते थे लेकिन अब वहां पर काम करने और सब्जी वगैरह बेचने से उन को रोक दिया गया है ।

यह दिल्ली की बहुत गम्भीर समस्या है । इसके लिये मुझे प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू के मकान पर धरना भी देना पड़ा और झौंपड़ी-झुग्गी वालों को वहां पर लेजाकर बिठाना पड़ा । जेल भी गये लेकिन चीन के हमले और इमरजेंसी की वजह से उस आंदोलन को वापस ले लिया गया । लेकिन सवाल यह है कि सरकार इसको कितने दिन तक दबायगी । असल में यह दबेगा नहीं । यह दोनों तरह से हानिकारक है । अगर सात लाख झुग्गी-झौंपड़ी वालों की आत्मा को कुचल कर उन को खानाबदोश बना दिया तो इस देश की मर्यादा टूटेगी और यह देश मानहीन लोगों का देश बनेगा, अपनी मर्यादा को कायम रखने वालों का देश नहीं बनेगा और यह बात नहीं हो सकती । आखिर यह बापू का देश है । वे लोग कब तक जुल्म को बर्दास्त करेंगे ? अगर वे कभी अपने हक और मानवता के लिये उठेंगे, तो फिर देश में एनार्की फैलेगी और फिर सरकार की तरफ से कहा जायेगा कि उनको डिफेंस आफ इंडिया रूल्ज के तहत पकड़ लो । डिफेंस आफ इंडिया रूल्ज के तहत तो उन को पकड़ना चाहिये, जो हिन्दुस्तान, मादरे-वतन और राष्ट्रपिता बापू के हृदय और मन के राजाओं को उखाड़ते है । बापू ने कहा था कि मैं दरिद्र को रोम के रूप में देखता हूं इस लिये दरिद्र नारायण को उखाड़ने वालों पर मुकदमा चलना चाहिये । जो उनको तबाह और बर्बाद करते है वे मुजरिम हैं । जिस तरह चीन जुर्म करता है, उसी तरह यह महकमा भी जुर्म करता है क्योंकि गरीब को उनकी झौंपड़ियों से निकालता है ।

जहां तक झुग्गी-झौंपड़ी वालों का ताल्लुक है, उनको कतई नहीं उठाना चाहिये, बल्कि हर कालोनी और हर जगह पर उनको जगह दी जानी चाहिये । इस सिलसिले में हिसाब-किताब की बात कही जाती है । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में जो बेचारे गरीब और खानाबदोश लोग है, जो हजारों सालों से दलित और समाज के सताये हुये है, अगर उनके पास हिसाब-किताब होता तो वे अपनी लूट-खसूट कैसे करने देते उनका शोषण कैसे चलता ? हिसाब-किताब में वे बेचारे कमजोर हैं । हिसाब-किताब वे नहीं रख सके, इस कह कर उनको उजाड़ा जाता है । मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि यह हिसाब-किताब का सिलसिला वह बन्द करे और वह ऐसे कायदे बनाये कि जिस के पास जगह नहीं है, जहां पर वह बैठा है उसको उखाड़ा न जाये ।

इसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि हम इतिहास के साथ एक बहुत बड़ी बेवफाई कर रहे है । दुनिया में कहीं ऐसी बात नहीं हुई । महात्मा गांधी इस देश के राष्ट्रपिता थे । जहां पर वह शहीद हुये, जिस मकान में वह रहते थे वहां पर उनकी यादगार बनाने के बारे में मैंने बारहा प्रधान मंत्री महोदय से खतो-किताबत की है । उन्होंने लिखा है कि "बिड़ला साहब उस जगह को प्राइम मिनिस्टर के रहने के लिये तो देने के लिये तैयार हैं, उन्होंने ऐसा आफर किया था, लेकिन मैंने इन्कार कर

दिया ।" जब बिड़ला साहब से पूछा गया, तो उन्होंने भी कहा कि "हां, मैंने प्राइम मिनिस्टर के रहने के लिये तो जगह देने की बात कही थी।" अध्यक्ष महोदय, आप और यह सदन शहीदों के इतिहास से पूरी तरह वाकिफ है। जब शहीदों के इतिहास को भुलाया जाने लगा तो देश और कौम तरक्की नहीं कर सकते। अगर हमारे मिनिस्टर साहब बिड़ला साहब के साथ खतो-किताबत करते, एक दो लाख रुपया ज्यादा लग जाता, उस जगह को एक्वायर करके वहां पर महात्मा गांधी का स्मारक और शहीद होने की जगह पर यादगार बनाते, तो अन्याय और फिर्कापरस्ती के खिलाफ बापू का जो खून बहा था, उससे देश को प्रेरणा मिलती और वह आगे बढ़ता। लेकिन देश का क्या कहें, इस पार्लियामेंट को कब्रिस्तान बनाया जा रहा है और यहां पर मोतीलाल जी का बुत लगाया जा रहा है, महात्मा गांधी का नहीं। मुझे इस बात पर एतराज नहीं है कि यहां पर पंडित मोतीलाल नेहरू का बुत लगता है या और किसी का। कुछ खूबियां और खसूसियत देख कर और नेशन के लिये किये गये त्याग को देख कर ही ऐसे बुत लगाये जाते हैं। ठीक है, उन का भी त्याग है। लेकिन जहां पर महात्मा गांधी का बुत नहीं लग सकता और नहीं लगा, वहां पर यह बुत लगाया जा रहा है। अगर यहां पर किसी का बुत लगाना था, तो उन शहीदों में से किसी का बुत नस्ब किया जाता, जिन्होंने नेफा और लद्दाख की पहाड़ियों पर मादरे-वतन की सेवा करते हुये मादरे-वतन की हिफाजत करते हुये जिन्दगी दी। अगर उनमें से किसी का बुत लगता तो कौम में जिन्दगी आती। लेकिन यहां पर तो कब्रिस्तान बनाया जा रहा है। चाहे किसी प्राइम मिनिस्टर का बाप हो चाहे कोई और हो, यह हमारे देश के लिये अच्छा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य को इस बारे में कुछ एहतियात तो करनी चाहिये। पार्लियामेंट में और उसके एहाते में जो चीज लगती है उसके बारे में अगर माननीय सदस्य मेरे पास आ कर बात करें तो अच्छा होगा। माननीय सदस्य यह जानते हैं कि यहां पर जो चीज लगाई जाती है, वह स्पीकर की इजाजत से ही लगाई जाती है।

श्री बागड़ी : इस बारे में हमारे होम मिनिस्टर साहब ने इशारा किया था . . .

अध्यक्ष महोदय: किस की इजाजत से लग रहा है इस को भी आपको देख लेना चाहिये। बिना स्पीकर की मर्जी के कोई भी चीज नहीं लगाई जा सकती है। अगर आपको इस पर कोई एतराज है तो आप मुझ से आ कर बात कर सकते थे और मैं आपको सारी बात बतला सकता था।

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चंद खन्ना) : इसमें गलतफहमी नहीं होनी चाहिये। जो बुत लग रहा है वह इस लिए नहीं लग रहा है कि वह किसी के पिता थे। वह इसलिए लग रहा है कि उनका बड़ा जबर्दस्त असैम्बली के साथ संबंध था पार्लियामेंट लाइफ के साथ संबंध था। यह भी हर कोई जानता है कि इस हाउस के आप मालिक हैं पार्लियामेंट हाउस के प्रिसिंक्ट्स आप मालिक हैं। मेरे ख्याल में जो इनका रिमार्क था मोतीलाल जी के मुतल्लिक यह ठीक नहीं था। वह हमारे देश के एक जबर्दस्त नेता थे और उनकी बहुत भारी कुर्बानी थी। उसके मुतल्लिक मेरे ख्याल में इस तरह की बातें कहना जैसी कि माननीय सदस्य ने कहीं हैं बायसे अफसोस है। मुनासिब यह होगा कि इस किस्म के रिमार्क्स को प्रोसीडिंग्ज में से एक्सपंज कर दिया जाये। वह एक बड़े जबर्दस्त नेता थे और हिन्दुस्तान को आजाद कराने में उनका बड़ा जबर्दस्त हिस्सा था...

श्री बागड़ी : गांधी जी से ज्यादा हिस्सा तो नहीं था...

अध्यक्ष महोदय : आप उसी बात पर जिद्द कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है। **(अन्तर्बाधा)** मुझे इजाजत है कि मैं कुछ कह सकूं ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

श्री बागड़ी : जी हां ।

अध्यक्ष महोदय : मुझ से पहले जो स्पीकर साहिबान थे उन्होंने दो व्यक्तियों के बुत लगाने की मंजूरी दी थी । एक मोतीलाल जी नेहरू के बुत की और दूसरे लाला लाजपत राय जी के बुत की जोकि पंजाब के थे । उनका फैसला यहां हो चुका । अब अगर आपको इसके बारे में कोई शिकायत है तो आप मेरे साथ आ कर बहस कर सकते है और मुझे अपना एतराज बता सकते है । मैं आपको कागजात दिखा सकता हूं और दूसरी चीजें आपके सामने पेश कर सकता हूं । अगर आपको यह मालूम न होतो इसके बारे मैं आप मुझ से पूछ सकते है ।

जहां तक इस अहाते का ताल्लुक है, स्पीकर की मर्जी के बगैर कोईचीज नहीं लग सकती है। यह बात कहना कि प्राइम मिनिस्टर के पिता का लग रहा है ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री के पिता होने के बिना मोतीलाल जी का सियासत में, पार्लिमेंटरी लाइफ में और फ्रीडम स्ट्रगल में जो हिस्सा था, उसको भी देख लिया जाना चाहिये । इस तरह से मुकाबले शुरू कर देना कोई मुनासिब बात नहीं है । मैं यह नहीं समझता हूं कि जो कुछ उन्होंने कहा है उसको निकालदेना ठीक होगा । लफ्ज वाकई अफसोसनाक है। मगर में उचित नहीं समझता हूं कि उनको निकालने की जरूरत है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर): आपने कहा है कि आप से पहले जो अध्यक्ष थे उन्होंने यह निर्णय लिया था कि पंडित मोतीलाल नेहरू जी और लाला लाजपत राय जी के स्टेचू यहां पर लगा दिये जायें । लेकिन सदस्यों को पता तब लगा जब यहां पर उन के बनने की तैयारी होने लगी। उससे पहले सदन में या समाचारपत्रों के द्वारा किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिली थी । इसीलिय यहां उसकी चर्चा आई। अगर पता लग जाता तो अच्छा होता .....

अध्यक्ष महोदय : आपने उस दिन भी एतराज किया था लेकिन में खामोश रहा था । आप सब जानते हैं कि इस अहाते के अन्दर स्पीकर की आखिरी आथोरिटी है। आपने इतना कष्ट भी नहीं किया कि मेरे साथ आकर बैठते और बात करते । बिना ऐसा किये आपने यहां पर नुक्ता-चीनी करनी शुरू करदी । मेरा एतराज यह है कि ऐसा करना ठीक नहीं है। मेरे आने से पहले इसका फैसला हो चुका है कि ये दो बुत यहां लगाये जायें, मोतीलाल जी का और लाला लाजपत राय का। इस मामले में एक आदमी की एक राय और दूसरे की दूसरी राय हो सकती है। लेकिन इसका इलाज यह है कि आपस में हम मिल कर इसपर विचार कर लें। गवर्नमेंट का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जो सोसाइटी यहां पर एक अर्से से बनी हुई है वह इस बात के लिये जोर देती आ रही है कि लाला लाजपत राय का बुत लगाने की उसको इजाजत दी जाये। उसका कहना है कि तमाम पब्लिक की यह इच्छा है और वह काफी देर से बुत बनवाने की इंतजार में है। अगर आप का कोई एतराज हो तो आप रेले पास आइये, में आपको समझा दूंगा कि किन आदमियों की इच्छा है, कौन मेरे पास आते है ।

मैं पहले ही कह चुका हूं कि जहां तक पार्लिमामेंट का ताल्लुक है और इस अहाते का ताल्लुक है, उसके बारे में आखिरी आथोरिटी स्पीकर की है । बिना इसका रूमाल किये हुए नुक्ताचीनी शुरू कर देना और यह कहना शुरू कर देना कि प्राइम मिनिस्टर के बाप की लगा रहे हैं दुरुस्त नहीं है । मोतीलाल जी का स्थान नेहरू के बाप होने के अलावा और भी हमारे पालिटिक्स में है उनके लिये हमारे दिलों में इसीलिये इज्जत नहीं है कि वह जवाहरलाल के पिता थे ।

श्री बागड़ी : मैं आप की बात मानता हूं । मगर मैं खन्ना साहब ने जो कुछ कहा है, उसका जवाब देना चाहता हूं । वैसे मोतीलाल नेहरू जी की ताजीम हिन्दुस्तान के अन्दर दूसरे देशभक्तों

से कम नहीं हैं। बहुत से देशभक्त हमारे देश में हुए हैं। उनकी ही सब से ज्यादा देशभक्ति थी, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। उन्हीं में ही कोई खास विशेषता थी, यह भी नहीं . . .

अध्यक्ष महोदयः इन्होंने नहीं कहा है कि उन से ज्यादा किसी और की नहीं थी।

श्री बागड़ी : वह यह कह रहे थे कि इस तरह की बात जो कहता है, उसको शर्म आनी चाहिये। मैं ने तो ऐसी कोई शर्म की बात नहीं कही है। मैं देशभक्तों की बड़ी ताज़ीम करता हूं। जो साधारण कोटि का देशभक्त भी हो गुज़रा है, उस की भी मैं इज्जत करता हूं। अगर शहीदों की शहादत को मैं भुला दूं तब तो मुझे शर्म आये। मैंने तो उनकी शहादत को नहीं भुलाया . . .

अध्यक्ष महोदय : आप इस को छोड़िये और जो कुछ आप को कहना हो, कहिये।

श्री बागड़ी: डिफेंस कालोनी के अन्दर पहले फौजियों और जो रिटायर्ड फौजी थे, उनके लिए जगह दी गई थी। अब वहां पर आम आदमी भी ज़मीन खरीद सकते हैं। इसका नतीजा यह हुआ है कि पैसे वाले लोग ही उस ज़मीन को खरीद रहे हैं और जो फौजी हैं, और जो रिटायर्ड फौजी हैं, वे वैसे ही रह जायेंगे। मेरा सुझाव यह है कि इसकी बन्दी की जाये।

आजकल महंगाई बहुत अधिक है। दिल्ली 'ए' क्लास सिटी है। जो लोग यहां पर दो सौ रुपया माहवार पाते हैं, उन से किराये के ४५ रुपये काट लिये जाते हैं। यह बहुत बड़ी रकम है। मैं अर्ज़ करूंगा कि दो सौ तक जिन मुलाजिमों की तनख्वाह है, उन से यह रकम किराये की सूरत में नहीं काटी जानी चाहिये।

अब एक आखिरी बात मैं अर्ज़ करना चाहूंगा। देश में एमरजेंसी है और आज के हालात का यह तकाज़ा है कि खर्च कम किया जाये। जो बिजली पानी वाला सवाल आया था, उस के लिए मैं मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। कई मिनिस्टर तो उस बात को ले कर छटपटा उठे थे। मेरा सुझाव यह है कि मिनिस्टरों को छोटी कोठियां दी जानी चाहियें। आप देश के भूखे तथा नंगे लोगों से, उन के मुंह से एक एक दाना और एक एक बूंद मांगते फिरते हैं। क्यों मिनिस्टर लोगों की कोठियों में खर्च कम नहीं आप करते हैं। यह जो पानी, बिजली, फर्निचर का खर्च है, यह भी कम होना चाहिये। मेरा सुझाव है कि यह सब खर्चा उन को अपनी जेब से देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदयः श्री बाल्मीकी।

श्री बाल्मीकी (खुर्जा) : अध्यक्ष महोदय, ...

अध्यक्ष महोदय : वह शायद उम्मीद नहीं करते थे कि उन को वक्त मिलेगा।

श्री बाल्मीकी : निर्माण, आवास, सम्भरण तथा पुनर्वास मंत्रालय के सम्बन्ध में आपने मुझे जो बोलने का अवसर प्रदान किया है, उस के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

पुनर्वास मंत्रालय को इस निर्माण, आवास मंत्रालय के अन्दर विलीन कर दिया गया है और उस काम को माननीय मंत्री जी समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं। वह समझते हैं कि पुरुषार्थी भाइयों की समस्या हल हो गई है। मैं मानता हूं कि वह बहुत कुछ हल हो भी गई है और उसका श्रेय उन को मिलना चाहिये। लेकिन आप के द्वारा मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वे पुरुषार्थी भाई जो गरीबों की तरह रह रहे हैं, जो बगैर जायदादों के रहे हैं, विशेषकर हरिजन, उन के पुनर्वास का काम 'न' के बराबर ही हुआ है। मैं यहीं नहीं देश के अनेक

[श्री बाल्मीकी]

भागों में जाने के बाद और अभी पंजाब के अन्दरूनी भागों में भी गया था, वहां मैं ने देखा है कि बलूचिस्तान, सिंध या फ्रन्टियर जहां से कि हमारे मंत्री महोदय आते हैं वहां से भी बहुत से पुरुषार्थी भाई आये हैं, विशेषकर हमारे हरिजन लोग, जिन के लिये न नौकरियों का प्रबन्ध हुआ है और न रहने का, इसलिये कि उन के पास कोई जायदाद नहीं थी। कुछ कालोनीज यहां बनाई गई हैं, लेकिन उन कालोनीज में भी इस तरह के ज्यादातर लोगों को नहीं बसाया गया, हालांकि वहां पर बहुत काफी लोग बसाये गये हैं। यह ठीक है कि इस अवसर पर जब कि हमारे देश पर चीन के हमले से स्थिति बड़ी विषम है, मैं और तरह की विवादग्रस्त बातों को नहीं उठाना चाहता लेकिन फिर भी मैं यह अवश्य कहना चाहता हूं कि जो देश का विभाजन हुआ, वह देश के लिये बड़ी दुःखदायी घटना थी। हमें बापू जी को हाथ से खोना पड़ा। वह भी अत्यन्त दुःखजनक घटना थी। हालांकि यह बात भी सही है कि अनेक हमारे भाई ऐसे हैं, विशेषकर सफाई का काम करने वाले बाल्मीकी भाई, जिन को यहां लाया गया और अवसर भी दिया गया, लेकिन आज भी हमारे बहुत काफी भाई पश्चिमी पाकिस्तान में रह गये हैं, जिन के खत आते रहते हैं और उन में उन की दुःखभरी घटनायें वर्णित रहती हैं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह बात विशेषकर हमारे इतिहास में एक याद बन कर रह जाती है कि अभी उन को हटाने का काम कुछ हद तक ही किया गया है। उन के रिपैट्रिएशन का काम बीच में छोड़ दिया गया है। जब भी इस विषय में पाकिस्तान सरकार से सलाह की गई, उस सलाह के अन्दर भी जहां तक उन के धर्म को जबर्दस्ती बदलने का सवाल है या किसी तरह से उन को पाकिस्तान में जबर्दस्ती रखने की बात है उन की इच्छा के विरुद्ध, मैं कहना चाहता हूं कि उस ओर कम ध्यान दिया गया है, उस की ओर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस को जरूर समझेंगे कि आज भी अनेक इस प्रकार के लोग हैं जिन की पत्नियां तो यहां हैं और आदमी वहां हैं या पत्नियां वहां हैं और आदमी यहां हैं। उन को ठीक तरह से लाने का कोई भी प्रयास नहीं किया गया है।

जहां तक सफाई पेशा और बाल्मीकी भाइयों की बस्तियों के बसाने का सवाल है, मैं समझता हूं कि यह काम बहुत उदासीनता से किया गया है, न के बराबर किया गया है। मैं यह दोष अवश्य इस मंत्रालय के सिर पर मढ़ना चाहता हूं। यहां पर कोई भी कालोनी बनी हो, चाहे विनोबा कालोनी हो या कालका कालोनी हो, जो भी क्वार्टर बनाये गये वह जो हमारे भाई हैं उन लोगों के हाथ नहीं पड़े बल्कि दूसरे रिफ्यूजी भाइयों को दिये गये। यहां तक कि विनोबा कालोनी के अन्दर एक प्रकार का क्रीड़ा स्थल बनाया गया, और एक कम्युनिटी हाल बनाया गया, कालका कालोनी के अन्दर भी उसी प्रकार से बनाया गया, लेकिन वह हमारे भाइयों के विरुद्ध दूसरों को दे दिया गया जब कि खास तौर से उन के काम के लिये ही, उन के सार्वजनिक कार्यों के लिये ही, वे स्थान बनाये गये थे, लेकिन वह नहीं हुआ। बावजूद इस बात के कि हम को हर तरह से इस के योग्य समझा जाता है दूसरों से ज्यादा, लेकिन उन को नहीं दिये गये। जिन लोगों को सदियों के प्रयास के बाद योग्यतम समझा गया है उन में इतनी योग्यता है कि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें और अपना काम सम्भाल सकें, वे सिर्फ आप की सहायता चाहते हैं, लेकिन हमें इस बात पर बड़ा अफसोस होता है कि वह सहायता हमें नहीं मिल रही है। माननीय मंत्री जी सहृदयता के साथ सब की बातों को सुनते हैं। मैं आशा करता हूं कि वे विशेषकर इन बातों की तरफ ध्यान देंगे और हमारी समस्याओं के हल में सहायता देंगे।

जहां तक इवैक्वी प्रापर्टी का सवाल है, हो सकता है कि जो लोग शक्तिशाली थे, जो लोग धन वाले थे उन को किसी प्रकार से कम्पेन्सेशन के रूप में जमीनें मिलीं चाहे वे रहने की

रही हों या खेती की रही हों या आवास आदि की रही हों। हो सकता है कि इस तरह के लोगों को अधिक सहायता प्राप्त हो सकी हो जो कि धन आदि के रूप में अपना काम कर सकते थे, लेकिन जहां तक हरिजनों का सवाल है, विशेषकर बाल्मीकी भाइयों का, जो कि उन स्थानों पर बैठे थे, उनको जमीनें नहीं मिलीं। मैं अभी पंजाब के दौरे पर गया था, और वहां से लौट कर आया हूं। वहां पर सब जगहों पर ऐसी शिकायत आई है कि जिन अहातों के अन्दर जिन कटरों के अन्दर या मोहल्लों के अन्दर, या उन जमीनों के ऊपर जो कि देहातों या शहरों में थीं, जो लोग बीस बीस साल से, चालिस चालिस साल से, साठ साठ साल से हरिजन बैठे हुए हैं वहां उन में से बहुत कम लोगों को जमीनें दी जा सकीं हैं। मगर इस के लिये न किसी प्रकार की सहायता सरकार की ओर से होती है और न विभाग की ओर से होती है। इस प्रकार के झगड़े सरकार के सामने आये भी हैं।

जब माननीय पन्त जी जिन्दा थे, सेंट्रल हरिजन वेलफेअर बोर्ड के अन्दर यह बात आई थी और यह कहा गया था कि अगर जो हरिजन इवैक्वी प्रापर्टी पर रहते हैं, और एक तरह से उन का कब्जा भी हो, वे धीरे धीरे किश्तों में धन दे दें। और वे दे भी सकते हैं, तो दस हजार रुपये से कम की जो प्रापर्टी है वह उन्हें प्राप्त होजायेगी। लेकिन प्रश्न यह है कि उन पर बोलियां लगाई जाती हैं। जब बोलियां लगाई जाती हैं तो जो धन वाले हैं, जो पैसा वाले हैं या जो इस प्रकार के लोग होते हैं जो कि हर एक को खुश कर सकते हैं वे उन को खरीद ले जाते हैं। इस बारे में एक यह भी शिकायत है कि इस तरह के लोग बड़ी बोली बोलकर हिस्सा ले जाते हैं और हरिजनों को वे जमीनें प्राप्त नहीं हो सकती हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो हरिजन इन इवेक्वी प्रापर्टीज के अन्दर बैठे हुए हैं, चाहे वे आवास की हों या किसी और प्रकार की हों, इस बात का प्रयत्न किया जाना चाहिये कि वे जमीनें उन को ही मिलें। यह एक गम्भीर सवाल है जिस की ओर हम को ध्यान देना चाहिये।

आज हमारे देश में स्थिति यह है कि हमारा देश समाजवाद की ओर बढ़ रहा है। हम ने समाजवाद को अपनाया है, आज हम समाजवादी ढांचे से पार हो रहे हैं। चाहे हम पर कोई चीनी खतरा ही क्यों न हो लेकिन जो हमारा मन्तव्य है, जो हमारा ध्येय है वह आज भी जारी है। समाजवाद का एक ही उद्देश्य होता है कि इस के अन्दर जो रहने के साधन हैं, खाने पीने के साधन हैं और जो सम्पत्ति प्राप्त करने के साधन हैं वे सामान्यतया ऐसे हों कि वे उन लोगों को भी प्राप्त हो सकें जिन्हें कभी प्राप्त नहीं हुए हैं। जो सदियों से भूखे रहे हैं और समाज की सेवा करते रहे हैं, उन्हें जमीनें प्रतप्त हो सकें। मैं इस ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मैं माननीय मंत्री महोदय को विशेषकर धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो भ्रष्टाचार वर्क्स, हाउसिंग मंत्रालय में प्रतीत होता था उस में कमी हुई है। इस तरह के भ्रष्टाचार करने वालों को चाहे वे इंजीनियर हों या कोई भी हों, आड़े हाथों लिया गया है। लेकिन मैं वाशेषकर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस मंत्रालय के अन्दर जो भ्रष्टाचार की जड़ है वह ठेकेदारी प्रथा है। इसकी वजह से जो भ्रष्टाचार होता है उस को समाप्ति की ओर ले जाने के लिये कोई प्रयत्न नहीं किया गया है, चाहे वह किसी भी रूप में हो, चाहे सरकारी ढंग पर किसी दूसरे आधार पर। मैं कहना चाहता हूं कि इस बारे में विशेषकर जो हमारी कोआपरेटिव सर्विस सोसायटीज हैं उन की सहायता ली जाय और प्रोत्साहन दिया जाये। यह वायदा भी किया गया था कि धीरे धीरे यह ठेके सहयोग के आधार पर उन लोगों को भी दिये जायेंगे जिस से साधारण जनों का सहयोग हम को

[श्री बाल्मीकी]

प्राप्त हो सके। मैं विशेष रूप से आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि आज हम समाजवादी समाज की बात करते हैं, उस के ऊपर बार बार ध्यान देते और दिलाते हैं, विशेषकर हमारी आवास समस्याओं की ओर इतना ध्यान उस दृष्टि से नहीं दिया जाता है लेकिन यह बात ठीक है कि आवास का प्रश्न एक बहुत जटिल प्रश्न है। गन्दी बस्तियों के बारे में और झुग्गी झोंपड़ियों के बारे में दूसरे साथियों ने भी प्रश्न उठाया है कि इस की ओर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार इस ओर ठीक से ध्यान दिया जाना चहिये, जिस प्रकार बेरहमी से झुग्गी झोंपड़ियों गिराई जाती हैं उस प्रकार से जुल्म नहीं होना चाहिये। वे लोग जहां पर रहते हैं, जिस आराजी पर रहते हैं, वहीं पर उन्हें बसाने का प्रयत्न किया जाय। मैं यहां पर यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि भंगियों के आवास या सफाई पेशा लोगों के आवास की तरफ बहुत कम ध्यान दिया गया है। यह काम बहुत मन्थर गति से चल रहा है और राज्य सरकारें भी इस ओर बहुत काम नहीं कर रही हैं। इधर तेजी बरती जानी चाहिये।

आप रफी मार्ग पर संसद सदस्यों के लिए एक होस्टल बनाने जा रहे हैं। वहां पर आप विशेष कर एक गोष्ठी क्लब बनायेंगे जहां पर आमोद प्रमोद और आनन्द विहार होगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि जो भंगी भाई वहां चालीस सालों से रह रहे हैं उन का क्या होगा। जिन मेम्बरों के लिये वे बनाये जायेंगे उन के पास कार भी हो सकती है, दूसरे साधन भी हो सकते हैं, उन को आप कहीं दूर पर भी बसा सकते हैं। लेकिन इन गरीब भाइयों को उखाड़कर समाजवादी समाज का आधार कहीं आ सकेगा। समाजवादी समाज का आधार यह है कि जो लोग बीच में रह कर सुबह से शाम तक सेवा करते हैं उन को न उखाड़ा जाय। माननीय मंत्री जी स्वयम् जानते हैं, मैंने उन से बातें की हैं, कि उन लोगों की क्य कठिनाइयां हैं। इस अवसर पर उन लोगों को उखाड़ा न जाय, उन को दूर न भगाया जाय। उन को जो दूर भेजा जा रहा है जिस से कि वे कष्ट को प्राप्त हो रहे हैं, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

जहां तक उन को बसाने का प्रश्न है, गन्दी बस्तियों के लिहाज से इस आवास की योजना में उनको कम स्थान दिया जा रहा है। मैं समझता हूं कि अब इस पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। इन शब्दों के साथ मैं फिर माननीय मंत्री जी का ध्यान आप के द्वारा आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे भंगी भाइयों के लिये आवास बनाये जायें, वे दूर न भेजे जायें। इस बात की मिसाल हमारे दिमागों में रहेगी कि संसद् सदस्यों को चूंकि दूर बसाया जा सकता है इसलिये गरीब लोगों को उन की जगहों से उखाड़ कर कष्ट में न डाला जायेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री।

श्री कछवाय (दवास) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी नाम था, मैंने भी नाम दिया था।

अध्यक्ष महोदय : नाम तो है, लेकिन वक्त नहीं है।

श्री कछवाय : मैंने तीन चार रोज से नाम दिया हुआ है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : नाम तो है आपका और भी कई नाम हैं लेकिन वक्त नहीं। इस वक्त तो आपको मौका नहीं दिया जा सकता।

श्री कछवाय: मैंने काल अटेंशननोटिसदियाथा और मुझे बतलाया गया था कि तुम इस पर बोल सकते हो।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपकी पार्टी का कोई मेम्बर इस पर बोला है?

श्री कछवाय: जीहां, लेकिनमैंनेअरजेंट नोटिस दिया था और मुझे सेक्रटरी महोदय द्वारा सूचना मिली थी कि मुझे समय मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय: लेकिन आपकी पार्टी को मौका तो दिया गया, अब अगर उसने दूसरे मेम्बर को खड़ा करदिया तो मेरा क्या अख्तियार है। अब तो मैंने मिनिस्टर साहब को बुलाया है, आप फाइनेन्स बिल पर बोल लीजिएगा।

†**निर्माण आवास, तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना):** अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये महत्वपूर्ण सुझावों के लिए आभारी हूं। संभव है कि मैं अपने सीमित समय में प्रत्येक सुझाव के बारे में न बोल सकूं, परन्तु उन्हें ये बताने की मेरी इच्छा अवश्य है कि प्रत्येक सुझाव की जांच की जायेगी और यथोचित कार्यवाही की जायेगी। मैं संबंधित माननीय सदस्यों को उनके द्वारा उठाई गई बातों के बारे में लिख भी सकता हूँ। मैं इसके लिए कोशिश करूंगा। मैं उन माननीय सदस्यों काभी आभारी हूं जिन्होंने परसों पुनर्वास मंत्रालय में मेरे कार्य की सराहना की थी। इससे बड़ा ही प्रोत्साहन मिलता है। इतने वर्षों बाद, जिसने अपना कार्य ईमानदारी से करने की कोशिश की, उसके ही सहयोगियों ने उसकी सराहना की।

अब यह मंत्रालय पुनर्वास मंत्रालय नहीं है जिसका कि मैं कार्यभारी था और लगभग १५ वर्ष तक कार्यभारी था। इस मंत्रालय का नाम निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय है। इसके अतिरिक्त हम इस मंत्रालय में मुद्रण, प्रकाशन तथा लेखन सामग्री के बारे में कार्यवाही करते हैं। फिर, हमारा संभरण विभाग था जो अब मेरे पास नहीं है। डा० सिंघवी ने परसों इसका उल्लेख किया था और कहा था कि क्या इस विभाग का मेरे मंत्रालय से लिये जाने से मेरा संबंध नहीं है। मुझे केवल एक बात का खेद है कि मुझे अपने माननीय साथी श्री जगन्नाथ राव से अलग होना पड़ा। इस अल्पकाल में जबकि वह मेरे साथ उन्होंने बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण कार्य किया और बहुत सहायता दी। हम बायलरों तथा विस्फोटकों के बारे में भी कायवाही करते हैं। हम अशोक होटल, दि हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी और राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम जैसे सरकारी उपक्रमों के बारे में भी कार्यवाही करते हैं। यहवहमंत्रालय है जो कभी सेवा मंत्रालय कहा जाता था। हमने सेवा करने तथा भरसक कार्य करने का प्रयास किया है। परन्तु आज मैं इस मंत्रालय के केवल दो या तीन बड़े पहलुओं पर विचार व्यक्त करूंगा।

मैं पहिले आवास की बात लेता हूं। हमारे पास दो तरह के आवास हैं। एक सामाजिक आवास है और दूसरा इस मंत्रालय का सीधा आवास प्रोग्राम है जो हम लोक-निर्माण विभाग द्वारा पूरा करते हैं। जब मैं सामाजिक आवास का उल्लेख करता हूं तो मेरे दिमाग में औद्योगिक आवास योजना, गन्दी बस्ती हटाना, झुग्गी झोंपड़ी योजना और अल्प-

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मेहर चन्द खन्ना]

आय वाले वर्गों की योजना, किराये पर रहने और ग्रामीण आवास की बातें आती हैं। ये बड़ी ही महत्वपूर्ण योजनायें हैं। ये योजनायें कुछ वर्ष पहिले आरम्भ की गई थीं। मूल रूप में योजनायें बहुत ही ठोस हैं और वह देश के और विभिन्न प्रकार की जनसंख्या के सर्वश्रेष्ठ हित में हैं, आप चाहे उसे ग्रामीण जनसंख्या कहें, चाहे गन्दी बस्तियों के निवासी कहें चाहे औद्योगिक मजदूर कहें, या जो किराये के मकान में रहता है वह कहें। हम धन के बिना मकान नहीं बना सकते। हम धनाभाव में बहुत सी बातें कर सकते हैं, परन्तु आवास के लिए धन की आवश्यकता है। चाहे मैं भूमि खरीदूं, चाहे भूमि का विकास करूं, चाहे पानी या बिजली लगवाऊं, धन का होना आवश्यक है। पहिली पंचवर्षीय योजना में इन योजनाओं के बनते समय लगभग ३५ प्रतिशत आवास के लिए आवंटन किया गया था। दूसरी योजना में यह आवंटन घटकर १९ प्रतिशत हो गया और तीसरी योजना में यह केवल १५ प्रतिशत रह गया। यह दुर्भाग्य है कि एक ओर पिछले दस वर्षों में, १९५१ से १९६१ तक देश की जनसंख्या बढ़ी है, देश की जनसंख्या लगभग २१ प्रतिशत बढ़ गई है, तो दूसरी ओर तीन उत्तरोत्तर योजनाओं में आवास आवंटन ३४ प्रति शत से घटा कर केवल १५ प्रतिशत कर दिया गया है।

†**श्री अ० प्र० जैन** (तुमकुर) : आपकी खिलाफ हमारी यही शिकायत है।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : उस समय मैं आपके साथ था। आपको मेरे विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है। मैं आपका सलाहकार था। आपने मुझ से यही कहा था। आपने मुझे बधाई दी थी।

स्थिति यह रही है। संभव है कि कारण उचित हो। मैं नहीं कहता कि कोई कारण न था, कि आयोजकों ने, जिन्होंने आवास के अन्तर्गत योजना आवंटनों में भारी कमी की है, आवास को वही महत्व या प्राथमिकता दी है जो दी जानी चाहिये। परन्तु बात यही रहती है कि इस काल में धन बहुत कम उपलब्ध था, हालांकि हम आवास पर लगभग १७० करोड़ रु० व्यय कर चुके हैं, हम २,५५,००० से अधिक मकान बना चुके हैं। यदि मुझ से पूछा जाय कि "क्या तुम काम से पूर्णतया सन्तुष्ट हो, तो मैं खेद के साथ स्वीकार करता हूं कि मुझे कहना होगा 'नहीं'। हमें अच्छा काम करना चाहिये था क्योंकि यदि सामान्य व्यक्तियों को मकान लेना है और यदि समाजवादी ढंग के समाज के मूल आधार खाना, वस्त्र और आवास हैं तो मैं चौथी प्राथमिकता का उल्लेख नहीं करूंगा जिसका कि मेरे माननीय मित्र भूतपूर्व मंत्री ने किया है, और इसके लिए मेरे कारण स्पष्ट हैं, मेरी अवस्था और मैं वापस जा कर इस पर बात नहीं करेंगे।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

†**श्री अ० प्र० जैन** : अवस्था भी भ्रामक है।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मैं उस प्राथमिकता का उल्लेख नहीं करूंगा। परन्तु समाजवादी ढंग के समाज में मैं मानता हूं कि आवास, भोजन और कपड़ा—चाहे आपके पास खाना, कपड़ा और मकान हो—हमारे समाज के मूल सिद्धान्त हैं। खाने और कपड़ा की ओर ध्यान दिया गया है। परन्तु आवास की ओर उतना ध्यान नहीं दिया गया है। जब मैंने,

†मूल अंग्रेजी में

लगभग ११ मास पूर्व इस मंत्रालय का भार सम्भाला, तो मैं विभिन्न राज्यों में गया और आवास विभागों में अपने सहयोगियों से विचार विमर्श किया । समस्या का विश्लेषण करने के बाद हमने आवास मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया। परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि उसी समय भारत पर चीन का आक्रमण हो गया । परिणाम यह हुआ कि हमारे इस विचारके होते हुए भी कि हमारे पास जो धन है और हम जो साध्य प्राप्त करना चाहते हैं, मैं योजना मंत्री और वित्त मंत्री को सन्तुष्ट कर सकूंगा, हम देश पर अचानक आये संकट और कठिनाइयों के कारण, हम और कोई आवंटन प्राप्त न कर सके । वास्तव में हमारे आवंटन और कम हो गये हैं । मुझे इस पर कोई शिकायत नहीं है क्योंकि मेरा यह विश्वास कि यदि इस देश को सबल रहना है, तो प्रतिरक्षा हमारी पहली आवश्यकता है और प्रतिरक्षा के लिए, कोई भी और प्रत्येक अन्य काम रुक सकता है और रुकना चाहिये । सीमा पर पचास वर्ष से अधिक समय तक रहने से मेरा यही अनुभव है । मैं महसूस करता हूं कि यदि देश को सबल बनना है—आक्रमण का मुकाबला करने के लिए इसे सबल होना चाहिये तो- -शायद हमें बहुत सी कटौतियों का सामना करना होगा । परन्तु आवास मंत्री के रूप में मुझे शिकायत है कि जब कि अन्य मामलों में शायद आवंटन बढ़ रहे हैं, तो मेरे मामले में यहां तक कि औद्योगिक आवास के मामले में भी जो कि उत्पादन का एक भाग है—क्योंकि यदि उद्योग स्थापित होने हैं, तो औद्योगिक मजदूरों को आवास देना होगा, और जब तक हमें उन्हें मकान नहीं देते, तब तक मुझे डर है कि हम उत्पादन लक्ष्य उतना नहीं बढ़ा सकते—आवंटन घटाये जा रहे हैं। मुझे आशा है कि मेरे भूतपूर्व सहयोगी, जो अब आर्थिक तथा प्रतिरक्षा समन्वय मंत्रालय में, जो अब उत्पादन के लिए प्रभारी है, चले गये हैं, इस विषय पर आपने मंत्री जी से बात करेंगे और प्रयास करेंगे कि यदि वह उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं और उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, तो उन्हें औद्योगिक आवास के लिए धन जुटाना होगा ।

इस कठिन समय में भी हमने धन प्राप्त करने और निर्माण कार्यक्रम आगे बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाये हैं आवास के लिए हमें दो शीर्षकों के अन्तर्गत धन मिलना है एक तो योजना के अन्तर्गत, जैसे तीसरी योजना या और किसी योजना के अन्तर्गत और दूसरा जीवन बीमा निगम से । तीसरी योजना में आवासन के लिए निर्धारित लगभग १८० से १९० करोड़ रुपये में से ६० करोड़ रुपया जीवन बीमा निगम से प्राप्त होगा । पिछले साल उससे १० करोड़ रुपये के मुकाबले सिर्फ़ ६ करोड़ रुपया मिला । बम्बई में दूसरे आवास मंत्रियों के सम्मेलन में हमने जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष को आमंत्रित किया था और उन्होंने बताया कि वह उस कमी को पूरा कर देंगे। इसलिए इस वर्ष १० करोड़ रुपये के बजाय १४ करोड़ रुपया हमें मिलेगा ।

दूसरी बात केन्द्रीय आवासन बोर्ड की स्थापना के बारे में है । योजना में उसका उल्लेख किया गया है और वह योजना सरकार और संसद ने स्वीकार कर ली है लेकिन मैंने पहले बताया था कि धन इकट्ठा करने के मामले में जब स्वतः हम कठिनाई में हैं तो किसी भी आवासन बोर्ड के लिए इस समय धन इकट्ठा करना एक असंभव कार्य जैसा है ।

इसलिए मेरा सुझाव यह है कि यदि जीवन बीमा निगम और १० करोड़ रुपया मकान बनाने के काम में लगाने के लिए सहमत हो जाय तो मुझे और १० करोड़ रुपया मिल जायगा इस तरह अतिरिक्त १४ करोड़ हो जायगा । इस विषय पर मैं योजना मंत्री तथा वित्त मंत्री से बातचीत कर रहा हूं ।

हमें मालूम हुआ है और यह बड़े दुःख की बात है कि कुछ राज्य सरकार तीसरी योजना में आवास के लिए नियत धन को दूसरी परियोजनाओं पर खर्च कर रहे हैं। मद्रास राज्य ने तो ऐसा आदेश जारी किया है कि अब कोई मकान न बनाये जायें और केवल बाकी मकानों का काम

[श्री मेहर चन्द खन्ना]

को ही कार्यान्वित किया जाये और तीसरी पंचवर्षीय योजना में आवासन के लिए जो भी रकम रखी गयी हो, वह अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर खर्च की जाये। बम्बई में भी, काफी कटौती की जा रही है।

मैं अपने सहयोगियों के साथ इस विषय पर बातचीत कर रहा हूं। सभी राज्यों के आवास मंत्री इस बात से सहमत हैं कि वह रकम दूसरी परियोजनाओं पर खर्च नहीं की जानी चाहिये मुझे आशा है कि यदि इसे रोक दिया जाये तो उससे आवास कार्यक्रम को कुछ प्रोत्साहन मिल सकेगा। राज्यों के आवास मंत्री इस महीने के १५ और १६ तारीख को योजना मंत्री और वित्त मंत्री से मिलेंगे और आवास कार्यक्रम जारी रखने और उसे बढ़ाने पर जोर देंगे।

दो और योजनाएं हैं जो आवास कार्यक्रम का मुख्य अंग हैं। एक तो झुग्गीझोंपड़ी योजना है और दूसरी, गन्दी बस्तियां हटाने की योजना है। जून-जुलाई, १९६० में की गयी जनगणना के अनुसार झुग्गी झोंपड़ियों के निवासियों की संख्या लगभग ४०,००० थी। तब यह फैसला किया गया कि हर एक को ८० वर्ग गज जमीन दी जाये और वह उन्हीं की जमीन हो जायगी। परिणाम यह हुआ कि दस ही महीनों में २०,००० लोग और आ गये और उनकी संख्या ६०,००० हो गयी। मैं अपने मित्र श्री बागड़ी और श्री बाल्मीकी की इन बातों से सहमत नहीं हो सकता कि कोई भी कहीं से आकर यहां बैठ जायें और उसे उसी जगह पर नियमित घोषित कर दिया जाये। मेरी धारणा तो यह है कि इस प्रकार हम दिल्ली में कुछ भी नहीं कर सकेंगे और हमारे सभी विकास कार्यक्रम और निर्माण कार्यक्रमों की प्रगति खत्म हो जायगी। हमने जो योजना बनायी है उसके अधीन हर व्यक्ति को जो जून-जुलाई, १९६० से पहले बस गया था, वैकल्पिक स्थान दिया जायगा। सरकारी कर्मचारी इसमें अपवाद हैं। दिल्ली में उनकी संख्या हजारों की है और मैं इस बात की अनुमति नहीं दे सकता कि सरकारी कर्मचारी वहां जाकर बैठ जाय, मुझ से मकान किराया ले और कल जमीन पर अपना दावा घोषित करे। दूसरा अपवाद नयी दिल्ली नगर पालिका के कर्मचारि हैं। रफी मार्ग पर संसद सदस्यों के लिए मकान बनाये जाने के कारण यदि वे कर्मचारी विस्थापित किये जाते हैं तो उन्हें दूसरी जगह अवश्य दी जायगी लेकिन वह जिम्मेदारी स्थानीय निकाय की होगी। यदि वह मकान बनाने की स्थिति में न हो तो हम उन्हें कुछ ऋण देने के विषय पर विचार कर सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों और स्थानीय निकायों को छोड़कर प्रत्येक अधिवासी को जो जून-जुलाई, १९६० से पहले बस गया हो, वैकल्पिक जगह दी जायगी। यदि किसी का नाम गलती से छूट गया हो तो जांच हो सकती है और उसे जगह दी जा सकती है। लेकिन उसके लिए उसे यह सिद्ध करना पड़ेगा कि वह जून-जुलाई १९६० से पहले बस गया था। वह सिद्ध हो जाने पर वैकल्पिक आवास देना भारत सरकार का उत्तरदायित्व होगा। एक कार्यक्रम के अन्तर्गत अनधिवासियों के लिए शिविर लगाने के स्थान बनाये जायेंगे। मेरा कार्यक्रम यह है कि एक साल में ४०,००० शिविर कायम किये जायें और तब धीरे धीरे वहां के स्थानों का विकास किया जाये। यदि आपसे सहयोग मिले तो मैं सारी सुविधाएं जैसे बिजली, पानी स्कूल, अस्पताल, आदि मुहैया करने का प्रयत्न करूंगा। यदि मेरी योजना में कोई दोष या त्रुटि हो, तो मैं किसी के साथ भी बैठकर उस पर चर्चा करने के लिए तैयार हूं। हम इस योजना को बहुत शीघ्र कार्यान्वित करना चाहते हैं लेकिन कुछ कठिनाइयां हैं।

श्री बशपाल सिंह (कैराना): जब सरकार उन से टैक्स ले रही है और वह टैक्स लेने में सरकार अरन-अथाराइज्ड नहीं है, तो वह कंस्ट्रक्शन कैसे अन-अथराइज्ड हो सकता ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : मैं इस बात का जवाब दे कर दूसरी तरफ चला जाऊंगा । झुग्गी झोंपड़ी वाले मेरे भाई दिल्ली में रहते हैं। वे मेरे वोटर हैं । मैंने हर एक झुग्गी-झोंपड़ी जा कर देखी है। वे लोग रहते भी मुफ्त हैं, उन की बिजली और पानी भी मुफ्त है और उन के स्कूल भी मुफ्त हैं । वे तो मजे से रह रहे हैं। अगर जलती है, तो मिट्टी की झुग्गी जल जाती है । किसी का मकान नहीं जलता है । लेकिन उन के साथ मेरी पूरी हमदर्दी है। कोई टैक्स नहीं देता है । माननीय सदस्य तो मुजफ्फरनगर में रहते हैं . . .

श्री यशपाल सिंह : मेरा मतलब डीमालिशन स्कीम से है । उनके मकान गिराए जा रहे हैं।

श्री भक्त दर्शन (गढ़वाल) : माननीय सदस्य सहारनपुर के हैं ।

श्री मेहरचन्द खन्ना : सहारनपुर के हैं?

श्री यशपाल सिंह : मंत्री महोदय सही फ़रमा रहे हैं । मैं मुज़फ़्फ़रनगर से ही हूं ।

उनके मकानात गिराए जारहे हैं लेकिन जब सरकार उन से टैक्स लेती है, तो वे अन-अथाराइज्ड कंस्ट्रक्शन कैसे हो गए, यह बात मेरी समझ में नहीं आती ।

श्री मेहरचन्द खन्ना माननीय सदस्य मुझे माफ़ करे, मैं नहीं जानता कि टैक्स के उन के माने क्या हैं । अगर माननीय सदस्य श्री मोरारजी देसाई के टैक्स की बात कह रहे हैं, तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन मेहरचन्द खन्ना का उन पर कोई टैक्स नहीं है । वे मुफ्त रहते हैं। हमारी मिनिस्ट्री का उन पर कोई टैक्स नहीं है । लेकिन उन के साथ मेरी बड़ी भारी हमदर्दी है । उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा । अगर न पकड़ते, तो मैं यहां भी न होता और शायद माननीय सदस्य की तरह . . मैं आगे कुछ नहीं कहना चाहता हूं ।

श्री यशपाल सिंह : सरकार की ज्वायंट रेस्पांसीबिलिटी है ।

†**श्री मेहरचन्द खन्ना :** मैं यह बता रहा था कि सार्वजनिक स्थान (निष्कासन) अधिनियम में समय बीतने के साथ साथ कुछ त्रुटियां मालूम हुई हैं और यदि इस योजना को कार्यान्वित करना है तो उसमें कुछ संशोधन करने पड़ेंगे । पहले तो, ३०, ४५, और ९० दिन का समय होता है नोटिसें दी जाती हैं, अपीलें होती हैं। वह सब बहुत लम्बी प्रक्रिया है । फिर हम दोबारा बसने को एक दांडिक अपराध बनाना चाहते हैं । दुबारा बसने वाले अनधिवासी पर मुकदमा चलाया जाना चाहिये, उसे जुर्माना किया जाना चाहिये और उसे जेल भी भेजा जाना चाहिये । अन्यथा यह बन्द नहीं होगा ।

मैं भी शरणार्थी हूं और मैंने इस प्रश्न पर विचार किया है । हमें जगह दी गयी । वह हमने बेच दी या किराये पर दे दी और फिर दूसरी जगह ले ली । दिल्ली में यह बीमारी बहुत बढ़ गयी है । हमें उसे खत्म करना चाहिये ।

अब गंदी बस्ती हटाने की योजना छः बड़े बड़े नगरों अर्थात्, बम्बई, कलकत्ता, अहमदाबाद, कानपुर मद्रास और दिल्ली में चल रही है। अभीतक हमने इस योजना पर लगभग २६ करोड़ रुपया खर्च किया है और लगभग ८२००० मकान बनाये हैं । उनके लिये मंजूरी दी जा चुकी है और वे बनाये जा रहे हैं । मेरे पास ठीक ठीक आंकड़े नहीं हैं । वह बहुत अत्यावश्यक और अच्छी योजना है हम गंदी बस्तियों को नहीं देखना चाहते । लेकिन गंदी बस्ती निवारण अधिनियम के अधीन इस योजना को कार्यान्वित करने में काफी कठिनाई हुई है जैसे भूमि का मूल्यांकन, किराये का निर्धारण

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मेहर चन्द खन्ना]

आदि फिर कुछ योजनाओं को जमींदार के जरिये कार्यान्वित किया जाता है। जमीनों की कीमतें बढ़ गयी हैं और जमींदार समर्थन नहीं करते। इस सम्बन्ध में भी मैं एक विधेयक प्रस्तुत कर रहा हूं जिससे सरकार को कुछ शक्तियां दी जायेंगी? मैं नहीं चाहता कि जमींदार को कोई नुक्सान हो।

इन सामाजिक योजनाओं के विवेचन के बाद, मैं अब केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के निर्माण कार्यक्रमों का विवेचन करना चाहता हूं। इस विभाग की कुछ तारीफ भी की गयी है और निन्दा भी की गयी है। मैं जब इस मंत्रालय में आया तो मैं भी इस विभाग से कुछ सशंकित था। फिर मैं इस विभाग के अधिकारियों से मिला और मैंने उनके साथ, ठेकेदारों के साथ बातचीत की। मैंने देखा कि योजनाओं को मंजूर करने की प्रक्रिया, ठेका देने की प्रक्रिया और मंत्रालय से मुख्य इंजीनियर और मुख्य इंजीनियर से पदाधिकारियों को जो शक्तियां मिलती हैं, मैं इतनी अपर्याप्त हैं कि यदि इन का अनुसरण किया जाय, तो हम कोई कार्यक्रम आरम्भ नहीं कर सकेंगे। मैं यह नहीं कहता कि कोई भ्रष्टाचार नहीं है किन्तु मैं यह अवश्य कहूंगा कि अपने कर्मचारी वृन्द के सहयोग से हम अपना काम अच्छी तरह पूरा कर सकेंगे और अब उतनी शिकायत नहीं रहेगी जो पहले थी। सरकारी कर्मचारी की सेवा निवृत्ति की आयु ५५ से ५८ तक बढ़ा दी गई है। किन्तु लोक निर्माण विभाग में यदि किसी पदाधिकारी का रिकार्ड—अच्छा न हुआ—मैं कार्यक्षमता को माफ कर सकता हूं—किन्तु यदि उसकी ईमानदारी संदेहास्पद है, तो उसकी सेवा की अवधि और नहीं बढ़ाई जायगी। यदि किसी पदाधिकारी का रिकार्ड अच्छा है, तो उसको मंत्रालय का पूरा समर्थन प्राप्त होगा। अन्य मामलों में कोई चारा नहीं है।

हम ठेकेदारों, इंजीनियरों और मंत्रालय में बन्धुत्व की भावना पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं और अपने निर्माण कार्यक्रम को तेज करने के लिये भी पग उठाये हैं। हमने विभाग का पुनर्गठन किया है और यह विकेन्द्रीकरण द्वारा किया गया है। पहले सारे अतिरिक्त मुख्य इंजीनियरों का मुख्यालय दिल्ली में था। अब एक को कलकत्ता, दूसरे को बम्बई भेजा जा रहा है। अब सीधा पर्यवेक्षण रहेगा और व्यक्ति अपने स्थान पर रहेगा ठेकेदारों द्वारा दिल्ली के दौरे समाप्त हो जायेंगे

निर्माण कार्यों की मंजूरी की प्रक्रिया भी सरल बना दी गई है और बड़ी शक्तियां प्रत्यायोजित कर दी गयी हैं प्रतिभूति निक्षेप सम्बन्धी नियम उदार बना दिये गये हैं। ठेके के फार्म को भी सरल बना दिया गया है और और विवाचन के मामलों के लिये एक अतिरिक्त निवाचक भी नियुक्त किया है ताकि इन मामलों का निबटारा शीघ्र से शीघ्र किया जा सके।

कार्यालय और निवास स्थानों के लिये हमने बहुत बड़ा कार्यक्रम शुरू किया है। आपातकाल के कारण हम पर बहुत भारी बोझ पड़ा है हमें प्रतिरक्षा आदि के लिये बहुत से कार्यालय स्थान चाहियें था हम ने अस्थाई रूप से प्रदर्शनी कक्षों और मैदानों को कार्यालयों का रूप दे दिया है। जो रकम हमने खर्च की है वह एक महीने के अन्दर अदा हो जायगी, यदि हम उस किराये का हिसाब लगाये, जिस पर जगह ली जा रही है।

हमारे पास कार्यालय के स्थान की कमी है। हमारे पास २१ लाख वर्ग फुट क्षेत्र पुरानी हूटमेंट में है। १९४० में हम ने ६ से ७ लाख वर्गफुट अधिग्रहण किया था और उसके लिये किराया दे रहे हैं। अब उच्चतम-न्यायालय ने कहा है कि यह अधिग्रहण उचित नहीं है। अब दरें हैं १ रुपया प्रति वर्ग फुट प्रति मास। कई बार यह डेढ़ रुपया प्रतिवर्गफुट भी हो जाती है। कार्यालय के स्थान की कमी को दूर करने के लिये हम बहुत बड़ा निर्माण कार्यक्रम आरम्भ कर रहे हैं। हमें लगभग ३४ से ३५ लाख वर्ग फुट स्थान चाहिये। यदि एक मकान या कार्यालय बनाया जाय, तो उस पर २२ रुपये से २४ रुपये

प्रति फुट खर्च आता है। यदि बरांडों, गुसलखानों आदि को छोड़ दिया जाय,तो खर्च ४५ रुपये प्रति वर्गफुट आता है अतः तीन या चार वर्ष के किराये की राशि से, हम एक इमारत खड़ी कर सकते हैं। यदि बाजार से अत्यधिक दरों पर सम्पत्ति किराये पर ली जाये, तो इस से स्थान में कोई वृद्धि नहीं होती। किन्तु यदि एक मकान या कार्यालय बनाया जाय, तो उस से स्थान बढ़ेगा।

हमें मालूम है कि दिल्ली में ६० से ७० हजार सरकारी कर्मचारियों की जिन्हें मकान किराये पर लेने पड़ते हैं क्या कठिनाइयां हैं। केवल ३० से ३५ प्रतिशत कर्मचारियों को सरकारी मकान दिये गये हैं।

इस वर्ष मैंने १५ करोड़ रुपये की लागत के बड़े कार्यक्रम की मंजूरी दी है। यह बड़ा निर्माण कार्यक्रम सब के हित में होगा। हम कोई विलास भवन नहीं बनायेंगे। यदि किसी बहुमंजला इमारत पर ५०—४५ रुपये प्रति वर्ग फुट खर्च किये जायेंगे, तो वे किन्हीं प्रमापों के अनुसार बनाई जायेगी। पहले हम केवल एक और मंजला इमारतें बनाते थे, कहा गया है कि मंत्रियों के बंगले बहुत बड़े हैं, उन में नौकरों के कई क्वार्टर हैं ये हम ने नहीं बनाये थे, अंग्रेजों ने बनाये थे।

†श्री इन्द्रजीत गुप्त: दो मंत्री एक बंगले में क्यों नहीं रहते?

†श्री मेहरचन्द खन्ना: यह बहुत अच्छी बात है, किन्तु पहल कौन करेगा? जैसा कि मैंने कहा है, ६०,००० सरकारी कर्मचारियों के पास मकान नहीं हैं उन्हें बहुत कठिनाई है। हम ने इस वर्ष ४,००० मकान बनाये हैं और ५,००० मकान अभी बन रहे हैं। कार्यालय के लिये ३५ लाख वर्गफुट की आवश्यकता है। २५ लाख वर्गफुट की मंजूरी दी गई है, ९ लाख वर्ग फुट का निर्माण हो रहा है किन्तु सरकारी कर्मचारियों के निवासी मकानों के सम्बन्ध में स्थिति इतनी संतोष जनक नहीं है क्यों कि पहले भूमि अर्जित की जानी है और फिर विकसित की जानी है। इस के अतिरिक्त पानी बिजली स्कूलों, अस्पतालों, बसों आदि की भी समस्या होती है सरकारी कर्मचारियों को ८ या १० मील की दूरी पर रहने के लिये नहीं भेजा जाना चाहिये। इसी लिये हमारा सघन निर्माण कार्यक्रम और बहु-मंजला इमारतें बनाने का इरादा है।

सरकारी कमचारियों के लिये यदि ८००० मकान भी प्रतिवर्ष बनाये जायें, तो भी कमी पूरी करने के लिये ८ वर्ष या इस से भी अधिक लगेंगे। क्वार्टरों के आवंटन के नियम अधिक उदार बना दिये गये हैं। एक मकान में दो परिवार भी रह सकते हैं यदि कोई आवंटन स्वीकार न करे, तो उसे दंड नहीं दिया जायेगा। यह भी देखा जायगा कि सामान्य पूल में से बाहर वालों को कोई मकान न दिया जाय, चाहे वे सेवानिवृत न्यायाधीश हो या राज्यपाल। यदि उसे दिल्ली में कोई काम दिया गया हो तो उसे मकान देने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित मंत्रालय का होगा। अनुकम्पा और अनुग्रह के कारण कोई मकान नहीं दिया जाता। प्राथमिकता का प्रणाली भी बन्द कर दी गई है, क्योंकि इसका अर्थ दूसरे शब्दों में पक्षपात है। किन्तु गम्भीर बीमारी आदि की हालत में, ऐसे मालों पर विचार किया जा सकता है।

श्री अ० प्र० जैन ने दिल्ली में भूमि के विक्रय के बारे में कड़ी आलोचना की है और कहा है कि हम ने अनुचित लाभ कमाया है और हमारे विरुद्ध भारत प्रतिरक्षा नियम लागू किये जाने चाहिये।

एक अर्थ में वे ठीक कहते हैं क्योंकि दिल्ली में भूमि के मूल्य बहुत बढ़ गये हैं। केवल दिल्ली में ही नहीं, सारे देश में। बम्बई में जब सरकारी कर्मचारियों के क्वारटरों के लिये भूमि की आवश्यकता

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मेहर चन्द खन्ना]

पड़ी, तो वहां के वित्त मंत्री श्री वर्ने ने मुझे बताया कि क्रूपरेज के पास भूमि का मूल्य ११०० रुपये प्रति गज है। यदि इसका आवंटन किया जाये, तो पक्षपात का आरोप लगाया जा सकता है। इसी तरह यदि दिल्ली में भी मैंने भूमि २०० या ३०० रुपया प्रति वर्ग गज की दर से आवंटित की, तो यही आरोप मेरेऊपर भी लग सकता है। इस लिये मैंने भूमि नीलामी के लिये दे दी। इस में कोई हानि नहीं है। दिल्ली मेंजो भूमि फ्रीज़ की गई है और कुछ सहकारी संस्थाओं को पात्र और कुछ को अपात्र बनाया गया है और मास्टर योजना की क्रियान्विती का उत्तरदायित्व मेरे ऊपर नहीं है। यह मुख्य आयुक्त और गृह-कार्य मंत्री पर है। मैं निर्माण कार्य के लिये अभारी हूं। नजूल भूमियांऔर सरकारी भूमियांमेरे अधीन आती हैं। किन्तु यदि कोई भूमि विकास के लिये अर्जित की जाती है, तो यह मुख्य आयुक्त द्वाराकीजाती है। मेरी इस से कोई सम्बन्ध नही है।

इसी तरह मास्टर योजना का काम और दिल्लीविकास प्राधिकार स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन है। दिल्ली में पानी और बिजली के संभरण का काम सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के अधीन है। मेरा मत है कि इस तरहका बहुमुखी नियंत्रण राजधानी के विकास के हित में नहीं है। मेरे विचार में एकोन्मुख नियंत्रण होना चाहिये और एक ऐसा अधिकरण होना चाहिये जो इन सब मामलों को संभाले। किन्तु मैं इन सब मामलोंकी ओर गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाऊंगा। दिल्ली की योजनाओं के सम्बन्ध में कई मंत्रालयों और स्वायत्तशासी निकायों को काम कारना पड़ता है।

संसद् सदस्यों के लिए मकानों का आवंटन निर्माण, आवास और पुनर्वास मन्त्रालय द्वारा नहीं किया जाता बल्कि सदनों की आवास समिति द्वाराकिया जाता है। मेरा इस से कोई सम्बन्ध नहीं। किन्तु यदि कुछ व्यक्ति सदस्य न रहने के बाद भी सरकारी मकानों में बैठे हुए हैं, तो उन्हें निकालना मेरा काम है और मैं इस सम्बन्ध में कार्यवाही कर रहा हूं। केवल एक दर्जन मकान ऐसे हैं जिनका आवंटन संसद् कार्य मन्त्री को सौंपा गया है। मेरा काम निकालना है, आवंटन करना नहीं है।

यदि होस्टल में खाना खराब है, तो उत्तरदायित्व मेरा है। किन्तु यदि भोजन प्रबन्धक की नियुक्ति की जानी है, तो राज्यसभा या लोकसभा की आवास समिति की सलाह ली जायेगी।

श्री त्यागी (देहरादून) : इस के मानी यह हैं कि आप उजाड़नेवाले मिनिस्टर हैं, बसाने वाले नहीं हैं।

श्री मेहरचन्द खन्ना : आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। यह मेरी बदकिस्मती है। जब रिहैबिलिटेशन में था, तो बसाने वाला था, लोगों को मकान देता था। अब जब इस मिनिस्ट्री में आया हूं, तो चाहे मिनिस्टर हो या सरकारी मुलाजिम, हर एक को निकालना और उजाड़ना मेरा काम है। मैं इसको मानता हूं, तसलीम करता हूं।

संसद सदस्यों को मकान देने का उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है। हमारे पास उनकेलिए ३ या ४ किस्म के मकान हैं। एक दर्जन बिल्कुल अलग हैं १६० से १८० तक राजेन्द्रप्रसाद रोड और मौलाना आजाद रोड पर हैं। वे पुराने बंगले हैं। फिर नार्थ और साउथ एवेन्यूज़ के फ्लैट हैं।

दिल्ली में आवास की कठिनाइयों का अध्ययन करते हुए मुझे संसद् सदस्यों के आवास का भी ध्यान आया। संसद् सदस्यों को संसद् भवन के पास स्थान मिलना चाहिए। इस सिलसिले में मेरे अनुमान के अनुसार लगभग १५०, १६० और १७० क्वार्टरकी और जरूरत थी। अभी हमने बिल्डिंग विलिंगडन अस्पताल केपास और नार्थ एवेन्यू में इमारत का काम आरम्भ किया है। रफी मार्ग २५० फ्लैटों के निर्माण करने की स्वीकृति भी दी गयी है। मेरा तो यह भी विचार है कि संसद्

सदस्यों को मुफ्त घर मिलना चाहिए। संसद् सदस्यों को १०५ रुपये मासिक किराया देना होता है, यद्यपि १२ मास रहने पर २५ प्रतिशत की रियायत प्राप्त हो जाती है। इससे यह राशि ७०, ७५ रुपये तक हो जाती है। परन्तु यदि कोई सदस्य अपने क्वार्टर में कुछ तबदीलियां करे और उसका किराया बढ़ा दिया जाय। अब यदि वह पुनः निर्वाचित होकर नहीं आ सकता तो उसका क्वार्टर किसी और को देना पड़ेगा। हम उसका किराया नियमों के अनुसार १०५ से अधिक नहीं ले सकते। अतः इस बारे में मैं उपाध्यक्ष महोदय से और उनके द्वारा अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूं कि सामान्यतः एक संसद् सदस्य कितना स्थान चाहिए इस बात का निर्णय किया जाना चाहिए। संसद् हमारा स्वतन्त्र निकाय है। एक बार संसद् यह निर्णय कर दे फिर मैं आवास मन्त्री की हैसियत से उसे कार्यान्वित कर लूंगा। परन्तु इस मामले में एक मत से अन्तिम निर्णय हो जाना चाहिए। विरोधी दल के सदस्यों की भी इस मामले में राय ली जानी चाहिए। स्पष्ट बात है कि यदि मन्त्रियों को मुफ्त बंगले मिलते हैं तो संसद् सदस्यों को भी मिलने चाहियें। अतः मकान में कितनी व्यवस्था हो इस बारे में समुचित निर्णय होना चाहिए।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** (जम्मू तथा काश्मीर) : क्या पानी और बिजली भी मुफ्त होगी ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : माननीय सदस्य ने ठीक कहा है, इस बारे में भी सदन को निर्णय करना होगा। मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा, व्यावहारिक बात कर रहा हूं। संसद् मुझे जो आज्ञा देगी वह मैं करूंगा। मैं वह बात नहीं करना चाहता जो उचित अथवा ठीक न हो।

डा० सिंघवी ने एक सुझाव प्रस्तुत किया है, मेरे विचार में उसमें बहुत वजन है। उस मामले पर भी अध्यक्ष महोदय को ही विचार करना होगा। यदि संसद् सदस्यों को और अधिक मकान दिये गये तो सरकारी कर्मचारियों के आवास का कोटा कम हो जायेगा। फिर यदि विचार करके कोई रास्ता निकाला जायेगा तो मैं अपने संसद् सदस्य सहयोगी बन्धुओं की सेवा करने के मामले में पीछे नहीं रहूंगा।

पुनर्वास के मामले में माननीय उपमन्त्री ने कल काफी अच्छी प्रकार से मामला स्पष्ट कर दिया था और कोई विशेष बात रह नहीं गयी जिस पर मुझे कुछ प्रकाश डालना है इस मामले में एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि दण्डकारण्य की योजना को कार्यान्वित किया जायेगा। यहां बसाने में पूर्वी बंगाल के उन विस्थापितों को प्राथमिकता दी जायेगी जो कि पश्चिमी बंगाल के कैम्पों में पड़े हैं। उन्हें वहां जाना चाहिए। १० प्रतिशत लोग और भी चले जायं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह परस्पर तालमेल की बात है। वैसे ५००० परिवारों की गुंजाइश है।

पश्चिमी बंगाल के विस्थापितों की समस्या को भी सुलझाना है। उसे भी सुलझाया जा रहा है और उसके लिए धन की व्यवस्था की जा रही है। हम में जो कुछ भी कहना हो यह समझ कर कहना चाहिए कि आज हम १९५३ में नहीं १९६३ में बात कर रहे हैं। हमने ४०० करोड़ रुपया विस्थापितों के पुनर्वास पर खर्च किया है। उसमें से २०० करोड़ रुपया पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापितों पर खर्च हुआ है। १५ करोड़ रुपया दण्डकारण्य योजना पर अब तक व्यय हो चुका है। अगले वर्ष के बजट में दण्डकारण्य के लिए ४ करोड़ रुपया रखा गया है। सियालदा स्टेशन की जो समस्या है उसे तो केवल

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मेहर चन्द खन्ना]

तब ही हल किया जा सकता है जब उसे राजनीतिक प्रश्न न बनाया जाय। वहां जो गड़बड़ होती रहती है, उसके लिए मैं उत्तरदायी नहीं हूं।

†**डा० रानेन सेन** (कलकत्ता पूर्व) : औद्योगिक आवास योजना अथवा गन्दी बस्ती सुधार अधिनियम के अन्तर्गत जो मकान बनाये गये हैं उनका किराया बहुत अधिक है। क्या केन्द्रीय सरकार के पास इस दिशा में कुछ करने का अधिकार है?

† **श्रीमेहर चन्द खन्ना** : वर्तमान व्यवस्था में कुछ सहायता दी जाती है। परन्तु इसे और अधिक नर्म करने की अभी गुंजाइश नहीं परन्तु औद्योगिक कर्मचारियों को किराया खरीद के आधार पर मकान देने की प्रस्थापना पर मैं विचार कर रहा हूं। यदि धन की व्यवस्था हो गयी तो और मकान बनाये जा सकेंगे।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** (जालोर): क्या गन्दी बस्तियों को साफ करने के लिए सरकार कोई व्यापक योजना बना रही है हमें बताया गया है कि भारत सरकार छः गन्दी बस्तियों के सुधारने की योजनायें लागू कर रही है। जैसा कि कहा गया है कि राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों द्वारा यह समस्या हल नहीं हो रही। तो क्या सरकार कोई व्यापक कार्यक्रम बना रही है?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना**: श्री अ० कु० सेन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गयी थी। जिसने इस समस्या पर विचार करके एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। दृष्टिकोण यह था कि पहले बड़े छः देश के नगरों में इस कार्यक्रम को लिया जाय। यदि इसे प्रत्येक राज्य में विस्तार करने का विचार हो तो प्रत्येक राज्य के एक-एक अन्य नगर को लिया जा सकता है। इस मामले में कुछ कानून का प्रश्न है। उसमें तो संशोधन हो रहा है। दूसरे यदि उसके लिए कुछ और धन की व्यवस्था हो जाय। इस काम के लिए माननीय सदस्यों के सहयोग की आवश्यकता होगी।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गयी तथा स्वीकृत हुईं:—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
१०१	निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मन्त्रालय	८२,१२,०००
१०२	सरकारी निर्माण कार्य	३१,६२,९६,०००
१०३	लेखन-सामग्री और छपाई	८,९३,०२,०००
१०४	विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय	७,६९,८५,०००
१०५	निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मन्त्रालय का राजस्व व्यय	७१,०८,०००
१४४	सरकारी निर्माण कार्य परपूंजी परिव्यय	७,२७,८३,०००
१४५	दिल्ली पूंजी परिव्यय	७,२२,३३,०००
१४६	निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मन्त्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	८,३२,६०,०००

†मूल अंग्रेजी में

विधि मंत्रालय

वर्ष १९६३-६४ के लिए विधि मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
७५	विधि मन्त्रालय	३७,२५,०००
७६	निर्वाचन	१,२७,५९,०००
७७	विधि मन्त्रालय का अन्य राजस्व व्यय	३,९४,०००

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (मंदसौर): आजकल विधि मंत्रालय की बागडौर एक बहुत योग्य वकील के हाथ में है। इस विभाग की योग्यता के सम्बन्ध में कोई सन्देह की गुंजाइश नहीं हो सकती। मंत्रालय के प्रशासन के सम्बन्ध में एक दो बातें जो मुझे सूझी हैं वे मैं सदन के समक्ष रखूंगा ।

संविधान के प्रकाशित करने का उत्तरदायित्व इसी मंत्रालय पर है। परन्तु मुझे यह जान कर बहुत ही खेद हुआ कि संविधान को विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित नहीं किया गया था। हम अपने संविधान में अब तक १६ संशोधन कर चुके हैं। इन संशोधनों को अभी तक प्रादेशिक भाषाओं के संस्करणों में नहीं लगाये गये हैं मैं इस बात पर जोर देता हूं कि उन्हें भी पूरा किया जाय। सारे देश के प्रशासन का आधार यह संविधान है, इस बारे में आलस्य नहीं किया जाना चाहिये ।

इसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे मन में आता है वह विधि जीवी परिषदों के कार्य के बारे में है। नये विधि परिषद् अधिनियम के पारित होने से इन परिषदों का कार्य ठीक ढंग से चलना चाहिए। परन्तु खेद की बात है कि विधि जीवी परिषदों ने अभी कार्य करना आरम्भ नहीं किया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि सदस्यों को तो हानि हुई ही है उच्च न्याय-पालिका में होने वाली नियुक्ति को भी हानि पहुंची है। ऐसे लोगों को नियुक्त किया गया जिनके कुछ राजनीतिक संबंध थे ।

इस संदर्भ में तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि दिल्ली में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की तीन शाखाएं स्थापित करने का कोई औचित्य नहीं है । मेरा निवेदन तो यह है कि इस प्रकार की एक शाखा की स्थापना इन्दौर और अहमदाबाद में की जाय । यह नगर बहुत व्यस्त है इन्हें सुविधा दी ही जानी चाहिए ।

चुनाव आयोग के समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण कर्तव्य है। चुनावों का नियंत्रण बहुत बड़ा कार्य है । यह महसूस किया गया है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्तर्गत चुनाव न्याय-धिकरणों के निर्माण के सम्बन्ध में भेदभाव का व्यवहार किया गया है । होना तो यह चाहिए कि न्यायाधिकरण में व्यक्तियों को नियुक्त करने की प्रक्रिया एक जैसी होनी चाहिए । मेरा निवेदन है कि इस मामले की जांच की जाय ।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि साधारण से प्राविधिक आधार पर चुनाव को अवैध नहीं ठहराया जाना चाहिए । इसी तरह चुनाव चिह्न देने में भी भेदभाव नहीं

†मूल अंग्रेजी में

[श्री उ० मू० त्रिवेदी]

किया जाना चाहिए । इस बारे में नीति को तनिक और स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों इत्यादि को नियुक्त करते हुए विधि मंत्रालय का परामर्श अवश्य ले लेना चाहिए । ऐसे लोगों को चुना जाना चाहिये जिनको विधि का कुछ ज्ञान हो । इसे केवल गृह-कार्य मंत्रालय की सिफारिश पर ही नहीं छोड़ा जाना चाहिए ।

†**श्री दाजी** (इंदौर) : एक बड़ा प्रसिद्ध वकील विधि मंत्रालय को सम्भाले है, परन्तु फिर भी इसकी गति में कोई जान दिखाई नहीं देती। वैसे तो विधि मंत्रालय को आगे से अधिक गतिशील होना चाहिए। विधि का शासन देश भर में कायम हो। यही मंत्रालय का सब से उच्च लक्ष्य है। विधि के शासन को कमजोर करने के लिए देश में आज परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप में बहुत कुछ हो रहा है । ऐसे भी दृश्य देखने को मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि न्यायपालिका तथा संविधान के प्रति लोगों का आदरभाव धीरे-धीरे क्षीण होता जा रहा है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस दिशा में मामलों को सुधारने के लिए प्रायः कुछ भी नहीं किया जा रहा ।

न्याय के मामलों का फैसला होते-होते काफी देर लग जाती है । इससे जनसाधारण को बहुत ही कष्ट होता है । मेरा निवेदन है कि यह जनसाधारण के हित की दृष्टि से यह व्यवस्था होनी चाहिए कि न्याय शीघ्र से शीघ्र प्राप्त हो । आजकल अदालतों में जा कर न्याय प्राप्त करना वैसे भी बहुत महंगा पड़ता है, यथासम्भव उस में कमी की जाय ।

चुनाव आयोग ने जो उप चुनावों के सम्बन्ध में विरोधी दलों से सलाह करने की स्वस्थ परम्परा को छोड़ दिया है, उसके लिए मुझे बहुत ही खेद है। इसके आने वाले समय में बहुत ही बुरे प्रभाव होंगे । यदि लोगों को जेलों में रख कर चुनाव लड़े गये तो उन्हें स्वतंत्र चुनाव नहीं कहा जा सकता। यदि प्रतिरक्षा अधिनियम चालू रहा तो चुनाव सम्भव नहीं । लोकतंत्र को चलाने के लिए यह जरूरी है कि विरोधी दल की बात सुनी जाय।

इसके पश्चात् मैं एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर आता हूं । विधि मंत्रालय का काम यह भी है कि वह अन्य मंत्रालयों को कानूनी परामर्श दे । परन्तु मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि "न्यू एशियाटिक इंशुरेन्स कम्पनी" और "रूबी इन्शोरेन्स कम्पनी" इन दो बीमा कम्पनियों के लिए नियुक्त सरकारी डाइरेक्टरों के प्रतिवेदन पर वित्त मंत्रालय को जो परामर्श दिया है, उसका मैं समर्थन नहीं कर सकता । इन दोनों समवायों के काम के बारे में लेखा परीक्षक ने बहुत ही बुरी रिपोर्ट दी है । इसके लिए स्वयं सरकार को भी अपने दो निदेशकों को इस काम पर लगाया गया ।

†**श्री अन्सार हरवानी** (बसौली): यह रिपोर्ट गोपनीय तो नहीं है ?

† **श्री दाजी**: गोपनीय नहीं है । मेरे पास है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इसे पढ़ा जा सकता है।

†**श्री दाजी** : मैं इसे सभा पटल पर रखता हूं। [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०--१०७१/६३]।

†मूल अंग्रेजी में

सब बातों के बावजूद हमें बताया गया है कि इन दो समवायों के विरुद्ध जो कोई कार्यवाही नहीं की गयी, उसका आधार विधि मंत्रालय का परामर्श है।

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)**: यह गलत है कि हम ने उस प्रतिवेदन पर अपना मत दिया है। हम ने तो केवल मंत्रालय को केवल कानूनी दायित्वों के बारे में परामर्श दिया था। हमने कोई बहुत अधिक समय भी नही लिया। मामला महान्यायवादी को भी दिया गया था।

†**श्री बाजी**: अन्त में मेरा कहना यह है कि इस मंत्रालय को इस प्रकार के पग उठाने चाहिएकि लोग यह अनुभव करें कि विधि के आगे सभी लोग एक समान हैं। यह वातावरण तब ही निर्माण किया जा सकता है यदि विधि मंत्रालय पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाय।

†**श्री कृ० चं० शर्मा** (सरधना): मैं भारत के न्यायाधीशों की निष्पक्षता, स्वतंत्रता तथा बुद्धिमानी की सराहना करता हूं। भारत के न्यायाधीश विश्व के किसी भी देश के न्यायाधीशों से कम नहीं हैं। तथापि दुःख का विषय है कि यह हमारे देश में विधि संबंधी मान्यता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

वर्तमान समाज में मनुष्य का स्थान बदल जाने से विधि की परिभाषा में भी परिवर्तन हो गया है ओस्वर्ड स्पेंगलर ने कहा है : आज का मानव एक अकेला व्यक्तिमात्र नहीं है वह कुछ शक्तियों की इकाई है। अतः आज व्यक्ति का उतना महत्व नहीं है जितना कि इन इकाइयों के उद्देश्य और निर्माण के साधनों का। इस दृष्टि से हमें विधि को एक दृष्टि-कोण से देखना है।

लोक तंत्र में विधि और वकील समाज की वास्तविक मान्यता के प्रतीक होते हैं। यदि एक वकील सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करता है तो इंजीनियर और वैज्ञानिक उसके लिये सामान जुटाते हैं। अतः बदलते हुए समाज के साथ विधि संबंधी मान्यता में भी परिवर्तन होना चाहिये।

न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा सिफारिश करने की वर्तमान व्यवस्था उचित नहीं है। न्यायपालिका संबंधी सभी मामलों में न्याय मंत्रालय को ही उत्तरदायी होना चाहिये।

विधि मंत्रालय के एक विभाग को यह भी देखना चाहिये कि जब विशेषाधिकार प्राप्त कोई व्यक्ति किसी गरीब के खिलाफ होता है तो उसे क्या न्याय प्राप्त होता है। सरकार का यह कर्तव्य है कि वह यह देखे कि लोगों को उचित न्याय प्राप्त हो जिस से कानूनी व्यवस्था बनाने के लिये वे आवश्यकता पड़ने पर संघर्ष कर सकें।

कई मामलों में यह देखा गया है कि गरीब व्यक्ति को सजा दे दी जाती है। जब कि अमीर को कोई सजा नही मिलती है। तथा जनमत की बिल्कुल अवहेलना की जाती है। विधि जनता की इच्छा नहीं तो और क्या है? उदाहरणार्थ नानावती के मामले में सारी जनता चिल्लाती रही किन्तु उसे सजा दे दी गयी। उसके ऊपर कोई दया नहीं दिखलायी गयी। यदि आपके मंत्रालय में जनता की आवाज का कोई मूल्य नहीं तो और किसका मूल्य होगा?

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कृ० चं० शर्मा]

अतः मेरा निवेदन है कि विधि के संबंध में मान्यता को देश और काल के अनुरूप बदल देना चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं ।

†**श्री नि० रं० घोष** (जलपाइगुड़ी): विधि मंत्रालय ने जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है उसमें केवल ७ पृष्ठ हैं इससे स्पष्ट है कि विधि मंत्री की वृद्धि उभरी शक्ति के अनुरूप उसके पास कार्य नहीं है। अतः इस मंत्रालय को और अधिक कार्य सौंपा जाये।

मंत्रालय के दो शाखा सचिवालय बम्बई और कलकत्ता में हैं। बम्बई के सचिवालय के ऊपर केन्द्रीय सरकार के छोटी अदालतों तथा उच्च न्यायालयों में चलने वाले मुकदमों की देखभाल करना भी है। तथापि कलकत्ता का सचिवालय यह दायित्व नहीं लेता है। मैं व्यक्तिगत अनुभव के बल पर जानता हूं कि रेलवे के कई मुकदमों में सरकार की हार होती है। जिससे केन्द्रीय सरकार को काफी घाटा होता है। मंत्री महोदय को कलकत्ता शाखा को भी मुकदमों के संचालन और पर्यवेक्षण का अधिकार दिया जाना चाहिये।

अब मैं मुस्लिम विधि को लेता हूँ। किसी विशेष समुदाय की विधि के बारे में हमारी विधि का क्षेत्र काफी सीमित है राज्य उस पर तभी हस्तक्षेप कर सकता है जबकि उसका लोक कल्याण कार्यों से संघर्ष हो । तथापि जब आपने हिन्दू विधि के साथ हस्तक्षेप किया तथा इसकी विधि के साथ भी हस्तक्षेप किया तथा तत्संबंधी कानूनों में यथावश्यक सुधार और संशोधन किये तब क्या कारण है कि मुस्लिम विधि में सुधार करने के लिये आप विश्व के मुस्लिम देशों से भी परामर्श ले रहे हैं यह स्मरण रखना चाहिये कि हिन्दू विधि के अन्तर्गत बौद्ध भी आते हैं तथापि उनकी विधियों में परिवर्तन करते समय आपने बौद्ध देशों से सलाह नहीं की तब क्या कारण है कि मुस्लिम विधि में परिवर्तन करते समय आपको विश्व के सभी मुस्लिम देशों से परामर्श करने की आवश्यकता हुई है । मेरे विचार से इस संबंध में जांच समिति बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह भी संभव है कि जिन देशों से आप जानकारी ले रहे हैं उनकी दशा यहां से बिल्कुल भिन्न हो।

इससे यह स्पष्ट है कि हमारा दृष्टिकोण दब्बू और याचक का है । वस्तुतः इसके पीछे कुछ गोलमाल है। हमें किसी विशेष सम्प्रदाय के प्रति विशेष दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिये अतः उनकी विधियों में परिवर्तन करने के लिये समिति की नियुक्ति करना हमारे लिये अपमानजनक है।

श्री यशपाल सिंह (कैराना): उपाध्यक्ष महोदय, मैं ला मिनिस्ट्री के बारे में कुछ ज्यादा न कह कर सुझाव ही देना चाहूंगा ।

सबसे पहला सुझाव मेरा यह है कि उत्तर प्रदेश में जो कोर्ट फीस है, जिसके नीचे जनता दबी जा रही है, वह खत्म होनी चाहिये। एक आदमी मेरा सिर फोड़ता है, मेरा सिर टूट जाता है, खून बह रहा होता है और मैं फरियाद लेकर जाता हूं और तब मुझे यह कहा जाए कि कोर्ट फीस लगाओ यह अमानवीय है। जिसके साथ जुल्म हुआ है, अत्याचार हुआ है, उसके साथ हमदर्दी होनी चाहिये, न कि उससे रुपया लिया जाए। हमारी जो सबसे बड़ी व्यवस्था है, सबसे बड़ा कांस्टीट्यूशन है मानव धर्म शास्त्र है, उसमें मनु भगवान ने लिखा है कि अगर किसी के यहां डकैती पड़ जाए तो उस डकैती में जितनी रकम उसकी

†मूल अंग्रेजी में

गई है, उसका कम्पेंसेशन सरकार को देनाचाहिये, स्टेट को देना चाहिये । जब लोग टैक्स देते हैं तो उसका मतलब ही यह है कि सरकार उनकी हिफाजत करेगी और उनकी हिफाजत करना गवर्नमैंट की रिसपांसिबिलिटी होगी । अगर वह ऐसा नहीं करती है तो वह गवर्नमैंट की खामी है। मेरे घर डकैती पड़े या मेरा सिर कोई फोड़ देता मुझे गवर्नमैंट को जुर्माना देना पड़ता है। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि कोर्ट फीस को एक कलम खत्म किया जाए।

हाई कोर्ट के जजिज में एक प्रवृत्ति पैदा आपकी तरफ से कर दी गई है। आपने कह दिया है कि फलां उम्र के बाद फिर उनको लगाया जाएगा। हमारे माननीय त्यागी जी ने पिछले सत्र में कहा था कि यह जो प्रवृत्ति पैदा कर दी गई है, यह बहुत खराब है, बहुत बुरी है। इससे आप बड़ी अपवित्रता पैदा करते हैं, बड़ी अनैतिकता पैदा करते हैं। व कहने लग गए हैं कि उनके बर्थ का जो सर्टिफिकेट था, उसमें जो डेट दी हुई थी, वह गलत थी। इतनी उम्र प्राइमरी स्कूल में उनकी ज्यादा चढ़ गई थी और उसको कम किया जाए। हम आज से बीस बरस पहले देखते थे कि जो जज थे वे हिन्दू विडो की तरह से रहते थे। वे सोसाइटी से इतना ज्यादा मोह नहीं करते थे जितने आज के जज करते हैं। आप चाहें तो मैं नाम बता सकता हूं, लेकिन ऐसा करके मैं पार्लियामैंट की मर्यादा भंग नहीं करना चाहता । अलहदगी में अगर आप अपने कमरे में मुझ से पूछें तो मैं आपको नाम भी बता सकता हूं। एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर में, उनके पास चीफ जस्टिस जाते हैं, बैठते हैं, और उनके प्राइवट सैक्रटरी की तरह से उनके साथ रहते हैं । इस तरह की बातें कांस्टीट्यूशन पर लांछन हैं। जज में इतनी हिम्मत होनी चाहिये कि बड़े से बड़े आदमी के खिलाफ भी फैसला दे सकें। एक केस में हमारे प्राइममिनिस्टर साहब विटनेस की शक्ल में पेश हुए थे और हमारे श्री प्रकाश साहब जो एक्स-गवर्नर हैं, वह भी एक विटनेस की शक्ल में पेश हुए थे। इसके लिए मैं उनको मुबारिकबाद देता हूं। लेकिन फिर भी जज साहब ने फैसला खिलाफ दिया। जज साहब ने अपने फैसले में जो कुछ कहा मैं उसको कोट करना चाहता हूं। चूंकि यह केस खत्म हो चुका है, इसलिए मैंनहीं समझता कि इसको मैंशन करने में कोई आपत्ति की बात होनी चाहिये। मैं समझता हूं कि हमारे जजों में इतना चरित्र-बल होना चाहिये, इतना नैतिक बल होना चाहिये कि बड़े से बड़े लोगों के खिलाफ भी वे फैसला दे सकें। सुब्बा राव साहब जो कि जज हैं, उनका यह फैसला है। उन्होंने इसमें लिखा है:—

> श्री प्रकाश, बम्बई के भूतपूर्व राज्यपाल ने यह कहा था कि मोहन स्वरूप ऊँचे चरित्र के सीधे साधे व्यक्ति थे, श्री जवाहरलाल नेहरू ने भी यही कहा कि अपराधी बहुत सीधा और अच्छे चरित्र का व्यक्ति था तथा उनके साथ जेल भी रहा हुआ था।

जज साहब ने साफ कहा है कि एक ऐसा शख्स हो सकता है कि उसके अन्दर कमियां हों और वे पब्लिक में न आई हों। फैसला बहुत लम्बा चौड़ा है इस वास्ते मैं सारे फैसले को नहीं पढ़ना चाहता हूं इस केस में उन्होंने तीन साल की सजा ठोक दी। ऐसा करके उन्होंने बहुत अच्छा किया। मैं समझता हूं कि हमारी जो ज्यूडीशरी है वह कांस्टीट्यूशन की गार्डियन है । ज्यूडीशरी को अगर हम प्रभावित करने की कोशिश करेंगे एम० एल० एज़० के जरिये या एम० पीज़० के जरिये या वजीरों के जरिये तो हमारा कांस्टीट्यूशन फेल हो जाएगा। हम लोगों को इंसाफ नहीं दे सकेंगे। इस वास्ते जरूरत इस बात की है कि जजों की ज्यादा से ज्यादा ताजीम की जाए, उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए, उनको किसी प्रलोभन

[श्री यशपाल सिंह]

में न डाला जाए, उनके मारेल को खराब न किया जाए। इस तरह की बातें अगर करने की कोशिश होती है तो यह बिल्कुल ठीक नहीं है।

आप जहां सुधार करते हैं, वहां आप कुछ खर्च भी कम कीजिये । मैंने आपकी सारी रिपोर्ट देखी है। आपने सिर्फ १९,००० रुपयेकी खर्च में कमी की है। सारे साल में इतना खर्चा ही कम किया गया है । इतनी बड़ी कमेटी बैठने के बाद इतनीसी खर्चे में कमी हो, यह कहां तक मुनासिब है। जो बेकार के महकमे हैं, वे खत्म किए जायें।

ग्राम पंचायतों के अन्दर पांच सौ रुपये की जुरिसडिक्शन आपने दी है । एक एक केस ग्राम पचायतों में ऐसा पड़ा है जोकि दो दो साल से पेंडिंग है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर इंसाफ देने के मामले में देर की जाएगी तो जस्टिस खत्म हो जाएगा। इसलिए यह भी देखा जाना चाहिये कि सारे हिन्दुस्तान के अन्दर कितने ऐसे केसिस हैं जोकि बहुत लम्बे समय से पेंडिंग पड़े हुए हैं, दो दो और तीन तीन साल से पड़े हुए हैं और उनका फैसला होने को ही नहीं आता है। फैसला होने का कोई टाइम ही मुकर्रर नहीं है। इस तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिये। यह सबसे ज्यादा जरूरी है कि जल्दी से जल्दी इंसाफ लोगों को मिले ।

अब मैं इलैक्शन पेटीशंज के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं देखता हूं कि पांच साल का टर्म खत्म हो जाता है, पांच साल के बाद नए इलेक्शन आ जाते हैं, लेकिन पुराने इलैक्शन पैटीशंज का फैसला ही नहीं होता है। इसके लिए भी आपको रूल्ज बनाने चाहियें कि एक साल के अन्दर अन्दर हर इलैक्शन पेटीशन का फैसला हो जाए। एक साल से अधिक कोई भी इलैक्शन पेटीशन पैंडिंग में नहीं रहनी चाहिये।

कांस्टीट्यूशन में कोई चेंज नहीं की जानी चाहिये। जब कोई बात कांस्टीट्यूशन की आपकी पार्टी के खिलाफ पड़ती है, आप कांस्टीट्यूशन को बैठ करके चेंज कर देते हैं ।

श्री त्यागी (देहरादून): ऐसा नहीं है ।

श्री यशपाल सिंह : कांस्टीट्यूशन इस प्रकार की चीज नहीं है कि जिस को अपनी मर्जी के मुताबिक जब चाहें, आप चेंज कर दें। एक बार नहीं दसियों बार इसको चेंज किया गया है। कई बार इसकी दफात को बदला गया है। यह ठीक नहीं है। हमें अपने उसूलों को, अपने समाज को कांस्टीट्यूशन के मुताबिक बनाना चाहिये, उसके मुताबिक ढालना चाहिये। अगर कहीं हमारी मर्जी के खिलाफ कांस्टीट्यूशन जाती है, तो उसको भी हमें बर्दाश्त करना चाहिये । ऐसा कहीं नहीं होता है कि जूता मेरे पैर में न आए तो मैं जूते को ठीक न करूं बल्कि पैर को कटवा दूं। आपके हित में कोई चीज अगर नहीं है तो इसके मुताबिक आप अपनी कांस्टीट्यूशन को बदल लें, ऐसा नहीं होना चाहिये ।

मैं समझता हूं कि यह भी बहुत जरूरी है कि जिन लोगों के हाथ में इंसाफ देने की ताकत हो, जो लोग इंसाफ देते हों, उनका एप्वाइंटमेंट हो। गांव सभा के अन्दर, न्याय समिति के अन्दर, न्याय अदालत के अन्दर जो वोट से न्यायाधीश बनते हैं, वे फैसला ठीक नहीं दे सकते हैं, इंसाफ नहीं दे सकते हैं। जिन के वोट से वे न्यायाधीश बनेंगे उनके प्रति उनके दिलों में साफ्ट कार्नर रहेगा। इसलिये कांस्टीट्यूशन में ऐसा चेंज होना चाहिये कि किसी हालत में भी जो न्यायाधीश है, उसका इलैक्शन न हो, बल्कि उसका एप्वाइंटमेंट हो ।

सब से जरूरी बात यह है कि जो अखराजात हैं और जो बढ़ रहे हैं, उनको कम किया जाए। वे इसलिये बढ़ रहे हैं कि जिस काम को करने के लिये आप दो शख्स लगाते हैं, उसको पहले एक शख्स किया करता था। काम बढ़ता जा रहा है, कमेटाज बढ़ती जा रही हैं, चेयरमैन बढ़ते जा रहे हैं। यह बहुत जरूरी है कि इन पर रोक लगे।

एक छोटा सा बात मैं और कहना चाहता हूं। अभी यह अनआथोराइज्ड कंस्ट्रक्शंज की बात हो रही थी और यह कहा जा रहा था कि मकान अनआथोराइज्डला बना लिये जाते हैं। सरकार उन लोगों से हाउस टैक्स ले रही है, वह क्या अनआथोराइज्डला नहीं ले रही है, जो अफसर उनके लिये सिमेंट मंजूर करते हैं, वे अनआथोराइज्डला क्या नहीं करते हैं, जो लोहा मंजूर करते हैं, वे ऐसा हो क्या नहीं करते हैं, जो रजिस्ट्रेशन होता है, वह क्या अनआथोराइज्डला नहीं होता है। जिस घर के लिए आपने बाकायदा कोर्ट फासला है, वह अनआथोराइज्ड नहीं रह जाता है। मकान बनने के बाद और तीन साल गुजर जाने के बाद आप कहते हैं कि वह अनआथोराइज्ड था, इस वास्ते उसको गिरा दिया जाए। इस प्रकार का जो एक्ट है, उसमें सुधार होना चाहिये, जो कानून है, उसमें सुधार होना चाहिये। कानून की दृष्टि में सब लोग बराबर होने चाहियें। कानून में यह कहना कि सब समान हैं, सब को इक्वल अपरचुनिटीज हैं तथा फेयर फील्ड एंड नो फेवर है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे साथ तो सलूक किया जाता है, वह दुनिया का किसी कांस्टीट्यूशन में नहीं किया जाता है। हम जनता के रिप्रिजेंटेटिव हैं। हमारा तकरारों को सी० आई० डी० नोट करती है, यह हमारी कांस्टीट्यूशन के ऊपर एक धब्बा है। अगर हम खराब हैं, अगर हमारा कारेक्टर मशकूक है तो हमें यहां से हटाया जाए। अगर ऐसी बात नहीं है तो हमारी तकरारों को सी० आई० डी० क्यों नोट करती है। जब यह किया जाता है तो यह हमारी कांस्टीट्यूशन के ऊपर बहुत बुरा कलंक है, धब्बा है।

श्री त्यागी : क्या आप की तकरीर सी० आई० डी० के लोग नोट कर रहे हैं?

श्री यशपाल सिंह : मैं बाहर की बात कह रहा हूं, यहां की नहीं। यहां सब से ज्यादा जरूरी यह है कि हमारे यहां जो अनडिसाइडेड केसेज हैं उनको एक दम तय किया जाये। उन में देर न की जाये। नये केसेज एक दम न चलें जब तक कि पिछले केसेज का आप कोई फैसला न कर दें। अखबारों के साथ आज कल जो तरफदारी हो रही है, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वह नहीं होना चाहिये। मैं एक ऐसे अखबार को जानता हूं जिस पर मुकदमा चल रहा है। उसने अकाली मूवमेंट को सपोर्ट किया था। जो अकाली राज्य, पंजाबी राज्य, सिख राज्य की बात कह रहा था वह तो नहीं रहा, जो पंजाबी राज्य के दोषी थे, जिन्होंने खालसा राज्य का नारा लगाया था वह तो छोड़ दिये गये, लेकिन कुछ ऐसे गरीब अखबार हैं उन पर मुकदमा चल रहा है। अगर मैंने कोई कुसूर किया है तो मैं तो छोड़ दिया जाऊं, लेकिन जिस ने मेरी हिमायत की और कहा है कि मैं बेकुसूर हूं, उस पर मुकदमा चले, यह एक बड़ा अजाब बात है। इन चीजों का सुधार करना पड़ेगा तब कहीं जा कर इस देश का सुधार होगा हमारे हाई कोर्ट्स हैं, हमारी जुडीशिअरी है जो कि हमारे कांस्टिट्यूशन की गार्डियन है। अगर उनको आप खुली आजादी नहीं देंगे, अगर उनकी इज्जत नहीं करेंगे, उनकी तन्ख्वाह नहीं बढ़ायेंगे, उन को पूरा सम्मान नहीं मिलेगा, उनके दरवाजे तक एम० पी० और एम० एल० ए० जाना नहीं छोड़ेंगे, तो यह इन्साफ बैठ जायेगा, इन्साफ हमारे देश का चला जाता है।

इस के साथ यह भी जरूरी है कि कानून में कुछ नये सेक्शनन्स बढ़ाये जायें। यह बात नहीं कि जो कुछ अंग्रेज के जमाने से चला आ रहा है वह बात सही है। नहीं। अंग्रेज ने जो गलतियां की थीं उसे सुधारा जाय। मैं लाजिमी तौर पर अर्ज करूंगा कि इस देश में ५० लाख मन गेहूं

[श्री यशपाल सिंह]

चूहे खा जाते हैं, लेकिन जिन मकान मालिकों के गेहूं को चूहा खाता है उनके खिलाफ कोई सेक्शन नहीं है हमारे कानून में। मैं कहता हूं कि इस तरह से नहीं होना चाहिये। अगर कोई यह कहे कि अपना गेहूं है, मैंने अपना गेहूं खिला दिया, तो यह कोई दलील नहीं है। हमारा रुपया है हम ने जुआ खेल लिया। लेकिन आज कल जुआ खेलने वाला मुजरिम है, चाहे वह अपने रुपये से खेले या दूसरे के रुपये से खेले। जो देश की सम्पत्ति को सुरक्षित नहीं रख सकता उसके लिये कानून होना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि जो डिसकर्टसी या बदएख्लाकी बरतता है, अशिष्टाचार बरतता है, इन्सान इन्सान से हंस कर नहीं मिलता, इन्सान से इन्सान बच कर निकलता है, उसके लिये सजा होना चाहिये। जो मातमी सूरत से निकलता है, उसके लिये किसी और डिस्क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, जो उदास चेहरे से मिलता है, उसके लिये किसी और डिस्क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। गीता में यह बात लिखी हुई है:

"प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते।"

जो हंसता नहीं है, जिसका चित्त प्रसन्न नहीं है, जिसका चेहरा प्रसन्न नहीं है उसे भगवान दर्शन नहीं दे सकते। लेकिन हमारे लॉ में कोई सेक्शन ऐसा नहीं है। जो आदमी बदतहजीबी के साथ, अशिष्टाचार के साथ, मिलता है, बदएख्लाकी के साथ मिलता है, उसके खिलाफ कोई सेक्शन नहीं है। यह बड़ी भारी कमी है हमारे लॉ की। उस में इस तरह का सैक्शन होना चाहिये और जो मिलते वक्त कंजूसी करता है, जो मातमी सूरत से मिलता है, उसके खिलाफ ऐक्शन लिया जाय। मैं दूसरे देशों की तारीफ नहीं करता हूं, लेकिन जब वहां हम जाते हैं तो क्या पाते हैं? मैं दूसरे देशों की तारीफ नहीं करता, मैं उनका कोई वकील नहीं हूं। मैं तो सिर्फ अपने देश का भला चाहता हूं। दूसरे देशों में हम ऊपर यह लिखा हुआ देखते हैं:

"यही है इबादत, यही दीनो ईमा,
कि काम आये दुनिया में इन्सां के इन्सां।"

लेकिन यहां उलटा हिसाब है। दफ्तर में जाते हैं तो लिखा मिलता है "नो ऐडमिशन"। "नो ऐडमिशन" का मतलब है नाएख्लाकी, अनकल्चर्डनेस। हम लोगों में इतनी तहजीब होनी चाहिये कि हम बिना इत्तला के न जायें। लेकिन जो लोग अपने दरवाजों पर "नो एडमिशन" लिखवाते हैं वे मानवता के दरवाजे बन्द करते हैं। यह कानून होना चाहिये कि बगैर किसी काम के कोई किसी के दरवाजे पर न जाये, लेकिन जो जाता है, वह जनता की तरफ से जाता है, उसे किसी स्वार्थ साधने की जरूरत नहीं है। मेरा अपना कोई हित नहीं है, लेकिन मैं यहां पर एक स्टूडेंट के तरीके से अटेंड करता हूं। यहां से निकल कर अपनी कांस्टिटुएंन्सी में चला जाता हूं और सिपाही की तरह से काम करता हूं। लेकिन अगर मुझ से मिलने के लिये एक हजार आदमी भी आ जायें तो मेरे पास इतना प्रेम है कि वह एक हजार आदमी नाराज होकर नहीं जायेंगे। चूंकि प्रेम की गोदी इतनी विस्तृत है, मुहब्बत का आगोश इतना वसीअ है कि सारा संसार पैर फैला कर सो सकता है। लेकिन जो बदएख्लाकी से मिलता है उनके लिये वाकायदा सैक्शन होना चाहिये।

मैं कहना चाहता हूं कि कानून बदलेगा तो समाज बदलेगा, कानून नहीं बदलेगा तो हमारा समाज नहीं बदलेगा। यह जो आर्म्स ऐक्ट है, यह अंग्रेजों का बनाया हुआ है, आर्म्स ऐक्ट अंग्रेजों

ने इस लिये बनाया था कि हमारी गुलामी की जंजीरें मजबूत रहें, हम में नपुंसकता बढ़ती है, हम में बुजदिली बढ़ती रहे, हम में कायरता बढ़ती रहे, हम डिस्पैरिटीज क्रिएट करते रहें। लाइसेंसिज के नाम पर डिस्पैरिटी क्रिएट की जाती है और समाज में छोटे बड़ का लिहाज रखा जाता है। इस-लिये आर्म्स ऐक्ट को एकदम खत्म कर के आप प्रत्येक भारतवासी को जो बालिग है, जो ईमान-दार है, उसे हथियार रखने का अख्त्यार दें, और यह विधि मंत्री जी का काम है।

मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि जो १२४ (ए) दफा है हमारी ताजीरात हिन्द की, जिस के हम लोग शिकार हुए हैं, जिस के मातहत हम सब लोग अंग्रेजों के जमाने में जेलखानों में रहे हैं, वह दफा हमारे कांस्टिट्यूशन के खिलाफ है। मैं सिक्योरिटी की बात नहीं कहता, इमर्जेंसी के वक्त में मैं कहता हूं कि वह ठीक हो सकती है, जो देश के हित को सम्पादित नहीं करता है, जो रास्ते में रोड़े अटकाता है उसे पकड़ कर जेल में बन्द कर दिया जाय, लेकिन जब इमर्जेंसी का टाइम नहीं होता है उस वक्त दफा १२४ (ए) को कायम रखना गलत होगा। दफा १२४ (ए) और हमारा कांस्टिट्यूशन दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। कांस्टीट्यूशन बोलने की आजादी देता है, कांस्टिट्यूशन लिखने की आजादी देता है, खयालात की आजादी देता है, कांस्टिट्यूशन अपने मूवमेंट की भी आजादी देता है। लेकिन यहां उल्टा हिसाब है और वह उल्टा हिसाब यह है कि १४२ (ए) के मातहत कह दिया कि इस ने सरकार के खिलाफ बगावत की है। मैं कहना चहता हूं कि सरकार और पब्लिक कोई दो नहीं हैं। इस लिये दफा १२४ (ए) बोसीदा हो चुकी है, आउट आफ डेट हो चुकी है, इस का इख्तताम होना चाहिए इसको खत्म करना चाहिये। तभी हमारा यह कांस्टिट्यूशन फल फूल सकेगा जब तमाम हिन्दुस्तनियों को बराबर का हक दिया जाय "फेयर फील्ड ऐंड नो फेवर" कह देना तो आसान है, ईक्वल अपार्चुनिटी कह देना आसान है, लिहाज। इसके लिये हमें मेहनत करनी पड़ेगी और कल्याण का रास्ता खोलना पड़ेगा। जब तक हम सब लोग मिल कर ईक्वल, अपार्चुनिटी के लिये कोशिश नहीं करेंगे और वह वायुमण्डल तैयार नहीं करेंगे तब तक हमको कामयाबी नहीं मिलेगी। मैं पूछता हूं, जरा सी बात है, मैं जिस कांस्टिटुएंसी से खड़ा हुआ हूं वहां पर एक लड़के को १५ रु० माहवार की मुलाजमत नहीं दे सकता हूं, जब कि हमारे दूसरे साथी हैं जो कि खड़े हुए हैं, जो बाकायदा वजीर हैं, बाकायदा मंत्री हैं, वह सब कुछ दिलवा सकते हैं। नौकरी भी दिलवा सकते हैं, सीमेंट भी दिलवा सकते हैं, एजेन्सी भी दिलवा सकते हैं, परमिट भी दिलवा सकते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि ईक्वल अपार्चुनिटी नहीं है। हमें इसके लिये कोशिश करनी चाहिये। सारे देश के अन्दर लोगों को एक निगाह से देखा जाय, माइनारिटी और मैजोरिटी का सवाल हटाया जाय, छोटे बड़े का सवाल हटाया जाय, अछूतपन के खिलाफ कानून सख्त बनाया जाय, कहा जाय कि जो किसी को अनटचेबल समझता है वह देशद्रोही है।

इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि मानव मानव के लिये समानता और भ्रातृ भाव लाने की हम सब को कोशिश करनी चाहिये तभी विधि मंत्री को श्रेय प्राप्त होगा।

†**श्री त्यागी** (देहरादून): देश में न्यायपालिका का आदर घटता जा रहा है।

एक सुझाव यह दिया गया था कि, न्यायपालिका अधिकारियों की एक पृथक सेवा बनाई जाये। तथापि दुःख का विषय यह है कि न्यायपालिका अधिकारियों का अस्तित्व भी अब राज-नैतिक नेताओं की इच्छा पर निर्भर करता है।

अतः मेरा सुझाव है कि सरकार को सभी न्यायपालिका सेवाओं को मिला कर एक अखिल भारतीय सेवा शीघ्र बनानी चाहिये। न्यायपालिका को राजनीतिज्ञों के प्रभाव और हस्तक्षप से मुक्ति रखने के लिये यह कदम बहुत आवश्यक है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री रा० बरुआ (जोरहाट): भारत में विधि मंत्रालय को वह स्थान प्राप्त नहीं है जो कि एक लोकतन्त्र में विधि मंत्रालय को प्राप्त होना चाहिये। अभी हाल से हमारी न्यायपालिका में भी पतन के लक्षण प्रगट हो रहे हैं।

वस्तुतः समाजवादी प्रकार के शासन में न्यायपालिका को काफी शक्तियां दी जाती हैं ये शक्तियां छोटे अधिकारियों को प्रत्यायोजित की जाती हैं फल यह होता है कि प्रशासनिक निधियों के आधीन नियम और उपनियम बनते चले जाते हैं जो अन्ततोगत्वा नियम विरुद्ध हो जाते हैं। अतः न्यायपालिका की स्वतंत्रता और महत्ता बनाए रखना लोकतन्त्र में बहुत आवश्यक है।

इसके लिये यह आवश्यक है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करें। दुर्भाग्य से हमारे देश में केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये गम्भीर रूप से कोई प्रयत्न नहीं किये हैं। इस समय अवस्था यह है कि प्रशासनिक व्यवस्था न्याय पालिका पर छायी हुई है। इन परिस्थितियों में कोई भी न्यायपालिका से न्याय की आशा नहीं कर सकता है। अतः विधि मंत्रालय को इस संबंध में कुछ साहसिक कदम उठाने चाहियें।

विधि मंत्रालय को गरीबों को कानूनी सहायता देने की समस्या पर भी विचार करना चाहिये। जब तक इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी तो विभिन्न कल्याण विधियों का सही और उपयुक्त उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

दुःख का विषय है कि प्रत्येक बार कोर्ट फीस में वृद्धि कर दी जाती है। मंत्रालय को राज्य सरकारों पर यह दबाव डालना चाहिये कि वे कोई फीस में अग्रेतर वृद्धि न करें।

मुस्लिम विधि में संशोधन करने के लिये जो समिति बनाई गई है। मैं उसका समर्थन करता हूं। हमें आशा है कि समय व्यतीत होने पर हम उन कानूनों को आधुनिक आवश्यकता के अनुरूप बना सकेंगे।

†डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर): मंत्रालय ने बहुत संक्षिप्त प्रतिवेदन पेश किया है शायद इसका कारण यह है कि मंत्रालय के पास बहुत कम काम है। मंत्रालय के काम बहुत ही सीमित हैं तथा भ्रमात्मक और नियमित प्रकार का भी है। यदि इसकी कार्यवाही वहीं तक सीमित रही जहां अब है तो इससे न केवल विधि बल्कि उसकी क्रियान्विति को भी आघात होगा।

दुःख का विषय है कि विधि मंत्री तथा महान्यायवादी के प्रश्न पर विवाद उठ खड़ा हुआ है तथापि इस विषय में मंत्रालय के प्रवक्ता ने जो स्पष्टीकरण किए हैं वह दुःखपूर्ण और आपत्तिजनक हैं। उन्होंने कहा है कि यद्यपि एक पृथक महाधिवक्ता रहते रहे हैं तथापि विधि संबंधी राय देने का कार्य मंत्रालय ही करता रहा है। उन्होंने बताया कि १९६२ में विधि मंत्रालय ने १९१८१ मामलों में कानूनी सलाह दी जा जबकि महाधिवक्ता ने केवल ११ मामलों में ही कानूनी सलाह दी। उन्होंने यह भी कहा है कि महाधिवक्ता को गैर सरकारी मामले नहीं लेने चाहिये तथा वकालत नहीं करनी चाहिये।

विधि आयोग तथा भारतीय विधि संस्था ने अत्यन्त उपयोगी कार्य किया है उनके कार्य के विस्तार में क्रमशः गति प्रदान करनी चाहिये।

†मूल अंग्रेजी में

विधि मंत्रालय को वर्तमान कानूनों तथा प्रस्तावित कानूनों के संबंध में और अधिक विचार व जांच पड़ताल करनी चाहिये। सामनि क विधान विभाग स्थापित करने के प्रश्न पर भी विचार किया जाना चाहिये जिससे कि वर्तमान कानून को ठीक से अमल में लाने तथा उनमें सुधार करने की आवश्यकता पूरी हो सके। इस बात की नितांत आवश्यकता है कि नये कानून सरल तथा सुबोध बनें। देश में इस बात की परम आवश्यकता है कि दीवानी कानून सारे देश में एक जैसे हों।

सरकार का कर्तव्य है कि संविधानको अधिक लोकप्रिय बनाया जाये। दुख का विषय है कि इस दिशा मेंकोई प्रयास नहीं किया गया है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यहां भी स्केंडनेविया के आमडसमेन की तरह एक संसदीय आयोग की स्थापना करनी चाहिये जहां जनसाधारण अपनी शिकायतें पहुंचा सकें और उन्हें पक्षपातविहीन न्याय प्राप्त हो सके। भले ही यहां लोगोंको मूलअधिकार प्राप्त हैं किन्तु संविधान को लागू करने वाले न्यायालय कुछ औपचारिकताओं और प्रक्रिया से बंधे हुए हैं किन्तु ओमबडसमेन जैसा आयोग व्यक्तिगत मामलों को हल कर सकता है और सरकार से उस बारे में जवाब मांग सकता है। विधि प्रशासन को युग परिस्थितियों के अनुरूप बनाने की आवश्यकता है। जब लोगों को अभियोग पर अत्याधिक खर्च करना पड़ता है या गरीब वादी को विधि सम्बन्धी सहायता न मिलने के कारणन्याय में विलम्ब हो जाता है तो लोगों को बहुत हानि होती है हम चाहते हैं कि विधि सम्बन्धी सहायता के सम्बन्ध में सब को समान अवसर मिलना चाहिये।

मैं निर्वाचन आयोग की अभ्यर्थना करता हूं। इसके कारण देश की लोकतन्त्रात्मक संस्थाओं का संधारन हुआ है। किन्तु राज्यों, पंचायतों और नगरपालिकाओं के निर्वाचन सम्बन्धी शिकायतें बहुत मिलती हैं अतः आयोग केएकक राज्योंमें स्थापित होने चाहियें और इस सम्बन्ध में राज्यों से परामर्श करना चाहिये।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है क्योंकि उसमें औपचारिकता बहुत अधिक है। उदाहरण के लिये वादी को याचिका की प्रतियां प्रमाणित करके देनी पड़ती हैं और यदि एक भी प्रति ठीक प्रकार से प्रमाणित न हो तो याचिका रद्द हो जाती है। देश का कार्य इस मंत्रालय पर निर्भर करता है जैसे संस्कृत श्लोक में कहा गया है।

"धर्मो रक्षति रक्षितम्।"

†**श्री गो० ना० दीक्षित** (इटावा): मैंने शिक्षा मंत्रालय की मांगों पर बोलते हुये बचन दिया था कि अगली बार हिन्दी में बोलूंगा किन्तु मैं आज भी अंग्रेजी में बोल रहा हूं ताकि राष्ट्रभाषा के सम्बन्ध में मुझे जो कुछ कहना है उसे विधि मंत्री समझ सकें।

संविधान में एकमत से यह उपबन्ध रखा गया था कि १५ वर्ष के उपरांत हिन्दी को इस प्रकार विकसित कर लिया जायेगा कि वह राष्ट्रभाषा और सरकारी भाषा बन जायगी। किन्तु विधि मंत्रालय कोसभीकानूनहिन्दी में रूपान्तरित करने का जो काम सौंपा गया है उस के बारे में सरकारी भाषा आयोग के एक साधन से मुझे ज्ञात हुआ है कि कानून को हिन्दी रूपान्तरित करने में वर्तमान कर्मचारियों की सहायता से ३० वर्ष लग जायेंगे। जब तक न्याय सम्बन्धी काम हिन्दी में नहीं होता जब तक न्यायालयों में हिन्दी का प्रयोग नहीं होता तब तक हिन्दी सरकारी भाषा नहीं बन

†मूल अंग्रेजी में

[श्री गो० ना० दीक्षित]

सकती। अभी तक हालत यह है कि हिन्दी की छोटी सी चिट को अंग्रेजी में अनूदित करके उच्चतम न्यायालय में सुनाना पड़ता है। संविधान में राष्ट्र भाषा को लागू करने के लिये जो अवधि निर्धारित की गई है उसमें केवल ३ वर्ष बाकी रह गये हैं। यदि विधि मंत्री इस ओर पूरा ध्यान न दें तो यह काम ३ वर्ष में नहीं हो सकता।

विधि मंत्रालय का एक काम विभिन्न मंत्रालयों को परामर्श देना और प्रारूप तैयार करना भी है। इस कामके लिये इस मंत्रालय में अच्छे प्रशिक्षित लोग हैं। अतः मैं विधि मंत्री का ध्यान सरकारी भाषा की ओर दिलाते हुये यह कहना चाहता हूं कि सरकारी भाषा आयोग में काफी कर्मचारी नियुक्त किये जाएं जो सब संविधियों का न केवल हिन्दी में अनुवाद करें बल्कि अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी अनुवाद किया जाये।

न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में मुझे निवेदन करना है कि हमारे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश इतने पक्षपातहीन हैं कि वे किसी अन्य देश के न्यायाधीशों की तुलना में किसी प्रकार कम दर्जे के नहीं हैं। तो फिर उच्च न्यायालय और छोटे न्यायालयों में भ्रष्टाचार की जो शिकायतें मिलती हैं उन्हें क्यों दूर नहीं किया जा सकता। वास्तव में इन न्यायालयों के कर्मचारियों में फैले भ्रष्टाचार को निर्मूल कर देना चाहिये। इस दृष्टि से उच्चतम न्यायालय के कर्मचारी आदर्श होने चाहिये।

महान्यायवादी की नियुक्त के सम्बन्ध में मैं विधि मंत्री के दृष्टिकोण से सहमत हूं कि महान्यायवादी ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जो शासक दल में सब से सफल अधिवक्ता रहा हो। किन्तु इस से सहमत नहीं कि महान्यायवादी और विधि मंत्री एक ही व्यक्ति हो। मैं प्रसन्न हूं कि यह विचार छोड़ दिया गया है। श्री सीतलवाद जैसे योग्य और प्रख्यात अधिवक्ता के सम्बन्ध में बुलेटिन में कही गई बातें उचित नहीं थीं।

अधिकाधिक विधियां बनाना देश के लिये हितकारी नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आय के सम्बन्ध में संविधान में दो बार संशोधन किया गया है। हमें तो यही प्रयत्न करना चाहिये कि हमारे न्यायाधीशों की स्वतंत्रता सुरक्षित रहे और उनकी आयु का प्रश्न असैनिक प्रशासकों के हाथ में नहीं रहना चाहिये और संविधान का ऐसा संशोधन उचित नहीं जिससे न्यायधीशों की स्वतन्त्रता सुरक्षित न रहे।

†**श्री अ० कु० सेन :** सभा में की गई रचनात्मक टिप्पणियों के लिये मैं आभारी हूं। मैं पहले मुख्य मुख्य बातों को लूंगा।

मैं श्री त्रिवेदी से सहमत हूं कि निर्वाचन न्यायाधिकरणों को काम शीघ्र करना चाहिये और मैंने १९५७ में मंत्रालय का प्रभार ग्रहण करते समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श से निश्चय किया था कि याचिकाओं का निबटारा ६ मास के भीतर हो जाना चाहिये और अधिकाधिक न्यायाधिकरण स्थापित किये थे ताकि प्रत्येक न्यायाधिकरण के पास कम से कम काम हो। परिणामस्वरूप १९५७ में याचिकाओं का जो बड़ी संख्या में भी तेजी से निबटारा कर दिया गया था। सौभाग्य की बात है कि हमारे न्यायाधीश अप्रतिक योग्यता के लोग हैं जो बहुत शीघ्र काम कर सकते हैं और वादी और प्रतिवादियों पर भी हमें भरोसा है। इस बार भी वही प्रयोग उत्सहजन क रहा। श्री त्रिवेदी ने जो उदाहरण दिया है उसमें बिलम्ब का कारण न्यायाधिकरण नहीं प्रत्युत उच्चन्यायालय और उच्चतम न्यायालय के कारण जहां एक पक्ष ने अपील कर दी थी

†मूल अंग्रेजी में

और एक आदेश पास करदिया गया था। मुझे इस सम्बन्ध में संदेह नहीं कि सिवाय कुछ मामलों के सभी में तेजी से निबटारा हुआ है और परिणाम अच्छा रहा है।

आयकर न्यायाधिकरणों के स्थानों की ओर निर्देश किया गया है। इन स्थानों का निर्णय इस आधार पर किया गया था कि किस स्थान पर कितने मामले विचाराधीन हैं और प्रतिमास कितने मामले पेश होते हैं। इसदृष्टिसे प्रथम स्थान बम्बई का (७३७२ मामले विचाराधीन) दूसरा कलकत्ता का और तीसरा दिल्ली का है। पटना में १९५७ में न्यायाधिकरण समाप्त कर दिया गया वहां मामले बहुत कम थे और न्यायाधीशों को बेकार रहना पड़ रहा था। उस न्यायाधिकरण को कलकत्ता स्थानान्तरित कर दिया गया किन्तु पटना से अत्याधिक अभ्यावेदन मिलने में जिन में वादों की संख्या का भी उल्लेख है फिर वहां न्यायाधिकरण स्थापित करने का विचार है। अतः इस मामले का प्रादेशिक आधार पर निर्णय नहीं किया जा सकता। उच्च न्यायालयों के बारे में तो संविधान में उपबन्ध है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा किन्तु बम्बई दिल्ली और कलकत्ता में अधिक मामले होने के कारण अधिक बेंच रखे जाते हैं। दिल्ली का उच्च न्यायालय दिल्ली के आस पास के क्षेत्रों, पंजाब और राजस्थान के मामलों का भी निबटारा करता है। अतः ऐसे मामलों में स्थान का निर्णय राष्ट्रपति पर छोड़ देना ही ठीक है जो इन सब तथ्यों को ध्यान में रखता है और अन्य सदस्योंकी राय भी लेता है।

मुझे हर्ष है कि अखिल भारतीय विधि जीवी संघ स्थापित हो गया है। मेरा विचार इसे १९६१ के निर्वाचन से पहले स्थापित करने का था। अधिनियम को पारित करते समय नियम उपनियम बना दिये गये थे किन्तु वे सम्बन्धित राज्यों की सम्बन्धित विधिजीवी परिषदों तक ही सीमित रह गये। ये परिषद् स्वायत्तशासी निकाय हैं और उन्होंने तेजी से काम नहीं किया। आशा है वे बकाया कामों को शीघ्र निबटायेंगे। इस में संदेह है कि परिषद् के सम्बन्धित एकक पुनः स्थापित हो गये हैं और काम कर रहे हैं। मुझे इस सम्बन्ध में कुछ शिकायतें मिली हैं जैसे दिल्ली में नये सदस्य बनने वालों को कठिनाई हो रही है क्योंकि प्रवेशपत्र मुद्रित नहीं हुए भला इन के मुद्रण में क्या देर लगती है? किन्तु ऐसे मामलों में पहले पहल अवश्य कठिनाइयां अनुभव होती हैं।

श्री दाजी ने इस ओर संकेत किया था कि हमें विधि के शासन को कम करना चाहिये। मैं न केवल विधि शासन के संधारण बल्कि उसे बढ़ाने के भी पक्ष में हूं क्योंकि मेरा सारा जीवन ही विधि से सम्बन्धित रहा है? विधिव्यवस्था की स्वतंत्रता हमारे न्यायाधीशों की निर्भीकता के कारण हमारी शासन व्यवस्था में अनेक गुण हैं। प्रत्यर्पण के मामले में जिस रूसी नाविक को अभियोग की प्रारम्भिक प्रक्रिया में विजय प्राप्त हुई थी, उस के विचार समाचारपत्रों में पढ़ कर मुझे प्रसन्नता हुई थी। जब एक विदेशी ने हमारी न्यायपालिका के बारे में इतनी प्रशंसा की तो मुझे विधि से सम्बन्धित सभी लोगों की तरह इस बात पर गर्व अनुभव हुआ कि हमें सच्ची निर्भीक और स्वतंत्र न्यायपालिका को जीवित रखा है जो किसी की कृपा की कामना नहीं करती किसी के प्रति पक्षपात नहीं करती और किसी के प्रति भेदभाव प्रकट न करते समय संतों का सा व्यवहार करती है। श्री दाजी ने आलोचना की थी कि वित्त मंत्रालय द्वारा दो बीमा कम्पनियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। मैंने उनसे सम्बन्धित फाइलें मंगवा कर देखा कि मंत्रालय ने जो कार्यवाही की वह उचित थी। कुछ लोगों ने उन बीमा कम्पनियों के बारे में शिकायतें

[श्री गो० ना० दीक्षित]

की थी जिनमें से एक व्यक्ति को एक बीमा कम्पनी ने दुराचरण के कारण नौकरी से निकाल दिया था । मंत्रालय ने उन कम्पनियों के व्यय के निरीक्षण के लिए लेखा परीक्षक नियुक्त किये थे जिनके प्रतिवेदनों में बताया गया कि उनकम्पनियों के अधिकारियों का आचरण ठीक नहीं रहा। उस पर बीमा नियंत्रण ने कम्पनियों से स्पष्टीकरण मांगा। यह स्पष्टीकरण 'कारण बताओ' सूचना के रूप में था जिसे तत्कालीन वित्त सचिव श्री भंडरकर ने निर्धारित किया था जिसके प्रति मैं बहुत आदर भाव रखता हूं। उसने 'कारण बताओ सूचना' के प्रारूप में से ब्यौरे को निकालदिया था। यह उचित था, मैं भी ऐसा ही करता। कम्पनियों का उत्तर आने पर वित्त मंत्रालय के तत्कालीन सचिव श्री ए० के० राय ने जो अब नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं लिखा इन कम्पनियों में बीमा कार्य के अनुभवी दो निदेशक नियुक्त करनेचाहिये। उस सम्बन्ध में उसने कलकत्ता में नियुक्त केन्द्रीय सरकार के न्यायाधिकता और जीवन बीमा निगम के बोर्ड के एक सदस्य का नामोल्लेख किया था। इन निदेशकों को यह बताना था कि उपर्युक्त गलतियों के लिए कौन उत्तरदायी था। जीवन बीमा निगम के बोर्ड के सदस्य नेबहुत बड़ा प्रतिवेदन भेजा था जिसमें उसने लिखा था कि लेखा परीक्षकों ने कम्पनी से स्पष्टीकरण लिए बिना प्रतिवेदन तैयार किया था जो ठीक नहीं था क्योंकि उन्होंने बहुतसी बातों का उल्लेख नहीं किया था। उसमें लिखा गया था कि कुछ रकमें जो कम्पनी को भेजी गईं रास्ते में गुम हो गई थीं किन्तु वे रकमें कम्पनी ने बीमाकरने वालों को लौटा दी थीं। इस लम्बे चौड़े ब्यौरे को यहां नहीं लिया जा सकता किन्तु सरकार द्वारा नियुक्त किये निदेशकों का निर्णय दिया गया है। उस ने लिखा है कि निदेशक बोर्ड ने श्री पदम सिह को पदच्युत कर दिया था और प्रबंधकों को पूर्णतः बदल दिया था।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

इतना ही नहीं वित्त मंत्रालय ने "कारण बताओ सूचना" के साथ कम्पनियों के उत्तर और निदेशक का प्रतिवेदन भेज कर हम से परामर्श मांगा था कि क्या कानूनी कार्यवाही करनी चाहिये। महान्यायाधीश ने परामर्श देतेहुए एक एक बात को लियाहै और बताया है कि क्या कार्यवाही करनीचाहिये और अन्त में कहा है कि परिस्थितियों के अनुसार कम्पनियों के विरुद्ध कोई मामला नहीं है और कम्पनी ने उचित कदम उठाये हैं। यह मामला अधिक महत्व का नहीं है।

यह राय वित्त मंत्रालय को भेज दी गई थी और उन्होंने निदेशकों के प्रतिवेदन तथा महान्यायाधिक की राय के अनुसार कार्यवाही की थी। पता नहीं माननीय सदस्य को इस प्रक्रिया में क्या त्रुटि दिखाई देती हैं। निदेशकों के पद निर्देश यही थे कि वे न केवल निदेशक के रूप में काम करें किन्तु यह देखें कि क्या कम्पनी ने उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की थी या नहीं।

† **श्री दाजी** : समवाय अधिनियम, बीमा अधिनियम और विदेशी मुद्रा अधिनियम में दांडिक अभियोग का उपबंध है तब दांडिक अभियोग क्यों नहीं चलाया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० कु० सेन** : यही तो मैं बता रहा हूं। महान्यायाभिवक्ता ने सभी साक्ष्य का अध्ययन करके यही कहा था कि कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि लेखा परीक्षकों ने कई गलत बातों का उल्लेख किया था।

†**श्री वाजी** : लेखा परीक्षकों से नहीं पूछा गया कि उन्होंने अपनी उपपत्तियां कैसे दी थीं।

†**श्री वासुदेवन नायर** : प्रथमदृष्टया अभियोग (प्राइमफेसी) सिद्ध किया जा चुका था। फिर न्यायिक आयोग की नियुक्ति में क्या बाधा थी ?

†**श्री अ० कु० सेन** : मैं इस पर कार्य नहीं कर रहा। मैं सक्षम व्यक्तियों की मंत्रणा से, जिन्हें इसी प्रयोजन के लिये नियुक्त किया जाता है, कार्य करता हूं। हम अपने ऊपर उत्तरदायित्व नहीं ले सकते। मैंने इसका अध्ययन नहीं किया है और मैं जो कुछ मैंने इन २०-३० मिनटों में कह दिया है उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कह सकता।

†**श्री वाजी** : मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपना विनिर्णय देवें। जिस प्रतिवेदन से विधि मंत्री ने पढ़ा है उसे पटल पर रख दिया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : सामान्यतः यदि कोई चीज किसी मसविदे से पढ़ी जाती है तो उसे सभा पटल पर रखा जाना चाहिये। तथापि इस सम्बन्ध में अंतिम विशेषाधिकार मंत्री को प्राप्त है यदि वे यह अनुभव करते हैं कि बात लोकहित के विरुद्ध है तो इसे नहीं रख सकते हैं।

†**श्री वाजी** : भला एक गैर सरकारी समवाय के बारे में विधि अधिकारी की राय में लोकहित के विरुद्ध क्या बात हो सकती है भले ही यह बात बिड़ला समवाय के विरुद्ध है जिसके बारे में यह प्रतिवेदन दिया गया था।

†**श्री अ० क० सेन** : सभा के अभिलेखों से यह ज्ञात होता है कि एकबार पहिले जब ऐसी मांग रखी गयी थी तो वित्त मंत्री ने कहा था कि वे इसको सभा पटल पर नहीं रखेंगे क्योंकि उसमें कई गोपनीय बातें हैं। ये वित्त मंत्रालय की फाइलें हैं भला मैं उन्हें किस प्रकार पटल पर रख सकता हूं।

†**श्री शिवाजी राव शं० देशमुख** : माननीय मंत्री ने स्वयं ही एक मसविदे का उल्लेख किया था मंत्री महोदय उसे इस कारण भी सभा पटल पर रख सकते हैं कि वह दूसरे मंत्रालय का है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मसविदे को सभा पटल पर रखना या न रखने का विशेषाधिकार मंत्री महोदय को प्राप्त है।

†**श्री वाजी** : १९६१ में जब वित्त मंत्री से यह प्रश्न पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि वे इसे सभा पटल पर नहीं रखना चाहेंगे। १४ मार्च को उन्होंने यह कहा कि उन्होंने विधि मंत्रालय की सलाह से ही ऐसा किया था। अतः मैंने यह प्रश्न उठाया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दाजी]

उन्होंने केवल यह तर्क दिया है कि यह फाइल वित्त मन्त्रालय की है अतः वे इसे सभा पटल पर नहीं रख सकते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस सम्बन्ध में नियम संख्या ३६८ प्रयुक्त होता है। माननीय सदस्य उसको देख सकते हैं। उसमें लिखा है कि:--

> "यदि कोई मंत्री सभा में किसी ऐसे प्रेषणपत्र या अन्य राज्यपत्रको उद्धृत करे जो सभा के समक्ष नहीं रखा गया हो तो वह संगत पत्रको पटल पर रखेगा। परन्तु यह नियम किसी ऐसे दस्तावेज़ पर लागू नहीं होगा जिसे मंत्री ऐसे स्वरूप का बताये कि उसका पेश किया जाना लोकहित के प्रतिकूल होगा।"

†**श्री अ० कु० सेन** : वस्तुतः यह सारी बात अप्रत्यक्ष रूप में कही गयी थी। यह प्रश्न श्री दाजी ने बहुत चतुराई से रखा। उन्होंने कहा कि विधि मंत्री को गलत राय दी गयी। मैंने उन्हें यह बताया कि निदेशक का प्रतिवेदन आने के बाद यह हमारे पास आया कि इस पर क्या कार्यवाही की जाये। इस पर महा अभ्यर्थी की यह राय थी कि इस पर कोई अग्रेतर कार्यवाही नहीं की जानी है। इस पर उन्होंने तत्काल कहा कि इस प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखदिया जाये। मैंने उन्हें बताया कि यह फाइल वित्त मंत्रालय की है तथा मुझे इस देखने का भी अवसर नहीं मिला है। मुझे पुराने रिकार्ड से यह ज्ञात हुआ कि वित्त मंत्री ने इसे सभा पटल पर इस आधार पर रखने से इन्कार कर दिया था कि उसमें कई ऐसी बातें हैं, जिनका प्रकट करना लोकहित के प्रतिकूल है।

इस पर माननीयमंत्री ने ५ बार चिल्लाकर यह कहा कि हम बिरला समवाय को संरक्षण दे रहे हैं। यह कहना हमारी सदाशयता पर संदेह करना है।

†**श्री दाजी** : उन्होंने मुझ पर यह आरोप लगाया है कि मैं बाहर प्रचार करना चाहता हूँ। ऐसा आरोप लगाना किसी पर छिपे हुए वार करने के समान है। मैंने केवल यही कहा था कि यह मालमा बिड़ला कीदो कम्पनियोंसे सम्बन्ध रखता है अतः इसमें लोकहित का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। तथापि मंत्री जी ने मुझ पर उल्टा आरोप लगाया है।

†**श्री अ० कु० सेन** : जब वित्त मंत्री की अनुपस्थिति में यह बात कही गयी तो यह कहना मेरा कर्त्तव्य था कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। महा अभ्यर्थी के प्रतिवेदन को सभा पटल पर न रखने का एक कारण यह था कि उसमें कई चीजें लोकहित केविरुद्ध थी। सभा को इतना ही बता देना काफी है कि निदेशक का प्रतिवेदन जब महा अभ्यर्थी को भेजा गया तो उसने कहाकि आगे कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है। इस पर माननीय सदस्य ने पांच वार यह कहा कि मैं विड़ला समवायों का संरक्षण कर रहा हूँ।

†**श्री रामेश्वर पटेल** : मेरे विचार से सभा के कई सदस्यों का यह विचार है कि इसमें कुछ गड़बड़ जरूर है अतः हम यह जानना चाहते हैं कि महा अभ्यर्थी के प्रतिवेदन में क्या है?

†**अध्यक्ष महोदय** : सरकार का दृष्टिकोण यह है कि वह इन मामलों में किसी विशेषज्ञ की राय पर विश्वास करती है। मंत्री महोदय का कथन है कि उन्होंने विधि सलाहकारों का परामर्श ले लिया था। तथा वे इस नतीजे पर पहुंच कि इसमें कुछ करनाबाकी नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० कु० सेन :** माननीय सदस्य यह जानना चाहते थे कि किन परिस्थितियों में वित्त मंत्रालय को यह राय दी गयी। इसके उत्तर में मैंने उन्हें कुछ तथ्य पेश किये। मैंने उन्हें यह बताया कि यह राय महाअभ्यर्थी की थी मैंने वे परिस्थितियों भी बतायी जिनमें यह निर्णय किया गया था। वस्तुतः मैं फाइल के आने तक कुछ भीनहीं जानता था यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रश्न पूछा जाये तो मैं खुशी से उसका उत्तर दूंगा।

†**अध्यक्ष महोदय :** मंत्री महोदय ने जब फाइल से कुछ उद्धरण पढ़े हैं तो या तो उन्हें उस विशेषाधिकार का प्रयोग करना चाहिये या इस फाइल को सभा सटल पर रखना चाहिये। क्योंकि इस समय उन्होंने इस फाइल का उपयोग किया है।

†**श्री अ० कु० सेन :** श्रीदाजी ने यह आरोप लगाया है कि हम न्यायपालिका पर आघात कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि यदि ऐसा होगा तो लोकतंत्र का भी विनाश हो जायेगा।

उन्होंने एक विख्यात प्रोफेसर का मामला लिया है जिसके बारे में कहा गया कि उन्हें हथकड़ी पहना कर ले जाया गया। यदि कोईभी नियम विरुद्ध होकर हथकड़ी इत्यादि का प्रयोग करता है तो उस मामले की जांच की जानी चाहिये। ऐसे मामले में पुलिस के स्वविवेक के बारे में उससे ऊपर का अधिकारी जांच कर सकता है। वह इस बात का निर्णय कर सकता है। व्यक्तिगत मामलों में नियमों का उल्लंघन हो जाना स्वाभाविक है ऐसे मामलों को ऊपर के अधिकारी तत्काल को बताना चाहिये।

हम अभी तक मुकदमों में विलम्ब तथाअधिक खर्च की समस्याओं का समाधान नहीं कर सके हैं। आपात काल के कारण गरीबों को कानूनी सहायता दे सकना संभव नहीं हुआ है। इंग्लड में इसके लिये बहुत ही वैज्ञानिक तरीका अपनाया जाता है। जहां तक कोई फीस इत्यादि का प्रश्न है शायद इसमें कीमतों की वृद्धि के साथ-साथ वृद्धि होती रहेगी।

श्री घोष ने यह कहा कि मुस्लिम विधि के बारे में प्रतिवेदन देने के लिये एक समिति की नियुक्ति की गयी है। मेरे विचार से अन्य मुस्लिम देशों की विधि के अध्ययन करने में ऐसा कोई बात नहीं है। हम जानते हैं कि उनकी जनसंख्या मुख्यतः मुस्लिम है। पुरानी शारियत विधि में समय और काल के अनुसार परिवर्तन हो गये हैं। हम अपने देश में अल्पसंख्यकों के बारे में बहुत सावधान रहते हैं इसीलिये एक विशेषज्ञों की समिति नियुक्त की की गयी है जो विवाह तलाक इत्यादि महिलाओं के संरक्षण के क्षेत्र में विधि में वांछनीय सिफारिशों के सम्बन्ध में सिफारिश करेगी। कई मुस्लिम देशों में एक विवाह हो गया है अतः भारतीय मुसलमानों में भी यही बात प्रयुक्त होनी चाहिये। समिति में मुसलमानों का बहुमत होगा।

श्री यशपाल सिंह ने कहा है कि हमारे न्यायाधीशों के वेतनों में वृद्धि हो तथा उन्हें अधिक सुविधायें दी जाये। तथापि उन के लिये भी धन प्राप्त करने की समस्या है। स्वतंत्र न्याय-पालिका का तभी विकास हो सकता है जब कि न्यायाधीशों को जीवन की चिन्ताओं से मुक्त रखा जाय। एक जज ने मुझे यह बताया कि २२००/रु० मासिक से वह १००० रु० केवल किराये में व्यय करते हैं।

†**श्री कृ० चं० शर्मा :** उन्हें मुफ्त मकान देने चाहियें।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री अ० कु० सेन : उसने मुझे यह भी बताया कि न्यायाधिकरण ने सरकार द्वारा अधिग्रहीत मकान का किराया १२०० से बढ़ाकर १३०० रुपये कर दिया है और कि इस कारण वह मकान को छोड़ रहा था कि २२०० रुपये में से १३०० रुपये देना असंभव होगा । अतः कुछ समय पूर्व हम ने सिफारिशें की थी जिसके आधार पर सरकार ने निर्णय किया कि ऐसे स्थानों पर लोक निर्माण विभाग की दरों के आधार पर मकान दिये जायें ।

हमें आशा है कि न्यायपालिका में नौकरी पाने के लिये वकील लोग इच्छुक आ करेंगे और हम अपने न्यायाधीशों को अतिरिक्त पैसे और अन्य सुविधायें देने से नहीं करायेंगे । हमें न्याय धीशों पर खर्च करने में कंजूसी नहीं करनी चाहिये । क्योंकि वे न केवल नागरिकों के महत्वपूर्ण अधिकारों की रक्षा करते हैं बल्कि राज्य सरकार अधिकारियों और अत्यंत महत्वपूर्ण सामाजिक कानूनों सम्बन्धी निर्णय देते हैं।

श्री त्यागी ने देश की न्यायपालिका का एकीकरण करने के लिए कहा है किन्तु १९६० में श्रीनगर में हुए राज्यों के विधि मंत्रियों के सम्मेलन में उन्होंने राज्यों के प्रतिनिधि होने के नाते इस एकीकरण का विरोध किया था । न्यायपालिका सेवा भी इस के विरुद्ध है। विधि आयोग ने भी एकीकरण की सिफारिश की थी किन्तु राज्यों का विरोध होने के कारण और विशेषतः जब यह मामला संविधान के अन्तर्गत राज्य का विषय है एकीकरण करना संभव नहीं । न्यायाधीशों को जब पता था लगा कि विधि आयोग की इस सिफारिश पर सरकार सक्रिय विचार कर रही है तो उन्होंने प्रायः हर राज्य से अभ्यावेदन भेजे थे और एकीकरण के सिद्धांत का विरोध किया था । उनका विचार था कि असम, उड़ीसा और अन्य स्थानों पर केरल और मद्रास आदि स्थानों के अंग न्यायपालिका में छा जायेंगे । न्यायालय शुल्क का प्रश्न भी राज्य का विषय है । सभी राज्य सरकारों ने न्यायालय शुल्क समाप्त करने का विरोध किया है क्योंकि इस से राज्यों को बहुत राजस्व प्राप्त होता है और इस शुल्क के बिना न्यायालयों का संचालन असम्भव हो जायगा । मैं सदस्यों से सहमत हूं कि नागरिकों से न्याय के लिये शुल्क नहीं लेना चाहिये। अमीरों पर तो अन्य प्रकार से कर लगाया जाता है। किन्तु जब न्याय को बिक्री योग्य बनाया जाता है तो इस की प्रतिष्ठा और सौन्दर्य नष्ट हो जाटता है । किन्तु राज्य सरकारें इसके विरुद्ध हैं और वे इस सम्बन्ध में विधान बना सकती हैं। इस बारे में वित्त मंत्री से अपील करना चाहिये । उनका भी मत अभियोग बिना शुल्क नहीं होना चाहिये। सरकार में और बाहर भी बहुत से लोग हैं जिनका मत है कि यदि अभियोग निःशुल्क कर दिया जाये तो मुकदमेबाजी बढ़ जायगी ।

संसदीय ओम्बड्समैन की संस्था संसदीय लोकतंत्र राज्यों में सब से नवीन है । केवल स्वेडन में यह पद्धति है कि न्यूजीलैंड ने उसका अनुकरण करते हुए अभी हाल में इस पद्धति को अपनाया है। एंग्लो-सेक्सन कानून को अपनाने वाले अन्य किसी राज्य में यह पद्धति नहीं अपनाई गई और इंग्लैंड ने निश्चित रूप से इसका विरोध किया है । उनका मत है कि संसदीय नियंत्रण और लोकमत सरकार के अत्याचारों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त हैं । मानव अधिकारों के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ की जो गोष्ठी कैनबरा में हो रही है वहां इस पर चर्चा की जायेगी । विधि मंत्रियों के तीसरे सम्मेलन में

---

†मूल अंग्रेजी में

भी इस पर विचार किया गया था । अभी तक सरकारी स्तर पर कहीं विचार नहीं किया गया । बारम्बार हम एकांत पसंद करते हैं । ऐसी पक्षपातहीन संस्था तो प्रधान मंत्री सरीखी होगी । क्या वह इस देश में सफल हो सकती हैं क्योंकि प्रधान मंत्री का स्तर मंत्रालयों के सचिवों से ऊंचा होना चाहिये ।

मैं केवल अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहा रहा हूं । सरकार का इस सम्बन्ध में विचार जानने के लिये प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछना चाहिये । अभी तक सरकारी आधार पर इस पर चर्चा नहीं की गई । आतंकाल में तो सरकार को असाधारण अधिकारों का प्रयोग करना पड़ता है । अतः आशा नहीं कि निकट भविष्य में इस पर चर्चा की जायेगी । संभवतः इस सम्बन्ध में गैर-सरकारी संकल्प प्रस्तुत किया जाये और तब प्रधान मंत्री उसका उत्तर दें और फिर इस पद्धति के लाभ हानियों पर विचार किया जाये । केवल एक दफ्तर खोल देने का तो कोई लाभ नहीं जब तक उसे अधिकार न दिये जायें । अतः देखना होगा कि. सरकार के संगठन में उसका क्या स्वरूप होगा और क्या उस के लिये संवैधानिक उपबन्ध करना चाहिये अथवा नहीं ।

मेरा अपना विचार यह है कि इसे प्रभावी बनाया जाये और यह कि इसे निर्वाचन आयुक्त या नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय के समान स्वतंत्र बनाया जाये । क़ानून की दृष्टि से मेरी राय है कि इस के लिए संविधान में उपबन्ध होना चाहिये और इस के कार्यों और प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये । उदाहरण के लिये नियंत्रक महालेखा परीक्षक को अपने कार्यों का स्पष्ट ज्ञान होता है और उसे संविधान का समर्थन प्राप्त है ।

अतः मेरा विचार है कि ओमबर्ड्समैन जैसा संगठन बनाते समय जिसका अधिकार सरकार के सभी क्षेत्रों से ऊपरी होगा, उस की संवैधानिक स्थिति स्थापित करना आवश्य है । जहां तक इस बारे में सरकार की नीति का प्रश्न है वह प्रधान मंत्री बता सकते हैं। अन्त में मैं पुनः रचनात्मक सुझावों के लिए सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं। श्री दाजी ने अपने विचार बहुत स्पष्ट रूप में प्रस्तुत किये थे किन्तु उनका विरोध करते समय मैं उन पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहता था ।

सरकारी भाषा (विधान सम्बन्धी) आयोग के बारे में मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि हमें यह काम तेज़ी से करना चाहिये । यह कहना ठीक है कि और अधिकारी नियुक्त करने चाहियें किन्तु यह भी ध्यान देने की बात है कि हम प्रशासन व्यय में बचत के लिए प्रयत्नशील हैं और हमारे निदेश हैं कि और अधिकारी नियुक्त न किये जायें । मैं सहमत हूं कि यह काम आरम्भ में ही तेज़ी से शुरू होना चाहिये था । १९६१ में इसे आरम्भ कर के हमने जल्दी नहीं की थी। वास्तव में जब मैंने मंत्रालय का प्रभार संभाला तो कुछ भी काम नहीं हुआ सिवाय इस के एक दो अनुवादक नियुक्त थे । हम ने १९६१ में इस आयोग की स्थापना की और इस विषय के विद्वान व्यक्ति को इस का सभापति नियुक्त किया था ।

१ ½ वर्ष में जितना काम किया गया है उस से मैं संतुष्ट हूं पहले तो जगह प्राप्त करने की और अन्य कठिनाइयां थी । अब हमें स्थान मिल गया है और मुझे आशा है कि हम काफी काम कर सकेंगे । और कर्मचारी नियुक्त करने के सम्बन्ध में मैं क्या कह सकता हूं? यह वित्त मंत्री का विषय है । मैं केवल यह कह सकता हूं कि एक दो वर्ष में कुछ सक्षम अधिकारियों को नियुक्त कर के हम अधिक काम कर सकेंगे ।

[श्री अ० कु० सेन]

उद्देश्य के बारे में हमारा कोई मतभेद नहीं है । हम यह काम किसी की प्रसन्नता के लिये नहीं कर रहे हैं। हम यथाशीघ्र पूरे सद्भाव के साथ कानून की हिन्दी पुस्तकें और विधान सम्बन्धी हिन्दी की पुस्तकें शीघ्र तैयार करना चाहते हैं।

†डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या सरकार का विचार देश में सामाजिक विधान के प्रवर्तन का विश्लेषण करने के लिए कोई संगठन बनाने का नहीं है ?

†श्री अ० कु० सेन: इस सम्बन्ध में मेरा विचार है कि गैर-सरकारी संगठन अधिक उपयुक्त है अतः हम विधि संस्था की सहायता कर रहे हैं। वे इस सम्बन्ध में गवेषणा कर रहे हैं और नई आवश्यकताओं के लिए नये कानून का सुझाव देना भी उनका काम है। प्रत्येक देश में सरकार द्वारा सहायता प्राप्त अर्द्ध सरकारी या स्वायत्तशासी संगठन ही गवेषणा कार्य करते हैं। विधि सम्बन्धी मूल गवेषणा के लिए हम इस संगठन को विकसित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। माननीय सदस्य यह भूलते हैं कि आज कल कानून की बजाय अधिक बांध बनाने, बिजली पैदा करने, इस्पात के उत्पादन, कारखानों आदि पर बल दिया जा रहा है। आधुनिक समाज में हम वकील अधिक लोकप्रिय नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा विधि मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं ।

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
७५	विधि मंत्रालय	३७,२५,०००
७६	निर्वाचन	१,२७,५६,०००
७७	विधि मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय . . .	३,६४,०००

वर्ष १९६३-६४ के लिये सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :—

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
६	सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय .	२६,८८,०००
७	सामुदायिक विकास परियोजनायें राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा सहकारिता . . .	३,६२,५२,०००
११४	सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय का पूंजी परिव्यय .	२९,३३,०००

†मूल अंग्रेजी में

श्री समनानी (जम्मू तथा काश्मीर): जनाब, मैंने और बहुत से मेम्बर्ज ने दरख्वास्त दी थी कि इस मिनिस्ट्री की डिमांड्ज पर डिस्कशन के लिए टाइम बढ़ा दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय: हम पर जो हद्दूद लगी हुई हैं, उनके अन्दर टाइम को बढ़ाने में मुझे कोई एतराज नहीं है। जितनी देर आप शाम को बैठना चाहें, उतना ही टाइम बढ़ाया जा सकता है। इसमें मैं आपके साथ हूं। लेकिन उस वक्त यह एतराज न उठाना जाये कि हाउस में थोड़े से मेम्बर्ज रह गए। अगर आप तैयार हैं, तो मैं भी तैयार हूं।

श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा (जम्मू तथा काश्मीर): यह कल सारा दिन मंत्रालय चलेगा। मिनिस्टर साहब परसों रिप्लाई कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : कल देखा जाएंगा। आज क्या आप एक घंटा और बैठना चाहते हैं. . .

कुछ माननीय सदस्य : नहीं नहीं।

अध्यक्ष महोदय : और बैठने के लिए भी आप तैयार नहीं हैं। मैं कहां से वक्त निकालूंगा ?

श्री सरजू पाण्डेय (रसड़ा): अध्यक्ष महोदय: इससे पहले कि मैं अपनी बात पर आऊं मैं आप से एक निवेदन करना चाहता हूं। मैंने आज ही कट मोशन दी हैं और मैं चाहता हूं और आप से निवेदन करता हूं कि इनको एडमिट कर लिया जाए...

अध्यक्ष महोदय : आज ही क्यों दी है? इतने पुराने मैम्बर होकर आप. . .

श्री सरजू पाण्डेय: बाहर चला गया था।

हमारे सामने सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय की मांगें उपस्थित हैं। सभी इस बात को मानते हैं और मैं भी समझता हूं कि इस देश की आर्थिक प्रगति के लिए इस मंत्रालय का बड़ा योगदान हो सकता है। हमने अपने देश में समाजवादी समाज व्यवस्था की स्थापना का व्रत लिया है और साथ ही साथ यह कहा है कि हम मुल्क का विकास प्रजातांत्रिक तरीके से करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में इस मंत्रालय का महत्व और भी बढ़ जाता है।

इस मंत्रालय की जो रिपोर्ट हमारे सामने है वह बहुत चमकती हुई तसवीर हमारे सामने उपस्थित करती है। इसमें यह बतलाने की कोशिश की गई है कि इस मंत्रालय ने इस सिलसिले में, पंचायत राज के सिलसिले में, और कोआप्रेशन के फील्ड में काफी प्रगति की है, बड़ा काम किया है। सामुदायिक विकास के बारे में भी कहा गया है कि काफी काम हुआ है। मैं समझता हूं कि रिपोर्ट में इन सब बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश किया कया है और स्वयं मंत्रालय के लोग भी इसको महसूस करते होंगे।

इस विभाग के निम्मे पंचायत राज, सामुदायिक विकास और कोआप्रेशन ये तीन मुख्य काम हैं। सब से पहले मैं पंचायत राज को लेता हूं। इस में कोई शक नहीं है कि हम ने पंचायतों की स्थापना कर के इस बात का प्रयत्न किया है कि गांवों के लोगों को शासन के कामों में हिस्सा लेने का मौका दिया जाए। लेकिन मैं देखता हूं कि बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां पर पंचायत राज की स्थापना अभी नहीं हुई है। रिपोर्ट में भी इसका जिक्र किया गया है। यह भी इसमें कहा गया है कि जिन राज्यों में इनकी स्थापना हुई है, वहां पर भी काम सही

[श्री सरजू पाण्डेय]

मानों में नहीं चल रहा है, ठीक ढंग से चल रहा है और जिस उद्देश्य से उनकी स्थापना की गई थी, वह पूरा हो रहा है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

पंचायतों की स्थापना के बाद हम देखते हैं कि गांव की एकता में काफी फूट पैदा हुई है और कहीं कहीं तो गांव पंचायतों के चुनाव में, जिस तरह से बड़े इलैक्शन में जातपात और दूसरी तरह की बुराइयां उभर आती है, इसी तरह वे बुराइयां इसमें भी उभर आई हैं। गांवों की एकता को इन चुनावों ने काफी हद तक धक्का पहुंचाया है, बरबाद किया है। कहीं कहीं तो लाठियों का प्रयोग भी इन चुनावों में हुआ है। उद्देश्य इन पंचायतों का बहुत अच्छा है, इसको मैं मानता हूं। मैं यह नहीं कहता हूं कि गांव पंचायतों के चुनाव न कराये जायें। लेकिन मैंने पहले भी कहा था और आज फिर कहना चाहता हूं कि पंचायत राज का जो कानून है, उसमें एकरूपता होनी चाहिये। हमारे सूबे को ही आप लें। वहां पर सभापति का चुनाव तो सीक्रेट बैलट से होता है लेकिन मैम्बरों का चुनाव हाथ उठा कर होता है। नतीजा यह होता है कि गांवों के वे लोग जो बहुत शाक्तिशाली होते हैं, या लठैत किस्म के होते हैं, उनके खिलाफ कोई हाथ उठाने को तैयार नहीं होता है।

मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक बड़े पुराने सामाजिक अपराधी ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम आ जाओगे। उसने जवाब दिया आपकी कृपा से आ जाऊंगा। उसने कहा कि किसीकी हिम्मत नहीं है कि मेरे मुकाबले में खड़ा हो सके। इसलिए गांव में जो शक्तिशाली वर्ग है. . .

श्री द्वा० ना० तिवारी (गोपालगंज) : आपकी कंस्टिट्यूएंसी में ही ऐसा होता है।

श्री सरजू पाण्डेय : आपके बिहार में भी होता है और मैं बता सकता हूं।

मैं समझता हूं कि गांव के जो लोग शक्तिशाली नहीं हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए जब तक कोई खास व्यवस्था नहीं होगी जिसमें वे आजादी से वोटदे सकें, आजादी से अपने नुमाइंदों को चुन सकें, तब तक कतई तौर पर पंचायती राज कामयाबी के साथ नहीं चल सकता है।

अब मैं अदालत पंचायतों के बारे में एक बात कहना चाहूंगा। अदालत पंचायतों का हमारे यहां चुनाव होता है और आम तौर पर इन अदालत पंचायतों का इस्तेमाल गांव में गरीबों को सताने के लिए होता है। गांव के जमींदार या पुराने बड़े लोग इस बात की कोशिश करते हैं कि गरीब आदमी को जो कुछ करने के लिए कह दिया जाता है, जो ड्यूटी उसके सुपुर्द कर दी जाती है, उसको वह करे और अगर वह नहीं करता है, तो उसको गलत मुकदमे चला कर दंडित किया जाता है। अदालत पंचायतों को इस बात का अखत्यार है कि सौ रुपये से पांच सौ रुपये तक वे बिना सरखत के दावे ले सकती हैं। इसका नतीजा यह होता है कि जो मुखालिफत करता है, उसके ऊपर झूठे मुकदमे चलाये जाते हैं और इस तरह के पचासों मुकदमे अदालत पंचायतों में चलते रहते हैं।

इस बात का जोरदार निर्णय हो रहा है कि राजस्थान में पंचायतों का प्रयोग बहुत सफल सिद्ध हुआ है। अभी थोड़े दिनकी बात है, वहां के सदन में मुख्य मंत्री की ओर से बताया गया था कि सही मानों में और ठीक ढंग से उनका काम नहीं चल रहा है। जो आदर्श पंचायतें हैं, जिनकी बड़ी तारीफ की जाती है, उनके बारे में भी वहां के मंत्रियों को यह कहना पड़ा है कि सही मानों में काम नहीं चल रहा है। मेरा कहना यह है कि गांव पंचायतें तभी सही मानों में कामयाब सिद्ध हो सकती हैं जबकि गांवों में उन लोगों को जो कि आर्थिक तौर से पिछड़े हुए हैं, जो गरीब हैं, इस बात का मौका मिले कि वे भी उठ करके आगे बढ़ें और मुकबला कर सकें। उनलोगों को जो सम्पत्ति में शक्तिशाली नहीं हैं जिनके पास इतनी ताकत नहीं है, उनको इसका पूरा मौका मिलना चाहिये कि वे खड़े हो सकें।

अब मैं सामुदायिक विकास के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ९९ परसेंट गांव किसी न किसी ब्लाक के अन्तर्गत आ गए हैं। पहली बात तो यह है कि इस विभाग में फिजूलखर्ची बहुत ज्यादा है। ऐसी ऐसी योजनायें बनती हैं जिनका कि गांवों से कोई ताल्लुक नहीं होता है। गांवों की क्या-क्या आवश्यकतायें हैं, इसको अगर गांव वाले ही देखें और देख करके योजनायें बनायें तो अच्छा होगा। अगर वे यह महसूस करते हैं कि उनके गांव के लिए नालियों की जरूरत है, सड़कों की जरूरत है, पाखाने की जरूरत है, तो उनको इनके लिए योजना बनाने का अवसर दिया जाना चाहिये और तब तो बात समझ में आ सकती है। मगर आज योजनायें ऊपर से बनाकर गांव वालों को दे दी जाती हैं और कह दिया जाता है कि ऐसे-ऐसे काम करो। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं। मैंने इस बात का प्रेसीडेंशल एड्रैस में भी जिक्र किया था। एक बार हमारे यहां यह योजना चली कि बूढ़ों को पढ़ाया जाये। अब सवाल पैदा हुआ कि बूढ़े कैसे पढ़ेंगे। मिनिस्टर साहब ने अपने एडवाइजर्ज को, अपने सलाहकारों को बुलाया और उन्होंने कहा कि गांवों में ढोलक बाजों का प्रबन्ध कर दिया जाए, सब बूढ़े आयेंगे और पढ़ने लगेंगे। आठ लाख रुपये के ढोलक खरीदे गये। चार लाख के तो गांवों में पहुंचा दिए गए और बाकी चार लाख के ढोलकों की बिल्टी ही नहीं छुड़ाई गई और वे स्टेशन पर सड़ गए। उनको छुड़ाया ही नहीं गया। यह जब सम्पूर्णानन्दजी वहां थे, तब की बात है।

एक बार कहा गया कि गांव के छोटे बच्चों के लिए पाखानों की व्यवस्था होनी चाहिये। इसके बारे में कोई दो रायें नहीं हो सकती हैं कि इनकी व्यवस्था होनी चाहिये। बहुत से गांवों में पाखानों की सफाई की ही व्यवस्था नहीं है। मैंने पूछा कि जहां पर मेहतर नहीं है, वहां पर कौन इन पाखानों की सफाई करेगा तो कहा गया कि बच्चे खुद साफ कर लेंगे। नतीजा यह हुआ कि दो दो या तीन तीन या चार चार सौ रुपये एक एक पर खर्च कर दिये गये, कहीं पर पाखाने बने, कहीं बने ही नहीं और पैसे ठेकेदार खा गए।

गांवों में बीसियों तरह से कम्युनिटी डिवेलेपमेंट के नाम पर फिजूलखर्ची होती है। जब इस तरह के काम होते हैं तो गांव के लोगों को मजाक करने का मौका मिल जाता है। मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। कहा गया कि गांवों में मुर्गी फार्म खोले जायें। यह भी किया गया। लेकिन मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि अगर उनको इन मुर्गी फार्म्स को देखने का मौका मिले तो वह पायेंगे कि फार्म तो खुले हुए हैं, मगर मुर्गियां वहां पर कोई नहीं हैं।

एक माननीय सदस्य: मुर्गा है।

श्री सरजू पाण्डेय: न मुर्गियां हैं और न ही मुर्गे हैं। कुछ भी नहीं है।

[श्री सरजू पाण्डेय]

गांव में आपने स्कूल खोल रखे हैं लेकिन हालत यह है कि बहुतों की इमारतें ही नहीं हैं। बच्चे पेड़ों के नीचे बैठते हैं। न ऋषि और न मुनि, बल्कि बीच के ही वे बन सकते हैं। बैठने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। अस्पताल आपने खोल रखे हैं लेकिन वहां पर न दवाई मिलती है और न ही डाक्टर होते हैं।

इसी तरह से एक गांव में हरिजनों के लिए उनके घरों में धुआंकश बनाने की योजना बनी। जब पूछा गया तो बताया गया कि हरिजनों की आंखों में धुआं लगता है, इसलिये धुआं निकलने का कोई रास्ता होना चाहिये। इन बेचारों के घरों में खाना बने या न बने, धुआंकश तैयार करने की योजना इनके लिये बन गई। कमाल का यह डिवेलेपमैंट है। समझ में नहीं आता है कि क्या योजना है।

आप देखें कि किस तरह से कम्युनिटी डिवेलेपमेंट के नाम पर पैसे का दुरुपयोग गांवों में किया जा रहा है। अगर दरअसल में आप गांवों की तरक्की करना चाहते. . . मैं इस सिलसिले में कह रहा था कि जो भी इस में कुएं बनवाने की बात है, गांवों और कस्बों के अन्दर हैल्थ यूनिट्स की स्थापना की बात है, उस में और कम्युनिटी डेवेलेपमेंट के जरिये और जो काम होते हैं, उन में लाजिमी तौर पर आधे से ज्यादा पैसा बरबाद होता है और उस पर अमल बहुत कम होता है। आप हमारे सूबे में, खास तौर से पूर्वी जिलों को, जहां से मैं आता हूं, जा कर देखिये, वहां पर किसी तरह से वह चीजें अमल में नहीं आ रही हैं जिनको बहुत महत्व दिया गया है। कहा जाता है कि गांवों में उनके जरिये से छोटे मोटे उद्योग चलाये जाते हैं, छोटी इन्डस्ट्रीज चलाई जाती हैं, लेकिन सच बात तो यह है कि छोटे मोटे उद्योग धन्धों के नाम पर सारे गांव के बड़े लोग कर्जे ले कर खा जाते हैं, कभी उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। हजारों केसेज पड़े हुए हैं लेकिन उनका ट्रायल नहीं हुआ क्योंकि नेता जी उनकी मदद के लिये खड़े रहते हैं और उन से पैसा वसूल नहीं होता। हमारे सूबे के मिनिस्टर ने कहा कि जो लोन दिया गया है उस में से ९९ फीसदी लोन लोगों ने खा लिया है। यह सब बात कही जाती है लेकिन उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होती। अभी हमारे यहां के पूर्वी जिलों में एक टीम विजिट करने के लिये गई थी। मैंने इन्डस्ट्रीज आफिसर से पूछा कि यह चीजें कहां-कहां लगी हुई हैं तो उन्होंने कहा कि यह कहीं नहीं हैं और चीजें अन्डर कन्स्ट्रक्शन हैं। कागज में तो लग गई है, लेकिन दरअसल हम लोगों ने जा कर देखा कि वह कहीं नहीं लगी हैं। इस तरह तो कम्युनिटी डेवेलेपमेंट के लिये कहना है। अगर इस काम को आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप को उनकी छोटी मोटी चैकिंग करनी चाहिये। गांव वालों से पूछना पड़ेगा कि किन चीजों की जरूरत है। उस के बाद ही आप योजना पर अमल करें तो ज्यादा अच्छा होगा, बजाय इसके कि यहां से सब कुछ बना कर भेजा जाय।

जहां तक कोआपरेटिव डिपार्टमेंट का सवाल है, यह एक अजीब किस्म की कोआपरेटिव है। मैं ने यह बात पहले भी कही थी कि इसके अजीब-अजीब कायदे कानून हैं और यह एक पैसा खाने का रास्ता सा बन गया है। कोआपरेटिव डिपार्टमेंट का सूद इतना मंहगा होता है कि इस से गरीब लोगों को कोई लाभ नहीं है। अगर वे लोग कोआपरेटिव से कर्ज लेते हैं तो दोहरे कर्जे में फंसते हैं। किसान एक बार कोआपरेटिव से कर्ज लेते हैं, फिर जो वह वसूल होने लगता है तो फिर वह वापस महाजनों के पास जाता है और सवाये सूद पर रुपया लेता है। दूसरी बात यह है कि यह कोआपरेटिव एक तरह से फाल्स कोआपरेटिव बनी हुई है। एक ही घर के सारे लोग कोआपरेटिव में बैठे होते हैं। अलग-अलग नाम से वह कोआपरेटिव बनाते हैं और उस का

सारा पैसा खाते हैं। यहां पर तो मिनिस्टर साहब अपनी रिपोर्ट में बतलाते हैं कि यह बड़ी शानदार कोआपरेटिव है, मगर लखनऊ में खुद उन्होंने क्या फरमाया था, जरा इसको भी देखिए। यह बात जाहिर है कि उन्होंने यह बात ईमानदारी से तसलीम किया कि किस तरह से आफिशलडम का, सरकारी अधिकारियों का उस पर प्रभाव है। मिनिस्टर साहब ने कोआपरेटिव मिनिस्टरों की कांफ्रेंस में राज्यों की आलोचना की कि वे राष्ट्र नीति को ठीक भावना में लागू करने में असफल रहे हैं। और सहकारी समितियों में से सरकारी लोगों को अलग रखने का सिद्धांत नाम मात्र का है। मिनिस्टर साहब इस तरह के स्टेटमेंट तो देते हैं पर अमल नहीं होता और हमारे पंडित जी कहते हैं कि आफिशलडम नहीं होना चाहिये। बातें तो बहुत ऊंची-ऊंची करते हैं, बात करने का तो पेशा बन गया है सरकार में बैठ कर।

एक माननीय सदस्य: खाते भी तो उसी की हैं।

श्री सरजू पाण्डेय: सरकार में बैठे हुए लोग खुद कोआपरेटिव की मुखालिफत करते हैं। एक साहब एलेक्शन में कहने लगे कि कोआपरेटिव का नाम मत लो, नहीं तो वोट नहीं मिलेंगे, ऐसी तकरीर दो जिसमें कि कोआपरेटिव की मुखालिफत हो। खुद मिनिस्टर साहब ने इसे तसलीम किया है कि सहकारिता को उनसे खतरा नहीं जो बाहर से इसका विरोध करते हैं बल्कि उनसे है जो अन्दर से इसे हानि पहुंचाना चाहते हैं।

इससे बड़ा क्रिटिसिज्म कोआपरेटिव डिपार्टमेंट का हो नहीं सकता। यह उन्होंने लखनऊ में कहा है कोआपरेटिव मिनिस्टरों की कांफ्रेंस में।

एक माननीय सदस्य: यह उन्होंने कहा है ?

श्री सरजू पाण्डेय: आप डिनाई कर दीजिए तो कोई बात नहीं है। यह तो साधारण बात है आप लोगों के लिये। यहीं नहीं बिहार के बारे में क्या कहा गया है वह भी सुन लीजिए। आप के श्री के० बी० सहाय ने खुद क्या फरमाया है, और वहां की रिपोर्ट क्या है? श्री के० बी० सहाय ने इसको तसलीम किया है कि किस तरह पर बिहार में कोआपरेटिव का कांग्रेस वाले मिसयूज करते हैं। नाम नहीं है, लेकिन नेता के माने यहां कांग्रेसियों से ही है। यह सच है कि बड़ी संख्या में सहकारी समितियों में राजनैतिक नेताओं का नियंत्रण है।

अब बतलाइये यह लिखा है।

श्री विभूति मिश्र (मोतिहारी): कोआपरेटिव्ज को पोलिटिकल पार्टीज चला रही हैं और उस में आप भी शामिल हैं।

श्री सरजू पाण्डेय: बिहार की पोलिटिकल पार्टीज में ऐसी कोई पार्टी पावर में नहीं है जितने कि आप लोग हैं। तो यह मामला है कि स तरह से जमींदार लोग कोआपरेटिव डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं और उसकी सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं और कोआपरेटिव फार्मिंग की बात करते हैं। अभी एक टीम विजिट करने के लिये गई थी कि किस तरह से कोआपरेटिव फार्मिंग हो रही है। मेम्बर साहबान घूमने गये थे। उन्होंने इसके लिये अपनी ओपीनियन दी है कि इस तरह से कोआपरेटिव फार्मिंग में क्या चीज हो रही है। ... के बारे में उन्होंने कहा कि इससे जमींदार अन्य सदस्यों का शोषण करेंगे।

[श्री सरजू पाण्डेय]

पंजाब की कोआपरेटिव फार्मिंग के बारे में उनकी यहओपीनियन है कि किस तरह से बड़े-बड़े लोग गरीबोंको एक्सप्लायट करते हैं। यही नहीं बल्कि यह भी कहा कि पुराने सहकारी फार्म जमींदारों यामुखियों के हाथ में हैं। यह है कोआपरेटिव फार्मिंग आपकी। यू० पी० के बारे में भी यही ओपीनियन है। पंजाब, बिहार, मैसूर का उन लोगों ने दौरा किया है और बतलाया है कि इस सिलसिले में महाराष्ट्र, पंजाब, मैसूर और उत्तर प्रदेश में क्या हालत है। उत्तर प्रदेश में कोई खास फार्मिंग नहीं है। एक फार्म की बात कही गई है रामपुर में। उसके इस टीम में सरकारी पक्ष के ही लोग हैं। यह मेरी आलोचना नहीं है। उन्होंने यू० पी० के पांच फार्म्स में से तीन के बारे में क्या लिखा है यह सुनिये:

"तीन प्रयोगात्मक समितियां उन जमींदारों के हाथ में हैं जो फार्म के काम से अभ्यस्त नहीं हैं।"

जमींदारों ने ट्रेक्टर खरीद लिया और फार्मिंग कर ली। हो गई कोआपरेटिव फार्मिंग। यह कोआपरेटिव फार्मिंग उत्तर प्रदेश की है जिसकी चमकते हुये हर्फों में तारीफ की गई है इस सिलसिले में मेरा कहना यह है कि अगर दरअस्ल आप चाहते हैं कि मुल्क में कोआपरेटिव बढ़े और दरअस्ल कम्युनिटी डेवेलपमेंट का मुल्क में फैलाव हो तो लाजिमी तौर पर आप को एक नया परिवर्तन साहस के साथ लाना पड़ेगा। इस तरह से नहीं कि हमने मिनिस्टरों से कह दिया। स्टेट मिनिस्टर कभी भी आपकी पालिसी को लागू करने के लिये तैयार नहीं हैं। वे इस पर कितना अमल करते हैं खुद आप इस बात को समझते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि दरअस्ल अगर इस आन्दोलन को शक्तिशाली बनाना है, लोगों में शिक्षा के साथ-साथ कोआपरेटिव की भावना उत्पन्न कीजिये क्योंकि हम एक ऐसे समाज के हैं जो व्यक्ति को पहले और समाज को बाद में समझता है। हमारा यह नारा है कि पहले घर में दिया जलाओ बाद में बाहर। जो समाज को बलिदान करता है व्यक्ति की हिफाजत के लिये, इस विचार को बदलना पड़ेगा। लेकिन यह तभी बदलेगा जब समाज के शक्तिशाली लोगों के हाथों से पावर आप लेंगे। जब तक गांवों में बड़े-बड़े जमींदार, बड़े-बड़े खेतों वाले बैठे हुये हैं, बड़े-बड़े पैसे वाले बैठे हुये हैं तब तक यह चोंचों का मुरब्बा नहीं चलने वाला है। दूसरे देशों में जहां पर कोआपरेटिव फार्मिंग है वहां लाजिमी तौर पर इन विचारों को बदला गया और गरीब लोगों को इस बात का मौका दिया कि वे फायदा उससे उठायें। आज भी हमारे देश के कोई गरीब आदमी कोआपरेटिव से फायदा नहीं उठाते हैं। न हरिजन उसका फायदा उठाते हैं, न दूसरे एग्रीकल्चुरल लेबरर उसका फायदा उठाते हैं, बल्कि वही बड़े-बड़े लोग जो पहले फायदा उठाते थे आज भी कोआपरेशन के नाम से सारी चीजों को लूटते और खाते हैं और कोआपरेटिव एक मजाक बन कर रह गया है। इसलिये मैं कहता हूं कि अगर दरअसल इस मूवमेंट को चलाना है तो उन तमाम लोगों को जो इन विचारों के हैं साथ लीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिये कि केवल अपने दल वालों को ही साथ लिया जाए। हम देखते हैं कि बैंकों पर कब्जा करने के लिये, परिषदों पर कब्जा करने के लिये लाठियां इकट्ठी होती हैं। तो मेरा सुझाव है कि इसको राजनीति से अलग रखना चाहिये। गांव पंचायतों को राजनीति से तभी अलग रखा जा सकता है। सब उनके प्रधानों के जिला परिषदों के सदस्यों को चुनने का अधिकार नहीं। चुनावों में लोग सभापतियों को रात में सोते उठा ले जाते हैं और उनका वोट ले लेते हैं। तो आपको गाव पंचायतों को और इस कोआपरेटिव के काम को राजनीति से अलग रखना चाहिये। और इनके लिये डाइरेक्ट इलेक्शन कराया जाए और गांवों के हर तबके को शक्तिशाली बनाया जाए ताकि सारे लोग सही मानों में कोआपरेटिव मूवमेंट से फायदा उठा सकें।

श्री द्वारका दास मंत्री (भीर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

सामुदायिक विकास का काम १३ वर्षों से चल रहा है। इस विभाग ने विकास का काम हर गांव तक पहुंचाया है। खेती के मामले में पहली पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया और हम देखते हैं कि इस एजेंसी की सहायता से काश्तकार काफी आगे बढ़े हैं। जो चीजें हमारे काश्तकारों को मालूम नहीं थीं, जैसे कि नए तरीके से खेती करना, नई खाद डालना, नए तरीके अपनाना, इस विभाग के द्वारा वे चीजें हमारे गांवों में पहुंची हैं और हम देखते हैं कि खाद्य उत्पादन बढ़ाने में काफी सफलता मिली है और मिल रही है।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में पंचायत राज का बहुत बड़ा काम हाथ में लिया गया। कई राज्यों में पंचायत राज्य अस्तित्व में आ गया है और काम हो रहा है। जो यह कहा जाता है कि गांवों में लीडरशिप पैदा हो और गांव अपने अपने पांवों पर खड़े हो सकें और अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें, तो यह काम इस विभाग द्वारा किया जा रहा है और दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस दिशा में काफी काम हुआ है। किन्तु इसको बहुत अच्छी तरह से चलाने के लिये अभी बहुत कुछ करना है। पंचायत राज्य के जो भी अच्छे बुरे अनुभव आ रहे हैं उनको देखते हुए हमें उसमें सुधार करना चाहिये। माननीय मंत्री महोदय ने इस काम के लिये एक कमेटी बनायी है, उसकी रिपोर्ट का वह इंतजार कर रहे हैं। उसकी रिपोर्ट आने पर उसकी सिफारिशों के अनुसार सुधार किया जाएगा ऐसी मुझे आशा है।

हम कहते हैं कि खेती का उत्पादन बढ़े, लेकिन जो काश्तकारों की आवश्यकताएं हैं उनकी ओर जितना ध्यान दिया जाना चाहिये उतना ध्यान नहीं दिया जाता। हम देखते हैं कि कोआपरेटिव द्वारा किसानों को कर्ज दिया जाता है। यह उसूल रखा गया है कि किसानों से ७ परसेंट से ज्यादा सूद न लिया जाए। लेकिन हम देखते हैं कि उनको ७ परसेंट से बहुत ज्यादा देना पड़ता है। स्टेट कोआपरेटिव बैंक और काश्तकार के बीच में अपेक्स बैंक है, डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक है, उसके बाद तालुका सुपरवाइजिंग यूनियन है और उसके बाद सोसाइटी है और सोसाइटी के लोगों के अखराजात भी काश्तकारों पर पड़ते हैं और नतीजा यह होता है कि काश्तकार को ७ परसेंट के बजाए १२ परसेंट तक खर्च करना पड़ता है। इसमें दुरुस्ती होने की आवश्यकता है।

इसके बाद जो सोसाइटीज काम करती हैं उनके पास काफी पैसा नहीं। वे अपना खर्च चलाने में पूरी तरह समर्थ नहीं हैं। ऐसी संस्थाओं को गवर्नमेंट ग्रांट दी जानी चाहिये। अभी प्रोड्यूसर सोसाइटीज से लेकर मारकेटिंग सोसाइटीज तक जो भी संस्थाएं काम कर रही हैं वे अपना खर्चा पूरा नहीं कर पातीं। इस दृष्टि से उनको सहायता देना सरकार के लिये बहुत आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो इन के काम में आप को थोड़े दिनों में असफलता नजर आएगी।

विलेज वालंटियर फोर्स की बात कही जाती है और आशा की जाती है कि इनके द्वारा उत्पादन बढ़ेगा। अभी गांवों में यह मालूमात नहीं हैं कि किस प्रकार उत्पादन बढ़ाया जाए, कम्पोस्ट किस तरह बनाया जाए, नए आलात का इस्तेमाल कैसे किया जाए और उनसे क्या फीयदा होता है आदि। खेती के बारे में किसानों को जो प्रशिक्षण मिलना चाहिये वह अभी तक काफी नहीं मिला है। विलेज वालंटियर फोर्स का उद्घाटन कर दिया गया है लेकिन हम देखते हैं कि वे गांवों में अभी कम पहुंचे हैं। जहां जहां पहुंचे हैं वहां उनके कोई कार्यक्रम हाथ में

[श्री द्वारका दास मंत्री]

लेने में दुश्वारियां हैं। तो मैं चाहूंगा कि हर गांव के लिये एक माडल प्रोग्राम बनाया जाए और गांवों में ऐसे लोगों को भेजा जाए जो कि काश्तकारों को खेती के सम्बन्ध में सूचना दे सकें।

लेबर बैंक्स की बात भी कही जाती है, लेकिन वह चीज अभी केवल कागज पर ही है। अभी उसका प्रैक्टिकल तौर पर उपयोग नहीं हुआ है।

सब से बड़ी दिक्कत किसानों को सड़कों की है। गांवों में कच्चे रास्ते हैं जिनपर माल ले जाने में किसानों को कई गुना ज्यादा तकलीफ होती है। उनकी गाड़ियां भी पुराने किस्म की हैं। और अच्छी सड़कें न होने से उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ता है।

पंचायत राज्य के सिलसिले में बहुत कुछ किया जा रहा है। किन्तु हम देखते हैं कि जो कानून एक स्टेट में है वह दूसरी स्टेट में नहीं है। हर एक स्टेट अपने अपने अलग अलग ढंग से कानून बना रही है। इसलिए अलग अलग ढंग से काम हो रहा है। मैं चाहूंगा कि चूंकि पंचायत राज पर हमारे समाज का बुनियादी ढांचा बनने वाला है, इसलिए सारे देश में इस बारे में एक सा ही कानून प्रचलित किया जाय ताकि अच्छी सफलता मिल सके।

इस के बाद कोआपरेशन के सिलसिले में एक और चीज कहनी है। आज कल हम यह देखते हैं कि सहकार का काम कुछ थोड़े से हाथों में केन्द्रित हो कर रह गया है। एक ही आदमी के हाथ में कई सोसाइटीज के सूत्र एकत्र हो गए हैं। एक ही आदमी अलग अलग सोसाइटियों का चेयरमैन बनता जा रहा है। कोआपरेटिव बैंक का भी वही चेयरमैन है, मारकेटिंग सोसाइटी का भी वही चेयरमैन है, सुपरवाइजिंग यूनियन का वही चेयरमैन है, रिक्शा यूनियन का वही चेयरमैन है, कंज्यूमर्स कोआपरेटिव सोसाइटी का वही चेयरमैन है। तो इस तरह एक ही आदमी अनेकों सोसाइटियों का सूत्रधार बन जाता है।

श्री दी० च० शर्मा (गुरदासपुर) : मुर्गीपालन के भी वही चेयरमैन हो जाते हैं।

श्री द्वारका दास मंत्री: तो इस तरह से इस काम का कान्सेंट्रेशन कुछ हाथों में होता जा रहा है जिससे कोआपरेटिव को खतरा होने वाला है। हम देखते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड सोसाइटीज और एक ही आदमी के हाथ में बीस बीस और पच्चीस पच्चीस होती हैं तो उनका काम खराब होता है जैसा कि रिपोर्टों से पता चलता है। इसी तरह अगर कोआपरेटिव के काम का भी कांसेंट्रेशन कुछ ही हाथों में हो गया तो इस के लिए खतरनाक हो सकता है और अगर ऐसा हो गया तो यह काम सफल नहीं होगा। इसलिए अगर अभी से इस ओर ध्यान दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। खेती का उत्पादन बढ़ा है और उस उत्पादन का मूल्य भी बढ़ा है। इसलिए जमीन की भी कीमत बढ़ गयी है। कीमत बढ़ने के कारण भूमि उन लोगों के पास नहीं जाती जिन के पास जमीन नहीं है, बल्कि उन के पास जाती है जो ज्यादा पैसा दे सकते हैं। वह जमीन एग्रीकल्चुरल लेबरर या टिनेंट को नहीं मिल पाती। मेरा सुझाव है कि जमीन खरीदने तथा बेचने के सम्बन्ध में कुछ ऐसा नियंत्रण रखा जाए जैसा कि सोने के सम्बन्ध में रखा है। मेरा सुझाव है कि ऐसा नियम बना दिया जाए कि जो जमीन खरीदी या बेची जाए उसको केवल कोआपरेटिव सोसाइटी के मारफत ही खरीदी या बेची जाए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हम देखते हैं कि बहुत से अफसरों को कोआपरेटिव और कम्युनिटी डेवेलपमेंट का प्रशिक्षण दिया जाता है, मगर उसके बाद उनको उस काम पर न लगा कर दूसरे विभागों में जैसे रेवेन्यू आदि विभागों में लगा दिया जाता है जिससे उन के प्रशिक्षण का लाभ देश को नहीं मिलपाता ।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कोआपरेटिव्स की एलेक्शन मशीनरी नहीं है । एलेक्शन मशीनरी न होने की वजह से जो गड़ बड़ हम देख रहे हैं उसका मैं एक उदाहरण बतलाना चाहता हूं । एक डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक में १२ डाइरेक्टर्स हैं और जो चेअरमैन पिछला है वही चेअरमैनी के वास्ते आगे भी आने वाला है । उसने जब देखा कि मैं चेअरमैन फिर से नहीं हो सकता हूं तो जिस दिन एलेक्शन है उस दिन ३ डाइरेक्टर्स को डिस्क्वालिफ़ाई कर देता है । अब उस के वास्ते आरबिटरेशन में चला जाना पड़ता है । एक साल आरबिटरेशन होने में और उसका निर्णय होने में लग जाता है और जिसका कि नतीजा यह होता है कि वह पिछले चेअरमैन आगे भी चेअरमैन बने रहते हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि कोआपरेटिव्स के लिए एक स्पेशल एलेक्शन मशीनरी होनी चाहिए . . .

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गाया है ।

श्री द्वारका दास मंत्री: मैं आप की आज्ञा से एक मिनट में एक दो सुझाव और रख देना चाहता हूं ।

जिस तरह की सुविधा इंडस्ट्रियलिस्ट्स को अपना माल ऐक्सपोर्ट करने के लिए दी जाती है, उसी तरह की सहूलियत एग्रीकलचरिस्ट्स को भी दी जावे केला और आम देश से बाहर भेजने के लिये सहूलियत देनी चाहिए । कोआपरेटिव सोसाइटीज के मार्फत यह काम किया जाय और उनको ऐक्सपोर्ट के लिए जरूरी सहूलियतें दीजांय । जो सुविधायें इंडस्ट्रियलिस्ट्स कोआपरेटिव सोसाइटीज को माल बाहर भेजने के लिए दीजाती हैं वही सुविधायें एग्रीकलचरिस्ट्स कोआपरेटिव सोसाइटीज को भी दी जांय ।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर्स ने गांव पंचायतों और ताल्लुका पंचायतों के एलेक्शंस में हस्तक्षेप करना आरम्भ कर दिया है । देश में जो हम एक सही प्रकार की लीडरशिप का निर्माण करना चाहते हैं उस में असफल होने का इस कारण डर पैदा हो गया है । इस विभाग को इस ओर ध्यान देना चाहिये और यह ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट आफिसर्स इस प्रकार से कहीं भी उन निर्वाचनों से सम्बन्ध न रक्खें ।

जहां तक अनएम्प्लायमेंट का सवाल है हम देख रहे हैं कि यह समस्या अभी तक हल नहीं हो पायी है । देश में अभी भी बेकारी फैली हुई है । मुझे आशा है कि सरकार द्वारा इस को हल करने के लिए विशेष ध्यान दिया जायगा और इसको कम करने की कोशिश की जायेगी ।

इसके बाद लोक-सभा गुरुवार, ४ अप्रैल, १९६३/१४ चैत्र, १८८५ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हो गई ।

[दैनिक संक्षेपिका]

बुधवार, ३ अप्रैल, १९६३

१३ चैत्र, १८८५ (शक)

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	३२५१—७६
	तारांकित	
	प्रश्न संख्या	
६८२	भारत विरोधी चीनी साहित्य . . .	३२५१—५४
६८३	राष्ट्रीय पुस्तक न्यास	३२५४—५६
६८४	अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड	३२५६—६०
६८५	संघ राज्य-क्षेत्रों में सेवा पदावली का निर्माण .	३२६०—६१
६८६	विलायक निस्सारण संयंत्र	३२६१
६८७	कालेज आफ सर्वे (सर्वेक्षण महा विद्यालय) . .	३२६२
६८८	नहरकटिया बरौनी पाइपलाइन . . .	३२६२—६४
६८९	भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों की अदला बदली . . .	३२६५—६७
६९१	राजस्थान में अर्द्ध-संवाही चट्टान . . .	३२६७—६८
६९२	उड़ीसा में खनन पट्टे .	३२६८—७०
६९३	कोयला श्रेणीकरण सम्बन्धी प्रतिवेदन . .	३२७०—७२
६९४	कोठागुडियम में निम्न तापमान कार्यनीकरण संयंत्र .	३२७२—७३
६९५	सूडामडीह में गहरे कूप वाली कोयला खान	३२७३—७४
६९६	पेट्रोलियम संस्था, देहरादून	३२७४—७५
६९७	गैर सरकारी क्षेत्र के कोयला उद्योग के लिये ऋण	३२७५—७६
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	३२७६—३३०१
	तारांकित	
	प्रश्न संख्या	
६९०	कोकिंग कोयला	३२७६—७७
६९८	नई दिल्ली में पत्रकार की मृत्यु . . .	३२७७
६९९	शारीरिक शिक्षा, मनोरंजन और युवक कल्याण संबंधी समिति	३२७७—७८
७००	सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास .	३२७८

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१३६४	कलकत्ता का आनुवंशिकी तथा जीवाकि की अनुसंधान एकक	३२७८
१३६५	बहु उद्देश्यीय विद्यालय	३२७८–७९
१३६६	उड़ीसा में प्राचीन अवशेष	३२७९
१३६७	कटक जिलेमें ललितगिरी	३२७९–८०
१३६८	काशी नागरी प्रचारिणी सभा	३२८०
१३६९	दिल्ली में नया विश्वविद्यालय	३२८०
१३७०	आन्ध्र प्रदेश में सोने की खानें	३२८१
१३७१	आई० सी० एस० अफसरों का वेतन निश्चित करना	३२८१
१३७२	उड़ीसा में प्रकाशनों को सहायता	३२८१
१३७३	उड़ीसा में हार्ड और साफ्ट कोक	३२८१–८२
१३७४	उड़ीसा में पोलिटेकनिक	३२८२
१३७५	उड़ीसा में सम्बद्ध कालेजों के अध्यापक	३२८३
१३७६	उड़िसा नाटक के लिए अनुदान	३२८३–८४
१३७७	पश्चिम बंगाल में पाकिस्तानियों की तथाकथित गिरफ्तारी	३२८४
१३७८	जनगणना	३२८४–८५
१३७९	बिहार में फास्फेट की चट्टानें	३२८५
१३८०	पथराटू तापीय संयंत्र (बिहार) के लिए कोयला	३२८५
१३८१	बांदा जिले में शीशे की रेत के निक्षेप	३२८५
१३८२	गरीबों के लिये आये सामान की दिल्ली में बरामदगी	३२८६
१३८३	गणतंत्र दिवस समारोह	३२८६
१३८४	अपाहिजों की शिक्षा	३२८६–८७
१३८५	दिल्ली में सिनेमा टिकटों की चोर बाजारी	३२८७
१३८६	सरकारी क्षेत्र के तेल शोधक कारखाने	३२८७
१३८७	जनगणना कार्यालयों में छंटनी	३२८८
१३८८	केन्द्रीय मद्यनिषेध समिति	३२८८–८९
१३८९	कोयला नियंत्रक	३२८९
१३९०	शैक्षणिक पुरस्कार प्राप्त पुस्तकें	३२८९
१३९१	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की प्रशिक्षण संस्था	३२८९–९०
१३९२	उत्तर प्रदेश में तेल के लिये छिद्रण	३२९०

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी		
अतारांकित		
प्रश्न संख्या		
१३९३	दिल्ली में अवैध शराब की बिक्री	३२९०–९१
१३९६	मध्य प्रदेश में विज्ञान मन्दिर	३२९१
१३९७	फालतू कर्मचारी	३२९१–९२
१३९८	दिल्ली में सरकारी और पब्लिक स्कूल	३२९२
१३९९	अनुसूचित जातियों एवं आदिम जातियों के लिये पदोन्नति में आरक्षण	३२९२
१४००	आसाम में गोरा पहाड़ियों का कोयला वाला क्षेत्र	३२९२–९३
१४०१	भारत में भूटान के विद्यार्थी	३२९३
१४०२	दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों के लिये मकान	३२९३–९४
१४०३	पश्चिम बंगाल और बिहार में कोयले का विकास	३२९४
१४०४	रूस के प्रकाशन	३२९५
१४०५	अन्दमान श्रम बल	३२९५
१४०६	अन्दमान में मिट्टी के तेल का वितरण	३२९५–९६
१४०७	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये मकान बनाने के लिये आर्थिक सहायता	३२९६
१४०८	आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में चूने के पत्थर के निक्षेप	३२९६
१४०९	जम्मू और काश्मीर में तांबे और बौबसाइट के निक्षेप	३२९६–९७
१४११	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान	३२९७–९८
१४१२	केन्द्रीय सचिवालय सेवाएं	३२९८
१४१३	दिल्ली में हायर सेकेंडरी स्कूल	३२९८
१४१४	दिल्ली में चोरियां	३२९९
१४१५	दिल्ली में स्कूलों में क्लर्क	३२९९
१४१७	विदेशों में बढ़ रहे भारतीय विद्यार्थी	३३००
१४१८	हिन्दी टाइपराइटिंग और शार्टहैंड योजना	३३००
१४१९	दिल्ली के कालेजों में प्रेप्रेटरी श्रेणियां	३३००
१४२०	इंडियन आयल कंपनी के लिये उपकरण	३३०१
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना		३३०१—०४
	(एक) श्री रघुनाथ सिंह ने भारतीय युद्ध बंदियों की रिहाई के बारे में चीनियों की घोषणा की ओर प्रधानमंत्री का ध्यान दिलाया।	

विषय पृष्ठ

अवलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—जारी

प्रधानमंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने इस बारे में वक्तव्य दिया ।

(दो) श्री हेम बरुआ ने पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के कथित तंग किये जाने की ओर, जिसके फलस्वरुप वे आसाम में आ रहे हैं जैसा कि आसाम के वित्त मंत्री ने बताया है प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाया ।

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दिनेश सिंह) ने इस बारे में एक वक्तव्य दिया ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित ३३०४—०४

अट्ठारहवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

अनुदानों की मांगें . . . . . ३३०५—५७

(१) निर्माण, आवास तथा पुर्नवास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा समाप्त हुई तथा मांगें पूरी पूरी स्वीकृत हुईं ।

(२) विधि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई और चर्चा समाप्त हुई। मांगें पूरी पूरी स्वीकृत हुईं ।

(३) सामुदायक विकास तथा सहकार मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई। चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

गुरुवार, ४ अप्रैल, १९६३/१४ चैत्र, १८८५ (शक) के लिये कार्यावलि

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा और मतदान ।

———

GMGIPND—LS III—160 (Ai) LSD—29-5-63—160.

विषय-सूची—जारी

पृष्ठ

अनुदानों की मांगें—(जारी)

विधि मंत्रालय—जारी

श्री यशपाल सिंह ३३३२—३४

श्री त्यागी . . . . ३३३४—३७

श्री रा० बरुआ ३३३८

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी . . . . ३३३८—३९

श्री गो० ना० दीक्षित . . ३३३९—४०

श्री अ० कु० सेन . . . . ३३४०—४८

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय . ३३४९—५७

श्री सरजू पांडे . . . . . . ३३४९—५४

श्री द्वारिका दास मंत्री . . . . ३३५५—५७

दैनिक संक्षेपिका ३३५८—६१

S. 41. XVI. 33. 63.
160

१९६३ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित।